**समेकित** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021

## (दिनांक 13.02.2026 की अधिसूचना तक समेकित)

| संहिता का नाम | संहिता क्रमांक | राजपत्र में प्रकाशन दिनांक |
|---|---|---|
| मूल विनियम | 92/सीएसईआरसी/2021 | 18/11/2021 |
| शुद्धिपत्र | 100/सीएसईआरसी/2023 | 06/03/2023 |
| प्रथम संषोधन, 2023 | 102/सीएसईआरसी/2023 | 19/05/2023 |
| शुद्धिपत्र | 103/सीएसईआरसी/2023 | 30/05/2023 |
| शुद्धिपत्र | 118/सीएसईआरसी/2026 | 13/02/2026 |
| शुद्धिपत्र | 119/सीएसईआरसी/2026 | 13/02/2026 |

## ऊर्जा विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,
## सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

## रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर, 2021

**क्रमांक : 92/सीएसईआरसी/2021**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 सहपठित धारा 181(2) और धारा 32(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस हेतु आयोग को समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021**

### अध्याय–1

### प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

   (i) ये विनियम **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021** कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम, अधिनियम की धारा 62 के अधीन टैरिफ एवं धारा 32(3) के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक की अवधि में लागू रहेंगे और आगे भी तब तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि इन विनियमों को नए विनियमों से अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता।

(iii) ये विनियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू रहेंगे।

2. **विस्तार एवं क्षेत्रः**

2.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में संचालन कर रहे निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगेः–

(क) राज्य पारेषण उपक्रम

(ख) ऐसे समस्त उत्पादन स्थानक जो राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को प्रत्यक्ष अथवा राज्य के विद्युत व्यापार अनुज्ञपप्तिधारी(यों) के माध्यम से, दीर्घावधिक अनुबंध के अधीन विद्युत की आपूर्ति करते हों, इनमें वे उत्पादन स्थानक सम्मिलित नहीं होंगे जो केन्द्रीय आयोग के क्षेत्राधीन हों, और ऐसे नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत उत्पादन करने वाले स्थानक जो राज्य में स्थित हों और जिनका टैरिफ, सुसंगत विनियमों और आदेशों के तहत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता हो;

परन्तु ये विनियम उन सभी मामलों में भी लागू होंगे जिनमें एक उत्पादन कंपनी के पास उसे आबंटित समेकित खदान से, उसके एक या अधिक विनिर्दिष्ट अंततः उपयोग वाले उत्पादन स्थानकों के लिए, कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था हो जिसका टैरिफ का निर्धारण आयोग के द्वारा अधिनियम की धारा 82 सहपठित धारा 86 के तहत किया जाना निश्चित हो।

(ग) समस्त राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

(घ) समस्त वितरण अनुज्ञपप्तिधारी, और

(ड) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)

परन्तु इन विनियमों में कोई प्रावधान के अभाव में आयोग, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 (सी.ई.आर.सी.) के तहत अधिसूचित मानकों से, आयोग द्वारा तय की गयी अवधि के लिए, मार्गदर्शन लेगा।

2.2 [2][ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे।

(i) एकल उत्पादनकर्ता, थोक उपभोक्ता तथा स्वयमेव (केप्टिव) उपयोगकर्ताओं।

बशर्ते ऐसे एकल उत्पादनकर्ता या धारा 63 के अन्तर्गत आने वाले जेनेरेटिंग स्टेशन जो आनुषांगिक सेवाएं भी प्रदान कर रहे हो तथा अनुज्ञप्तिधारी एवं/या उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति हेतु संसूचीकरण, ऊर्जा–मापन या लेखांकन हेतु एस.एल.डी.सी. की सेवाएँ प्राप्त करते हों या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र या ऐसे अन्य किसी उद्देश्यों हेतु जो आयोग के द्वारा समय–समय पर अनिवार्य किये गए हों, को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क एवं प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(ii) जेनेरेटिंग स्टेशन एवं पारेषण प्रणाली जिनके टैरिफ, केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली संदर्शिका के अनुसरण में प्रतिस्पर्धात्मक बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किये गए हैं एवं अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा अपनायी गयी है।][2]



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रतिस्थापित

2.3 इन विनियमों के तहत समस्त कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और उसमें हुए संशोधनों अथवा अधिनियमितियों से शासित होंगे।

3. **परिभाषाएंः**

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आशयित न हो–

3.1 **''लेखा–पत्रक''** से अभिप्रेत है, प्रतिवर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण–पत्रक, नामतः कंपनीज़ अधिनियम में दर्शित प्रारूप या आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए तथा सर्वाधिक अंकेक्षकों के द्वारा विधिवत प्रमाणित तुलन पत्र, लाभ–हानि लेखा तथा नगदी प्रवाह पत्रक; चार्टर्ड अकाउन्ट/कॉस्ट अकाउन्टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित मिलान विवरण–पत्रक जिसमें संस्था का एक कंपनी के रूप में कुल व्यय, राजस्व परिसम्पत्तियां, दायित्व तथा आयोग द्वारा विनियमित प्रत्येक कारोबार का तथा अन्य विनियमित कारोबार का व्यय, राजस्व, परिसम्पत्तियां एवं दायित्व दर्शाए गए हों;

परन्तु आगे यह भी कि यदि अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप प्रत्येक अनुज्ञप्त कारोबार के लिए एवं प्रत्येक विनियमित कारोबार के लिए वर्ष 2022–23 से लेकर आगे पृथक लेखांकन विवरण–पत्रक पेशन नहीं किये गए हैं तो आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त, उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारी या एसएलडीसी के द्वारा दाखिल याचिकाओं को अस्वीकृत कर सकता है।

परन्तु यह भी कि जब तक एसएलडीसी की पृथक स्थापना एक राज्य अभिकरण के रूप में नहीं हो जाती तब तक एसएलडीसी के लिए पृथक लेखा पुस्तकें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल) के अधीन संधारित की जाएंगी तथा सीएसपीटीसीएल के द्वारा प्रमाणित की जाएंगी;

3.2 **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, विद्युत अधितनयम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) अथवा उसमें हुए कोई संशोधन अथवा उसका परवर्ती कोई अधिनियम;

3.3 **''अतिरिक्त पूंजीकरण''** से अभिप्रेत है, परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के पश्चात् विनियम 19 के प्रावधानों के अधीन आयोग द्वारा सावधानीपूर्ण जांच के उपरान्त स्वीकृत किया गया कोई पूंजीगत व्यय या संभावित पूंजीगत व्यय;

3.4 **''सकल राजस्व आवश्यकता'' अथवा ''ए.आर.आर.''** से अभिप्रेत है, ऐसी लागत जो अनुज्ञप्त और/अथवा ऐसे विनियमित कारोबार से संबंधित हों जो इन विनियमों के अनुसार अनुमत हों, और जिन्हें आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ और प्रभारों से वसूल किया जाए;

3.5 **''आबंटन मैट्रिक्स''** इन विनियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट किए गए घटकों से मिलकर बनेगी;

3.6 **''वार्षिक लक्ष्य मात्रा या 'ए.टी.क्यू.''** का अर्थ एक समेकित खदान(नों) के संबंध में, वर्ष के दौरान ऐसी खदान(नों) से निकली गयी कोयले की मात्रा है जैसे उत्खनन योजना में विनिर्दिष्ट हो परन्तु यह कि यदि कोयले की समेकित खदान(नें) उत्खनन योजना के अनुसार कोयले की आपूर्ति करने के लिए तैयार हों किन्तु ऐसे कारणों से बाधित हों जिन्हें उत्पादक कम्पनी पर नहीं डाला जा सकता है, तो आयोग वार्षिक लक्ष्य मात्रा को शिथिल कर सकता है;

3.7 **''आवेदक''** से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई उत्पादन कंपनी जिसने इन विनियमों और अधिनियम के तहत टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन किया है अथवा वास्तविकीकरण(इअप) आवेदन किया है;

3.8 **''अंकेक्षक या लेखा परीक्षक''** से अभिप्रेत है, एक उत्पादन कंपनी या एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारीया एसएलडीसी के द्वारा, कंपनीज़ अधिनिय, 2013 की धारा 139 अथवा धारा 148 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अनुसरण में नियुक्त किया गया अंकेक्षक (लेखा–परीक्षक);

3.9 ''सहायक ऊर्जा खपत या 'ऑक्स''' का अर्थ किसी समयावधि में एक उत्पादन स्थानकके प्रकरणमें ऊर्जा की खपत की वह मात्रा है जो उत्पादन स्थानकके सहायक उपकरणों के द्वारा खपत हुई हो जैसे कि संयंत्र औरमशीनरी को परिचालित करने वाले उपकरण, जिनमें उत्पादन स्थानककेस्विचयार्ड तथा उत्पादन स्थानकके भीतर ट्रांसफॉर्मर में हुई ऊर्जा ह्रास शामिल है जिसे उस उत्पादन स्थानक की सभीइकाईयों के उत्पादन सिरों पर उत्पादित कुल ऊर्जा (विद्युत) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है।

परन्तु यह कि सहायक ऊर्जा खपत में उत्पादन स्थानकया उप–स्थानकमें निवास–कॉलोनी एवं अन्य सुविधाओं को आपूर्ति की गयी विद्युत–शक्ति हेतु खपत हुई ऊर्जा तथा उत्पादन स्थानकमें निर्माण कार्यों में खपत हुई ऊर्जा शामिल नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि किसी कोयले पर आधारित तापीय उत्पादन स्थानकके प्रकरण में किसी समयावधि से सम्बद्ध 'उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु सहायक ऊर्जा खपत अथवा 'ऑक्सई' से अभिप्रेत हैः इस विनियम की मुख्य कंडिका (ऑक्स) के तहत सहायक ऊर्जा खपत के अतिरिक्त उस कोयले पर आधारित तापीय उत्पादन स्थानक के उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के सहायक उपकरणों में खपत हुई ऊर्जा की मात्रा; हालाँकि ई.सी.आर. की संगणना में ऑक्सई को विचारणीय नहीं माना जाएगा तथा ऊर्जा प्रभार पर इसके असर को पूरक टैरिफ के माध्यम से ई.सी.आर. के रूप में हिसाबा जाएगा।

3.10 ''उप स्थानक में सहायक ऊर्जा खपत या 'ऑक्सएस'''का अर्थ है – किसी समयावधि में, एक उप–स्थानक के प्रकरण में, प्रकाश व्यवस्था, बैटरीचार्जिंग एवं उप–स्थानक के सहायक उपकरणों में, जिनमें उप–स्थानक के नियंत्रण कक्ष की खपत शामिल हैं, जिसमें निवास कॉलोनी में हुई ऊर्जा की खपत शामिल नहीं हैं।

3.10क [2][**''विलंबित भुगतान अधिभार की आधार दर''** से भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत, जो कि वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसमें वह अवधि निहित है, के साथ–साथ 5 प्रतिशत और निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत के अभाव में, कोई अन्य व्यवस्था जो इसे प्रतिस्थापित करती हो, जिसे केन्द्र सरकार ने राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विर्निदिष्ट किया हो, से अभिप्रेत है;

परन्तु यदि व्यतिक्रम की अवधि दो या अधिक वित्तीय वर्षों के बीच है, विलंब भुगतान अधिभार के आधार दर कि गणना, अलग–अलग वर्षों में आने वाली अवधि के लिए अलग से की जाएगी;][2]

3.11 **''हितग्राही''**

(क) किसी ''उत्पादन स्थानक'' के संबंध में अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो ऐसे स्थानक द्वारा उत्पादित विद्युत को वार्षिक स्थिर प्रभारों और/अथवा विद्युत प्रभारों के भुगतान पर क्रय कर रहा है; और

(ख) **''पारेषण प्रणाली''** के संबंध में अभिप्रेत है, समय–समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011 में यथा परिभाषित दीर्घावधिक और/अथवा मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक, और उसमें ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने राज्य पारेषण उपक्रम (एसटीयू)/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पारेषण सेवा अनुबंध किया है;



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से जोड़ा गया

(ग) वितरण तार कारोबार के संबंध में, आपूर्ति कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता, यथा प्रकरण तथैव;

(घ) खुदरा आपूर्ति कारोबार के संबंध में, उपभोक्ता;

(ङ) एसएलडीसी के संबंध में, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारीया सुगम्यता उपभोक्ता जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग विद्युत पारेषण के लिए करता है और/अथवा राज्य में अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग विद्युत के चक्रण के लिए करता है, यथा प्रकरण तथैव, और/अथवा एसएलडीसी की समय–सूचीकरण एवं तत्समय ग्रिड परिचालन, राज्य ऊर्जा लेखांकन, सामूहिक(पूल) लेखा परिचालन इत्यादि सेवाएं प्राप्त करता है।

3.12 **''पूंजीगत लागत''** से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र या पारेषण अथवा वितरण प्रणाली, यथा प्रकरण तथैव, के संबंध में इन विनियमों के विनियम–18 में यथा परिभाषित पूंजीगत लागत तथा विनियम–55, समेकित खदान(नों) के संबंध में।

3.13 **''पूंजी निवेश योजना''** इन विनियमों के विनियम–7 में विनिर्दिष्ट तत्वों से मिलकर बनेगी;

3.14 **''विधि में परिवर्तन''** से अभिप्रेत है, निम्नांकित में से किसी का भी घटित होनाः

(1) ऐसा अधिनियम, जिससे भारतीय विधि की प्रभावशीलता, अंगीकरण, घोषणा, संशोधन, रूपांतरण अथवा निरसन कारित हो, या

(2) किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारत सरकार का तंत्र जो ऐसी व्याख्या हेतु कानूनी रूप से अंतिम अधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून की व्याख्या में परिवर्तन करें, या

(3) किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त की गई किसी सहमति या अनुमति या अनुमोदन या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या वचन में किया गया परिवर्तन, या

(4) भारत सरकार और अन्य किसी संप्रभुतायुक्त (सॉवरेन) सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अनुबंध या बहु–पक्षीय अनुबंध या संधि का प्रवृत्त होना या उनमें परिवर्तन होना जिसका प्रभाव इन विनियमों के तहत विनियमित उत्पादन स्थानक या अनुज्ञप्तिधारियों पर पड़ता हो।

3.15 **''आयोग''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग जो अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में उल्लिखित है;

3.16 **''नियंत्रण अवधि''** से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा तक की गई बहु–वर्षीय अवधि, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक;

3.17 **''विभेदन दिनांक''** से अभिप्रेत है, परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन दिनांक से छत्तीस महीने पश्चातकैलेण्डर माह का अंतिम दिवस, समेकित खदान(नों) को छोड़कर;

3.18 **''उत्पादन आरम्भ का दिनांक''** से अभिप्रेत है, समेकित खदान(नों) के संबंध में कोयला स्पर्श होने का दिनांक, यथा प्रकरण तथैव, जैसा उत्पादन कंपनी के द्वारा घोषित किया गया हो;

3.19 **''वाणिज्यिक परिचालन दिनांक'' अथवा ''सीओडी''** से अभिप्रेत है,

(i) तापीय उत्पादन स्थानक की किसी इकाई या ब्लॉक(समूह) के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देकर उत्पादन इकाई के सफल परीक्षण परिचालन के द्वारा अधिकतम

निरंतर क्षमता या स्थापित क्षमता को प्रदर्शित कर उत्पादक द्वारा घोषित दिनांक 00:00 बजे से, जिसमें समय–सूचीकरण प्रक्रिया का भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता / छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड संहिता, समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार पूर्णतः क्रियान्वयन कर लिया गया हो, और समग्र रूप से उत्पादन स्थानक के संबंध में उत्पादन स्थानक की अंतिम इकाई या ब्लॉक की वाणिज्यिक परिचालन दिनांक;

(ii) उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संबंध में सीओडी से अभिप्रेत है, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का उपयोग शुरू करने का दिनांक तथा पर्यावरण मानक, जहाँ ''उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली'' से अभिप्रेत है, यंत्र या उपकरणों का ऐसा संकुल (सेट) जिसकी स्थापना कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानक या उसकी इकाई में पुनरीक्षित उत्सर्जन कानकों को हासिल करने हेतु आवश्यक हो;

(iii) समेकित खदान(नों) के विषय में वाणिज्यिक परिचालन दिनांक से अभिप्रेत होगा, इनमें से जो सबसे पहले हो –

(क) जिस वर्ष उत्खनन योजना के अनुसार शीर्ष दर क्षमता का 25% हासिल हो जाए उसके बाद आने वाले वर्ष का पहला दिनांक; या

(ख) जिस वर्ष इन विनियमों के मुताबिक अनुमानित उत्पादन का मूल्य उस वर्ष तक के कुल व्ययों से अधिक हो जाए उससे अगले वर्ष का पहला दिनांक; या

(ग) उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष बाद का दिनांक;

परन्तु यह कि उपरोक्त कण्डिका (क) से (ग) में उल्लिखित किसी घटना के घटित होने उत्पादन कंपनी सुसंगत उप–कण्डिका के तहत समेकित खदान(नों) के वाणिज्यिक परिचालन के दिनांक की घोषणा, एक सप्ताह की पूर्व सूचना अंततः उपयोग या सहभागी उत्पादन स्थानक(कों) के हितग्राहियों को देने के साथ, करेगी;

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रकरण में जहाँ समेकित खदान(नें) वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैया हैं किन्तु वाणिज्यिक परिचालन का दिनांक की घोषणा करने से बाधित हो गई हैं जबकि बाधित होने के कारणों को उत्पादन कंपनी या उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों या खदान विकासकर्ताओं पर नहीं डाला जा सकता, तब उत्पादन कंपनी के द्वारा आवेदन करने पर आयोग ऐसे दिनांक का वाणिज्यिक परिचालन दिनांक के रूप में अनुमोदन कर सकती है जो, उन सुसंगत कारणों जिनकी वजह से वाणिज्यिक परिचालन के दिनांक की घोषणा बाधित हुई है, पर इस विनियम की कण्डिका (v) की किसी उप कण्डिका के तहत विचार करके समुचित मानी जाए;

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ प्रस्तावित सीओडी 01/04/2022 के बाद की हो, उपरोक्त प्रावधान के तहत वाणिज्यिक परिचालन दिनांक के अनुमोदन की अभिलाषी उत्पादन कंपनी, अंततः उपयोग के हितग्राहियों या सहभागी उत्पादन स्थानक(कों) या समेकित खदान(नों) को वाणिज्यिक परिचालन दिनांक की पूर्व सूचना, एक माह पूर्व देगी;

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ खदान की सीओडी, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व की हो, उपरोक्त कण्डिका (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन होने पर सीओडी मानी जाएगी तथा पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी;

(iv) जल–विद्युत उत्पादन स्थानक के संबंध में वह दिनांक जिसकी घोषणा उत्पादन कंपनी के द्वारा 00:00 बजे से, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के पश्चात भारतीय विद्युत

ग्रिड संहिता (आईईजीसी)/छ.ग. राज्य ग्रिड संहिता के अनुसरण में समय–सूचीकरण प्रक्रिया पूर्ण करके, की गई है तथा समग्र उत्पादन स्थानक के संबंध में, सफल परीक्षणार्थ प्रचलन के माध्यम से, स्थापित क्षमता से संगत शीर्ष क्षमता का प्रदर्शन करने के उपरान्त, हितग्राहियों को सूचना देने के उपरान्त, उत्पादन कंपनी के द्वारा घोषित दिनांक;

**<u>टीप</u>**

1. ऐसे प्रकरण में जहाँ बांध या जल कुण्ड चलित जल–विद्युत उत्पादन स्थानक, जलाशय अथवा जल–कुण्ड के अपर्याप्त जल–स्तर की वजह से स्थापित क्षमता से संगत शीर्ष क्षमता का प्रदर्शन करने में असमर्थ है, उत्पादन स्थानक की अंतिम इकाई का वाणिज्यिक परिचालन दिनांक समग्र उत्पादन स्थानक का वाणिज्यिक परिचालन दिनांक माना जाएगा, बशर्ते यह अनिवार्य होगा कि ज्यों ही जलाशय/जल–कुण्ड का पूर्ण जल स्तर हासिल हो जाए त्यों ही ऐसा जल–विद्युत उत्पादन स्थानक, उत्पादन इकाई या उत्पादन स्थानक की स्थापित क्षमता के समतुल्य शीर्ष क्षमता का प्रदर्शन करेगा;

2. मात्र नदी जल प्रवाह चलित जल–विद्युत उत्पादन स्थानक के प्रकरण में यदि निम्न जल–प्रवाह अवधि के दौरान जबकि ऐसे प्रदर्शनार्थ जल पर्याप्त नहीं है, इकाई या उत्पादन स्थानक को वाणिज्यिक परिचालनाधीन घोषित कर दिया जाता है तब ऐसे जल–विद्युत उत्पादन स्थानक या इकाई के लिए, ज्यों ही पर्याप्त जल–प्रवाह उपलब्ध हों त्योंही, स्थापित क्षमता के समतुल्य शीर्ष क्षमता का प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा;

(v) पारेषण प्रणाली के संबंध में, सफल प्रेरण(चार्जिंग) तथा प्रेषण–छोर तक संचार संकेत के परीक्षणार्थ प्रचालन के उपरान्त एसटीयू/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा घोषित दिनांक 00:00 बजे से जिसमें पारेषण प्रणाली का एक घटक (एलिमेन्ट) नियमित सेवा में हो;

परन्तु जहाँ पारेषण पथ (लाईन) या उप–स्थानक, किसी उत्पादन स्थानक से विद्युत–शक्ति के बहिर्गमन के लिए प्रतिबद्ध हों वहाँ उत्पादन कंपनी एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जहाँ तक व्यावहारिक हो, उत्पादन स्थानक और पारेषण प्रणाली की शरूआत एक साथ करने का प्रयास करेंगे;

परन्तु दिनांक कैलेण्डर माह का पहला दिवस होगा एवं उसकी उपलब्धता उसी दिनांक से हिसाबी जाएगी;

परन्तु यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली का एक घटक(एलिमेंट) नियमित सेवा के लिए तैयार है किन्तु किसी ऐसे कारण से ऐसी सेवा देने से बाधित है जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदारों पर नहीं डाले जा सकते हैं, तो आयोग ऐसे घटक(एलिमेन्ट) के नियमित सेवा में आने से पूर्व का दिनांक अनुमोदित कर सकता है;

(vi) संचार प्रणाली या उसके अवयव(एलिमेन्ट) के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन दिनांक से अभिप्रेत होगा– ध्वनि एवं आंकड़ों क संबंधित नियंत्रण केन्द्र को संचारण, संबंधित राज्य भार केन्द्र द्वारा यथा प्रमाणित, सहित स्थल स्वीकृति परीक्षण के पूर्ण होने के उपरान्त संचार प्रणाली या अवयव (एलिमेन्ट) की सेवा प्रारंभ करते हुए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित दिनांक 00:00 बजे से;

(vii) वितरण प्रणाली के संबंध में अभिप्रेत होग– विद्युत पथ (लाईन्स) या उप–थानक का घोषित वोल्टेज स्तर तक प्रेरण (चार्जिंग) का दिनांक ऐसे प्रकरणों में जहाँ लाईन्स/उप–स्थानक प्रेरणा हेतु तैयार घोषित कर दिए गए हों किन्तु अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे कारणों से प्रेरण करने में असमर्थ हैं जो उस अनुज्ञप्तिधारी पर नहीं डाले जा

सकते हों, ऐसे लाईन्स/उप–स्थानक(कों) हेतु परिचालन दिनांक की गणना, प्रेरण के लिए तैयार घोषित दिनांक से सात दिवस पश्चात् से की जाएगी;

3.20 **''दिवस''** से अभिप्रेत है, 00:00 से शुरू होने वाली 24 घण्टे की अवधि;

3.21 **''वि–पूंजीकरण''** इस विनियम के अन्तर्गत टैरिफ के उद्देश्यों से वि–पूँजीकरण से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा मान्य परिसंपत्तियों के बहिष्करण/विलोपन से संगत परियोजना की स्थायी संपत्तियों की कमी;

3.22 **''घोषित क्षमता अथवा ''डी.सी.''** किसी उत्पादन स्थानक के संबंध में घोषित क्षमता से अभिप्रेत है, जल या ईंधन की उपलब्धता के दृष्टिकोण से दिवस की किसी अवधि या सम्पूर्ण दिवस के लिए उस उत्पादन स्थानक द्वारा मेगावाट में घोषित एक्स–बस विद्युत प्रदाय करने की क्षमता जो कि सुसंगत विनियम में आगामी विशिष्टताओं के अध्यधीन है;

3.23 **''क्रिया–विराम (डि–कमीशनिंग)''** से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन स्थानक अथवा उसकी इकाई या संचार प्रणाली सहित पारेषण प्रणाली अथवा उसका कोई अवयव (एलिमेन्ट) या भार प्रेषण केन्द्र के उपकरण जिनमें संचार प्रणाली अथवा उसका कोई अवयव (एलिमेन्ट) या वितरण प्रणाली अथवा उसका कोई अवयव (एलिमेन्ट) सम्मिलित है, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, चाहे तो स्वतः अथवा परियोजना विकासकर्ता अथवा हितग्राहियों या दोनों की ओर से इस आशय का आवेदन किए जाने के पश्चात्की ऐसी परियोजन परिसम्पत्तियों के तकनीकी रूप से अप्रचलित हो जाने के कारण या अलाभकारी परिचालन या इन कारकों के संयोजन के कारण परिचालन नहीं किया जा सकता, सेवा से हटाया जाना,

3.24 **''विन्यास ऊर्जा (डिजाईन एनर्जी)''** जल विद्युत उत्पादन स्थानक के प्रकरण में, से अभिप्रेत है, ऐसी ऊर्जा की मात्रा जो एक 90 प्रतिशत निर्भरता वाले वर्ष में, जल–विद्युत उत्पादन स्थानक की 95 प्रतिशत स्थापित क्षमता के बराबर उत्पादित की जा सकती है;

3.25 **''ईआरसी''** से अभिप्रेत है, टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व जिसे वसूल करने की अनुमति किसी अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त है;

3.26 **''विद्यमान उत्पादन स्थानक''** से अभिप्रेत है, एक उत्पादन स्थानक जिसे 01/04/2022 से पूर्व वाणिज्यिक परिचालनाधीन घोषित किया जा चुका है;

3.27 **''विद्यमान परियोजना''** से अभिप्रेत है, वह परियोजना जिसे 01/04/2022 से पूर्व वाणिज्यिक परिचालनाधीन घोषित किया जा चुका है;

3.28 **''व्यय निर्वहन''** से अभिप्रेत है, निधि, चाहे समता पूंजी हो या ऋण अथवा दोनों, जो उपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन या अधिग्रहण हेतु वास्तव में व्यय की गई है तथा नगद या उसके समतुल्य रूप में भुगतान कर दी गई है किन्तु इसमें ऐसे आश्वासन और दायित्व सम्मिलित नहीं हैं जिनका भुगतान विमुक्त नहीं किया गया है;

परन्तु बाद में परिसंपत्तियों के सृजन या अधिग्रहण हेतु किये गए भुगतान उनके भुगतान की दिनांक से निर्वहित व्यय माना जाएगा;

3.29 **''संगामी (एस्क्रो) खाता''** समेकित खदान के सन्दर्भ में, से अभिप्रेत है, कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसरण में समेकित खदान(नों) के खदान बंदी व्ययों के जमा एवं आहरण हेतु संधारित खाता;

3.30 **''शुल्क''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्वयं की ओर से अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार किसी अन्य के खाते में संग्रहित एक बारगी अथवा वार्षिक निश्चत भुगतान;

3.31 **''अप्रत्याशित घटना''** से अभिप्रेत है, कोई ऐसी घटना जो राज्यांतरिक उपयोगकर्ता के वश में न हो, जिसका वे अनुमान ही न लगा सकते हों अथवा भरसक सावधानी के उपरोन्त भी जिसका अनुमान न लगाया जा सके अथवा जिसे रोका न जा सके और जो दोनों अभिकरणों के कार्यों को सारभूत ढंग से प्रभावित करते हों, जैसे, किन्तु वे निम्नांकित तक सीमित नहीं हैं–

(i) ईश्वरीय कृत्य, प्राकृतिक घटना जिसमें सम्मिलित हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप और महामारियां,

(ii) किसी शासन, चाहे स्वदेशी हो या विदेशी के कृत्य, जिसमं सम्मिलित हैं किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं, जैसे घोषित या अघोषित युद्ध, विद्रोह, प्राथमिकताएँ, संगरोध (क्वारैंटीन), निर्वासन, निषेध, तालाबंदी इत्यादि,

(iii) दंगे अथवा लोक बलवा,

(iv) ग्रिड की विफलता जिसके लिए संबद्ध अभिकरणों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता;

3.32 **''सकल कैलॉरिफिक मान या ''जीसीवी''** तापीय उत्पादन स्थानक के संबंध में इससे अभिप्रेत है, एक किलोग्राम ठोस ईंधन अथवा एक लीटर द्रव ईंधन एक मानक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्णतः'दहन से उत्पन्न उष्मा की मात्रा जिसे किलो कैलोरी में मापा जाता है;

3.33 **"सकल स्थानक उष्मा दर" या "एस.एच.आर."** से अभिप्रेत है : किसी तापीय उत्पादन स्थानक के उत्पादक मुहाने पर एक किलोवाट प्रति घंटा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु आवश्यक तापीय ऊर्जा की मात्रा जिसे किलो कैलॉरी में मापा जाता है;

3.34 **"भारतीय शासकीय तंत्र"** से अभिप्रेत हैः भारत सरकार, राज्य सरकार (जहाँ परियोजना स्थित है) तथा भारत सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, जहाँ परियोजना स्थित है, के नियंत्रण मेंअन्य कोई मंत्रालय या विभाग या मंडल या अभिकरण या भारत में सुसंगत कानून के तहत गठित अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी

3.35 **''अनिश्चित पॉवर''** से अभिप्रेत है, उत्पादन स्थानक की इकाई(यों) द्वारा वाणिज्यिक परिचालन से पूर्व ग्रिड में प्रविष्ट करायी गई विद्युत;

3.36 **''अंतर्ग्रहीत (इनपुट) कीमत''** विद्युत के उत्पादन एवं हितग्राहियों को उसकी आपूर्ति करने हेतु इन विनियमों के अनुसार विद्युत प्रभार के आकलन के उद्देश्य से, इससे अभिप्रेत है, समेकित खदानों से, जहाँ से कोयला उत्पादन स्थानक को स्थानांतरित किया जाता है, प्राप्त कोयले की कीमत;

3.37 **''स्थापित क्षमता'' अथवा ''आईसी''** से अभिप्रेत है, उत्पादक सिरों पर गणना की गई उत्पादन स्थानक की सभी इकाइयों की नाम पट्टिकाओं पर अंकित क्षमताओं के योग के बाराबर अधिकतम निर्धारित सीमा के अध्यधीन;

3.38 **''समेकित खदान''** से अभिप्रेत है, स्वयमेव (केप्टिव) खपत खदान (एक या अधिक चिन्हित उत्पादन स्थानक में उपयोग हेतु आवंटित) या बास्केट खदान (किसी उत्पादन कंपनी को उसके किसी उत्पादन स्थानक में उपयोग हेतु आवंटित) या दोनों जिसे उत्पादन कंपनी द्वारा उत्पादन एवं हितग्राहियों को विद्युत हेतु विकसित किया गया है;

3.39 **''राज्यांतरिक क्रेता''** से अभिप्रेत है, कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी अथवा थोक उपभोक्ता अथवा स्वयमेव (केप्टिव) उपयोगकर्ता जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली जिसमें ऐसी प्रणाली सम्मिलित है जो अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के संयोजन से उपयोग में ली जाती है और जिसका समय–सूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से होता है का उपयोग करते हुए, सुगम्यता के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर रहा है;

3.40 **''राज्यांतरिक एकक''** से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति जिनका समय–सूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन का समन्वयन एस.एल.डी.सी. द्वारा किया जाता है;

3.41. **''राज्यांतरिक बाजार परिचालन प्रकार्य''** में सम्मिलित है– समय–सूचीकरण, प्रेषण, मापन, आंकड़ा संकलन, ऊर्जा लेखांकन और निपटारा, पारेषण हानि की संगणना और बंटवारा सामूहिक खाते और कंजेशन प्रभार खाते का परिचालन आनुषांगिक सेवाएं प्रदान करना, सूचना प्रसार और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अधिनियम अथवा आयोग के विनियमों और आदेशों द्वारा सौंपे गए हों;

3.42. **''राज्यांतरिक विक्रेता''** से अभिप्रेत है, कोई उत्पादन संयंत्र जिसमें कोई स्वयमेव (केप्टिव) उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी, राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली जिसमें ऐसी प्रणाली सम्मिलित है जो अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के संयोजन से उपयोग में ली जाती है और जिसका समय–सूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से होता है का उपयोग करते हुए, सुगम्यता के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति कर रहा है;

3.43. **''राज्यांतरिक उपयोगकर्ता''** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसका विद्युतीय संयंत्र 33 के.व्ही. या अधिक के वोल्टेज स्तर पर राज्य ग्रिड से संबद्ध है जैसे कि एक उत्पादन कंपनी जिसमें स्वयमेव (केप्टिव) उत्पादन संयंत्र या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (सी.टी.यू और एस.टी.यू. को छोड़कर) अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा थोक उपभोक्ता सहित स्वयमेव (केप्टिव)उपयोगकर्ता सम्मिलित हैं;

3.44. **''ईंधन की पहुँच लागत''** से अभिप्रेत है, उत्पादन स्थानक के उतराई (अनलोडिंग) स्थल पर प्रदाय किया गया कोयला (जैविक ईंधन सहित सह दहन के प्रकरण में), लगनाईट, या गैस की कुल लागत जिसमें मूल कीमत या आगत कीमत, धुलाई प्रभार जहाँ लागू हो, परिवहन लागत (समुद्र पार या अंतर्देशीय या दोनों) तथा रक्षण (हैण्डलिंग) लागत, अन्य नमूना संबंधी प्रभार तथा समस्त लागू संविधिक प्रभार सम्मिलित है;

3.45. **''लादन स्थली''** समेकित खदान(नों) के संबंध में, इससे अभिप्रेत है, रेलवे पार्श्व–पथ (साइडिंग) स्थल या कठोर (साईलो) या कोयला–रक्षण संयंत्र यो ऐसी काई व्यवस्था जैसे वाहक पट्टा जो कोयला रवाना करने के लिए खदान से समीपतम हो, यथा प्रकरण तथैव;

3.46. **''दीर्घ अवधि''** से अभिप्रेत है, 7 वर्ष अथवा अधिक की अवधि;

3.47. **''अधिकतम सतत दरांकन (रेटिंग) अथवा एमसीआर''** किसी तापीय उत्पादन स्थानक की इकाई के संबंध में इससे अभिप्रेत है, उत्पादक सिरों पर संयंत्र निर्माणकता द्वारा मूल्यांकित मापदण्डों पर प्रत्यभूत, जल या वाष्प प्रविष्टि करके (यदि लागू हो) अधिकतम सतत उत्पादन तथा 50 हर्ट्ज ग्रिड आवृत्ति तक शोधित, विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों पर;

3.48. **''मध्यम अवधि''** से अभिप्रेत है, 4 माह से अधिक 7 वर्ष तक की कोई अवधि;

3.49. **"खदान अधोसंरचना"** में सम्मिलित होंगे, समेकित खदान(नों) की उत्खनन परिचालन में इस्तेमाल होने वाली परिसम्पत्तियां यथा इमारती कार्य, मरम्मत खाना, अचल विनिंग उपकरण, नींव, तटबंध, पैदल पथ, विद्युतीय प्रणाली, संचार प्रणाली, राहत केन्द्र, स्थल प्रशासनिक कार्यालय, स्थिर स्थापनाएं, रक्षण व्यवस्था, कुटाई (क्रशिंग) तथा वाहक प्रणाली, रेलवे पार्श्व–पथ (साइडिंग), गर्त, दस्ता, ढलान, भूमिगत परिवहन प्रणाली, माल वाहक प्रणाली (चल उपकरण को छोड़कर बशर्ते उन्हें भूमि से जोड़कर उनके उपयोग का स्थायी लाभ ना उठाया जा रहा हो), वनरोपण तथा सुसंगत विधि के तहत उत्खनन परिचालन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु सीमांकित भूभाग;

3.50. **"उत्खनन योजना या खदान योजना"** समेकित खदान(नों) के संबंध में, इससे अभिप्रेत है, वह योजना जो खदान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप धारा (2) की कण्डिका (ख) के तहत अनुमोदित तथा समय–समय पर यथा संशोधित खनिज रियात नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है;

3.51. **"नवहन उत्पादन स्थानक"** से अभिप्रेत है, ऐसा स्थानक जो 01/04/2022 को सीओडी प्राप्त कर लेगा अथवा 01/04/2022 को या उसके बाद उसके सीओडी प्राप्त करने की आशा है;

3.52. **"मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक" या एनएपीएएफ"** एक उत्पादन स्थानक के संबंध में, इससे अभिप्रेत है, वह उपलब्धता कारक जो तापीय उत्पादन स्थानक हेतु विनियम 43 में एवं जल–विद्युत उत्पादन स्थानक हेतु विनियम 44 में विनिर्दिष्ट है;

3.53. **"परिचालन एवं संधारण व्यय" या "ओएण्डएम व्यय"** से अभिप्रेत है, परियोजना या उसके किसी हिस्से पर परिचालन एवं संधारण व्यय तथा इसमें मानव संसाधन, मरम्मत, पुर्जे, खपत–सामग्री, बीमा तथा सामान्य उपरिव्यय पर व्यय सम्मिलित हैं;

इस विनियम के वास्ते ओएण्डएम व्यय कुल एचआर व्यय तथा संधारण एवं सामान्य (एमएण्डजी) व्यय है जिसे पुनः बारी से सुसंगत खण्ड में संबोधित किया गया है।

परन्तु यह भी कि समेकित खदान(नों) हेतु परिचालन एवं संधारण व्यय में खदान विकासकर्ता एवं परिचालनकर्ता, यदि कोई उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है, को अदा किया गया उत्खनन प्रभार तथा खदान बंदी व्यय सम्मिलित नहीं होगा;

3.54. **"मूल परियोजना लागत"** से अभिप्रेत है, उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/एसटीयू या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथा प्रकरण तथैव, द्वारा परियोजना के मूल स्वरूप के दायरे में विभेदन दिनांक तक किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा आयोग द्वारा मान्य किया गया हो;

3.55. **"शीर्ष दर क्षमता"** समेकित खदान(नों) के संबंध में इससे अभिप्रेत है, उत्खनन योजना में विनिर्दिष्ट खदान की शीर्ष दर क्षमता;

3.56. **"पिट हेड उत्पादन स्थानक"** से अभिप्रेत है, ऐसा उत्पादन स्थानक जिसमें खदान से उत्पादन स्थानक कोयले का परिवहन करने के लिए बगैर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सहारा लिए, खुद की परिवहन प्रणाली हो;

3.57. **"संयंत्र उपलब्धता कारक"** किसी उत्पादन स्थानक के संबंध में किसी अवधि के लिए अभिप्रेत है, प्रतिदिन घोषित क्षमताओं के उस अवधि विशेष के सभी दिनों का औसत, जो उस उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो, जिससे मानकीकृत सहायक विद्युत खपत को घटा दिया जाये;

3.58. **''संयंत्र भारकारक (पी.एल.एफ.)''** तापीय उत्पादन स्थानक अथवा किसी इकाई हेतु किसी दी गई अवधि में इससे अभिप्रेत है, उस अवधि के दौरान अधिसूचित उत्पादन के संगत कुल भेजी गई ऊर्जा जिसे उस अवधि के लिए स्थापित क्षमता के भेजे गए ऊर्जा प्रतिशत में अभिव्यक्त किया गया है और जिसे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगाः–

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGi / \{N \times IC \times (100-AUXn)\}\%$$

जहाँ

IC= उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता या मेगावाट में यूनिट,

SGi= अवधि के (i) कालखण्ड के लिए मेगावाट में अधिसूचित उत्पादन,

N= उस अविध के दौरान काल खण्डों की संख्या और

AUXn= मानकीय सहायक ऊर्जा की खपत, सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में

बशर्ते उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या उसके अवयव (एलिमेन्ट) के क्रियाशील हो जाने पर पीएलएफ की संगणना निम्नानुसार की जाएगी

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGi / \{N \times IC \times (100-AUXn-AUXne)\}\%$$

जहाँ

AUXne = उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली अथवा उसके अवयव(एलिमेन्ट) के लिए मानकीय सहायक ऊर्जा की खपत, सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में

3.59 **''परियोजना''** से अभिप्रेत है, कोई उत्पादन स्थानक तथा इसमें सम्मिलित हैं समेकित कोयला खदान अथवा पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली, यथा प्रकरण तथैव, और जल विद्युत उत्पादन स्थानक के प्रकरण में, इसमें सम्मलित है उत्पादन सुविधाओं के समस्त घटक, जैसे बांध, जलागम परिचालन प्रणाली, विद्युत उत्पादन स्थानक और योजना की उत्पादन ईकाईयां, जो विद्युत उत्पादन हेतु प्रयुक्त की गई हों;

3.60 **''पम्प कृत भण्डारण वाले जल विद्युत उत्पादन स्थानक''** से अभिप्रेत है, ऐसा जलीय स्थानक जो निम्नतर कद वाले जलाशय से उच्चतर कद वाले जलाशय को पम्प करके संग्रहित की गई जल ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करता है;

3.61 **''दरांकित (रेटेड) वोल्टेज''** से अभिप्रेत है, उत्पादनकर्ता का वह रूपांकित वोल्टेज, जिस पर पारेषण प्रणाली परिचालित करने हेतु रूपांकित की गई है और उसमें ऐसा निम्नतर वोल्टेज सम्मिलित है, जिस पर कोई पारेषण लाईन चार्ज की जाती है अथवा हितग्राही के परामर्श से तत्समय लिए चार्ज की जाती है;

3.62 **''विनियमित कारोबार''** से अभिप्रेत है, ऐसे कृत्य और क्रियाकलाप जो आयोग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या अधिनियम के तहत किसी मान्यित (डीम्ड) अनुज्ञप्तिधारी तथा किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों एवं आयोग द्वारा अधिसूचित, विनियम के प्रावधानों के अनुरू॰ किए जाना अपेक्षित हों;

3.63. **"खुदरा आपूर्ति कारोबार"** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप विद्युत विक्रय का कारोबार;

3.64. **"खुदरा आपूर्ति टैरिफ"** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति हेतु प्रभारित दर जिसमें चक्रण तथा खुदरा आपूर्ति सेवाओं के प्रभार सम्मिलित हैं;

3.65. **"नदी–प्रवाह चलित उत्पादन स्थानक"** से अभिप्रेत है, वह जल–विद्युत उत्पादन स्थानक जिसमें उच्च–जलधारा स्थित जल–कुंड अथवा प्रवाह–विलय व्यवस्था नहीं है;

3.66. **"जल–कुंडयुक्त नदी–प्रवाह चलित उत्पादन स्थानक"** से अभिप्रेत है, वह जल–विद्युत उत्पादनस्थानक जिसमें विद्युत की मांग में दैनिक विचलन की पूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता युक्त जल–कुंड उपलब्ध है;

3.67. **"अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन दिनांक या एस.सी.ओ.डी."** से अभिप्रेत है उत्पादन स्थानक या उसकी कोई उत्पादन इकाई या समूह या पारेषण प्रणाली या उसका कोई अवयव(एलिमेंट)की वाणिज्यिक परिचालन का दिनांक(कें) जैसा सी.ई.पी. में दर्शाया गया है अथवा विद्युत क्रय अनुबंध या पारेषण सेवा अनुबंध में मंजूर किया गया है, यथा प्रकरण तथैव, इनमें से जो पहले हो;

3.68. **"अनुसूचित ऊर्जा"** से अभिप्रेत है : संबंधित राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अनुसूचित ऊर्जा की वह मात्रा जो निश्चित समयावधि में विद्युत उत्पादन स्टेशन के द्वारा ग्रिड में प्रविष्ट कराई जाएगी है;

3.69. **''अधिसूचित उत्पादन''** **अथवा** **''एस.जी.''** से अभिप्रेत है, किसी समय अथवा किसी अवधि विशेष या समय खण्ड में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई मेगावाट अथवा MWh एक्स बस में व्यक्त उत्पादन की अनुसूची;

3.70. **''स्कीम''** से अभिप्रेत है, वे सुविधाएं एवं उपकरण जो उत्पादन स्थानक/पारेषण प्रणाली/वितरणप्रणाली (यों)/राज्य भारप्रेषण केन्द्र से सहबद्ध एवं उनमें स्थापित हों और जिनमें निम्नांकित सम्मिलित है, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है :–

(क) कम्प्यूटर प्रणालियां, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,

(ख) सहायक विद्युत आपूर्ति प्रणाली जो अबाधित विद्युत आपूर्ति डीजल जनरेटिंग सेट और डी.सी. विद्युत प्रणाली से मिलकर बनती है,

(ग) सामान्य टेलीफोन, फैक्स और अन्य ऑफलाईन संचार प्रणाली,

(घ) अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे वातानुकूलन, अग्निशमन और भवनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण;

(ड.) बेहतर प्रणाली परिचालन के लिए कोई नवाचारी स्कीमें, शोध और विकास परियोजनाएं तथा पायलेट परियोजनाएं, जैसे सिन्क्रोफेजर्स, प्रणाली सुरक्षा स्कीम,

(च) राज्य भार प्रेषणकेन्द्र के लिए बैक अपनियंत्रण केन्द्र,

(छ) निगरानी कैमरा प्रणाली, और

(ज) सायबर सुरक्षा प्रणाली

3.71 **''राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संग्रहणीय आवर्ती और मासिक भुगतान;

3.72 **''आरंभदिनांक''** **अथवा** **''शून्य दिनांक''** से अभिप्रेत है, निवेश स्वीकृति में उल्लिखित परियोजना लागू करने के लिए प्रारंभ की दिनांक और जहां कोई ऐसी दिनांक उल्लिखित न हो वहां निवेश अनुमोदन की दिनांक को प्रारंभ दिनांक अथवा शून्य दिनांक माना जायेगा;

3.73. **''राज्य भार प्रेषण केन्द्र'' अथवा ''एस.एल.डी.सी.''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र;

3.74. **"राज्य सामूहिक (पूल) खाता"** से अभिप्रेत है, व्यपवर्तन (डेविएशन) प्रभार के भुगतान हेतु राज्य खाते या प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिव) ऊर्जा विनिमय (एक्स्चेंजेस) (रिएक्टिव एनेर्जी एकाउंट) या इसी प्रकार के अन्य खाते जो विनियमों अथवा आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप एस.एल.डी.सी. के द्वारा समय–समय पर परिचालित किये जा सकते हैं;

3.75. **''राज्य प्रणाली परिचालन प्रकार्य''** में सम्मिलित है ग्रिड संचालनों की निगरानी राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, ग्रिडनियंत्रण और प्रेषण के लिए तत्समय (रियल टाईम) संचालन, ग्रिड व्यवधानों के बाद प्रणाली को फिर से सुचारू बनाना, प्रणाली परिचालन से संबंधित आंकड़े संकलित करना तथा उपलब्ध कराना, कंजेशन प्रबंधन, ब्लैक स्टार्ट समन्वय और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अधिनियम और/अथवा आयोग के विनियमों और/अथवा आदेशों द्वारा सौंपे जाए;

3.76. **"भण्डारण किस्म के उत्पादन स्थानक"** से अभिप्रेत है, वृहद जल–भंडारण क्षमता से सहबद्ध जल–विद्युत उत्पादन स्थानक जो मांग के विचलन के अनुरूप विद्युत उत्पादन करने में समर्थ हैं;

3.77. **''पारेषण सेवा अनुबंध''** से अभिप्रेत है, वह करार, संविदा, समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग), या कोई ऐसा वचन जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम और हितग्राही के मध्य पारेषण प्रणाली के परिचालन चरण हेतु निष्पादित किया गया हो;

3.78. **"पारेषण प्रणाली"** से अभिप्रेत है, लाईन या लाईनों का समूह, सहबद्ध उप–स्थानक सहित या रहित, जिसमें पारेषण लाईनों और उप–स्थानकों से सहबद्ध उपकरण सम्मिलित हैं;

3.79. **''परीक्षणार्थ प्रचालन या परीक्षणार्थ परिचालन''** किसीउत्पादन स्थानक अथवा पारेषण प्रणाली अथवा इनके किसी अवयव (एलिमेन्ट) के संबंध में केन्द्रीय आयोग के विनियमों और इसके संशोधनों/इनकी अधिनियमितियों में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होंगे;

3.80. **''इकाई''** तापीय उत्पादन स्थानक के संबंध में, इससे अभिप्रेत है, स्टीम जनरेटर, टरबाईन जनरेटर और सहायक उपकरण तथा किसी जल विद्युत उत्पादन स्थानक के संबंध में अभिप्रेत है, टरबाईन जनरेटर और उसके सहायक उपकरण;

3.81. **''उपयोगी जीवन काल''** किसी उत्पादन स्थानक की इकाई, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के संबंध में सीओडी के पश्चात की निम्नानुसार अवधि –

(क) कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानक 25 वर्ष

(ख) एसी और डीसी उप स्थानक 25 वर्ष

(ग) जल–विद्युत उत्पादन स्थानक, पम्पकृत जल–विद्युत उत्पादन स्थानक सहित 40 वर्ष

(घ) पारेषण और वितरण लाईनें 35 वर्ष

(ङ.) समेकित खदान 20 वर्ष अथवा उत्खनन योजना के अनुसार, दोनों में से जो कम हो

3.82. **''चक्रण''** से अभिप्रेत है, ऐसा परिचालन जहां यथास्थिति किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाओं का उपयोग, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विद्युत के संवहन के लिए, अधिनियम की धारा 62 के तहत निर्धारणीय प्रभारों का भुगतान करके किया जाता है;

3.83. **"वितरण तार कारोबार"** से अभिप्रेत है, विद्युत के संवहन हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में वितरण प्रणाली का परिचालन एवं संधारण करना;

3.84. **''वर्ष''** से अभिप्रेत है, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष,

(क) **''चालू वर्ष''** से अभिप्रेत है, वह वर्ष जिसके दौरान वार्षिक लेखों का विवरण या टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है,

(ख) **''आगामी वर्ष''** से अभिप्रेत है, चालू वर्ष के तुरन्त पश्चात् आने वाला वर्ष; और

(ग) **''पूर्व वर्ष''** से अभिप्रेत है, वह वर्ष जो चालू वर्ष के ठीक पहले रहा हो;

3.85 [2][इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां अपरिभाषित रहें, तथापि अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम या अधिनियम कि धारा 176/181 के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियम या आयोग द्वारा अन्य अधिसूचित विनियमों में दिया गया है, परन्तु जहां किसी शब्द या वाक्यांश का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संदर्भ में किया गया हो, वहां उस विशिष्ट संदर्भ में प्रयोज्य अर्थ अभिभावी होगा और ऊपर दी गई जेनरिक (मूल) परिभाषा प्रयोज्य न हो सकेगी।][2]

## अध्याय–2

## सामान्य सिद्धांत

### 4. बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखाः

4.1 आयोग, इन विनियमों को विनिर्दिष्ट करते समय राज्य के उत्पादन स्थानकों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ के निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा–61, और 62 में वर्णित सिद्धांतों, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति और अधिनियम की धारा–32 (3) में राज्य भार वितरण केन्द्र (एसएलडीसी) के लिए शुल्क और प्रभारों का निर्धारण करने के सिद्धांतो से मार्ग दर्शित होता है;

परन्तु यह कि आयोग या तो स्वस्फूर्त आधार पर अथवा किसी उत्पादन कम्पनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे प्रस्तुत आवेदन पर, आवेदन के कारणों को लिखित रूप से अभिलेखित करते हुए, उस अवधि के लिए जो ऐसी छूट प्रदान करने के आदेश में दर्ज हो, बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अधीन टैरिफ के निर्धारण में छूट दे सकेगा और ऐसे प्रकरण में टैरिफ का निर्धारण आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा;

4.2 यह बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा, उत्पादन कम्पनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, एस.एल.डी.सी. वितरण चक्रण (व्हीलिंग) कारोबार और खुदरा आपूर्ति कारोबार हेतु टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व और सकल वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण में निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है :–

(क) नियंत्रण अवधि के प्रारंभ से पूर्व नियंत्रण अवधि से अन्यून किसी अवधि के लिए पूंजीगत निवेश योजना का अनुमोदन;

(ख) वास्तविकीकरण (ट्रूइंग–अप) की प्रणाली;

(ग) अनियंत्रणीय मदों से पार पाने (Pass Through) की प्रणाली;

(घ) नियंत्रण योग्य विषयों के संबंध में लाभों और हानियों को साझा करने की प्रणाली;



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रतिस्थापित

(ङ) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये पृथक–पृथक ए.आर.आर. तथा टैरिफ एवं प्रभारों का अवधारण

(च) समेकित कोयला खदान हेतु कोयले की अंतर्ग्रहीत (इनपुट) कीमत का अवधारण;

## 5. याचिका प्रस्तुति की प्रक्रिया

5.1 बहुवर्षीय टैरिफ के अंतर्गत उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा याचिका की प्रस्तुति (फाइलिंग) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयावधि में की जाएगी और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट, वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में किया जाएगा;

5.2 उत्पादन कम्पनी, एस.टी.यु./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस.एल.डी.सी. द्वारा एम.वाई.टी. आवेदन 30 नवम्बर 2021 तक, विनियम 5.7(क)(i) के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा, वार्षिक वास्ताविकीकरण (ट्रुइंगअप) याचिका चालू वर्ष में 30 नवम्बर तक, विनियम 5.7(ख) (i) के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;

5.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एम.वाई.टी. आवेदन 30 नवम्बर 2021 तक, विनियम 5.7(क)(ii) के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा, वार्षिक वास्तविकीकरण (ट्रुइंगअप) याचिका चालू वर्ष में 30 नवम्बर तक, विनियम 5.7(ख) (ii) के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;

5.4 याचिकाकर्ता, आयोग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन की स्थिति दर्शाने वाला का विवरण भी प्रस्तुत करेगा;

5.5 किसी आवेदक द्वारा समस्त प्रस्तुति (फाईलिंग) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004, इसके संशोधनों सहित प्रावधानों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप भी होंगे। बहुवर्षीय टैरिफ का प्रस्तुति ऐसे स्वरूप और ऐसी पद्धति से किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय परविहित किया जाए।

5.6 टैरिफ के निर्धारण अथवा पूर्व में निर्धारित टैरिफ को जारी रखने हेतु, प्रत्येक आवेदन के साथ तत्समय प्रचलित, समय–समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क और प्रभार) विनियम में वर्णित शुल्क लगाया जाएगा। आयोग आवेदन पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और आवेदक ऐसे स्पष्टीकरण एवं अतिरिक्त जानकारी को, आयोग द्वारा दी गई तिथि के भीतर उपलब्ध कराएगा।

5.7 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुति निम्नानुसार होगी :–

(क) बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में निम्नांकित सम्मिलित होंगे :–

(i) उत्पादन, पारेषण और राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार के लिए –

1. पूर्व वर्ष के लिए वास्तविकीकरण (true-up);
2. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता;
3. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ और शुल्क और प्रभारों के निर्धारण हेतु आवेदन;

(ii) वितरण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए –

1. पूर्व वर्ष के लिए वास्तविकीकरण;
2. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता;
3. वर्तमान शुल्कों और प्रभारों से राजस्व और नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु परिकलित राजस्वरिक्तता (प्रोजेक्टेड रेवेन्यू गेप);
4. नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु फुटकर टैरिफ प्रस्ताव का आवेदन तथा प्रस्तावित कैटेगरी–वाईज़ टैरिफ या शुल्क एवं प्रभार यदि वितरण तार कारोबार तथा खुदरा आपूर्ति कारोबार की लेखा पुस्तकें पृथक नहीं की गयी हैं, तो उसकी सकल राजस्व आवश्यकता, वितरण तार कारोबार एवं खुदरा आपूर्ति कारोबार के मध्य, विनियम 80 में विनिर्दिष्ट आबंटन मैट्रिक्स के अनुसार आबंटित होगी;

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के पश्चात् और उससे आगे वार्षिक वास्तविकीकरण याचिका में निम्नांकित सम्मिलित किए जाएंगे :–

(i) उत्पादन, पारेषण तथा एस.एल.डी.सी. कारोबार के लिए– विगत वर्ष (वर्षों) के लिए वास्तविकीकरण,

राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविकीकरण याचिका के साथ–साथ लघु अवधि सुगम्यता उपभोक्ताओं के लिए पारेषण प्रभारों के निर्धारण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

(ii) वितरण तार और खुदरा आपूर्ति कारोबार के लिए –

1. विगत वर्ष (वर्षों) हेतु वास्तविकीकरण;
2. आगामी वर्ष के लिए पुनरीक्षित विद्युत क्रय की मात्रा/लागत (यदि कोई हो) विवरण सहित;
3. वर्तमान टैरिफ और प्रभारों से राजस्व और आगामी वर्ष के लिए संभावित राजस्व;
4. आगामी वर्ष हेतु राजस्व आवश्यकता के पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन, खुदरा शुल्क प्रस्ताव सहित।

(ग) उत्पादन कम्पनी, उपत्पादन स्थानक वार निष्पादन के आंकड़े (उन वर्षों के वास्तविकीकरण को छोड़कर जिनके बारे में टैरिफ आदेश में ही एकांगी टैरिफ का अवधारण प्रावधानित हैं) प्रस्तुत करेगी।

(घ) किसी अवधि के लिए वास्तविकीकरण उस विनियम के प्रावधानों से शासित होगा जिसके अधीन उस वर्ष का शुल्क निर्धारित किया गया था;

परन्तु यह भी कि यदि याचिका विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तथा/या याचिका के प्रसंस्करण हेतु आयोग द्वारा चाहे गये आंकड़े निर्धारित समय के भीतर नहीं प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उत्पादन कम्पनी, या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी., यथा प्रकरण तथैव, के लिये परिणामस्वरूप विलम्ब की वजह से प्रवहन (कैरिंग) लागत, यदि कोई हो, मान्य नहीं की जाएगी;

परन्तु यह भी कि यदि अनियंत्रणीय कारकों जिनकी वजह से आकस्मिक उछाल एवं टैरिफ में चिर–वृद्धि हुई हो, नियंत्रण अवधि में किसी भी समय याचिका प्रस्तुत की जा सकती है;

(ङ) आयोग विगत वर्षो हेतु वास्तविकीकरण याचिका पर भी विचार कर सकती है यदि वास्तविकीकरण अनंतिम (प्रोविजनल) लेखाओं के आधार पर किया जा चुका है;

5.8 कोई उत्पादन कंपनी यथास्थिति समग्र रूप से किसी उत्पादन स्थानक या उसकी किसी इकाई अथवा प्रक्रम अथवा उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की संभाव्य वाणिज्यिक परिचालन दिनांक से अग्रिम रूप में अनंतिम टैरिफ निर्धारण हेतु, याचिका लगाने की दिनांक तक या याचिका लगाने की दिनांक से पूर्व हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय, जो सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित और/या प्रमाणित हो, के आधार पर याचिका लगा सकेगी और ऐसा अनंतिम टैरिफ यथास्थिति, ऐसे उत्पादन स्थानक या प्रक्रम या इकाई के वाणिज्यिक परिचालन दिनांक से लागू किया जाएगा;

5.9. उत्पादन कम्पनी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिये उत्पादन स्थानकवार पूरक टैरिफ हेतु पृथक याचिका प्रस्तुत करेगी, समेकित खदान के संबंध में उत्पादन कम्पनी उस खदान से कोयले की पहुँच–कीमत के अवधारण हेतु पृथक खदानवार याचिका प्रस्तुत करेगी;

5.10. इस विनियम के अनुसरण में उत्पादन कम्पनी, उत्पादन स्थानक अथवा उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु, यथा प्रकरण तथैव, जिनका अनंतिम टैरिफ अनुमोदित हो चुका हो, वाणिज्यिक परिचालन दिनांक तक हुए पूंजीगत व्यय के आधार पर अंतिम/पूरक टैरिफ के अवधारण हेतु सांविधिक अंकेक्षकों के द्वारा प्रमाणित वार्षिक अंकेक्षित लेखाओं पर आधारित नवीन याचिका प्रस्तुत करेगी;

5.11 अनंतिम टैरिफ और अंतिम टैरिफ (टैरिफ शब्द में पूरक टैरिफ सम्मिलित है) में यदि कोई अंतर हो जो कि उत्पादन कंपनी के बाबत ना हो, को आगामी वर्ष के लिए अंतिम टैरिफ निर्धारण के समय अथवा आयोग द्वारा जैसा दिग्दर्शित हो उस तरह से समायोजित किया जा सकेगा;

## 6. याचिका का निराकरण

6.1 आयोग, आवेदक की एम.वाई.टी. याचिका को, इस विनियम सहपठित कार्य संचालन विनियम, 2009, समय–समय पर यथा–संशोधित, के अनुसार प्रसंस्कृत (प्रोसेस) करेगा;

6. उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और एस. एल.डी.सी. द्वारा प्रस्तुत किये गये टैरिफ आवेदन की प्रतिलिपियां आयोग के कार्यालय में और आवेदक के ऐसे कार्यालयों में, जैसा कि आयोग दिग्दर्शित करे, प्रभारों का भुगतान करने पर, विक्रय हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दस्तावेज आवेदको की वेबसाईट पर भी डाउनलोड किए जा सकने वाले प्ररूप में रखे जाएंगे, ताकि वे सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सुगम पहुंच में रहे।

6.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित ए.आर.आर. और ई.आर.सी. पर आयोग, प्रचलित एवं प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर कार्यवाही करेगा और उन प्रस्तावों पर निर्णय देने के पहले ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सुनवाई करेगा;

6.4 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस. एल.डी.सी. आयोग द्वारा प्रकाशन के लिए अनुमोदित प्ररूप में प्रस्तावों की संक्षेपिका/सारांश आवेदन की प्रमुख ऐसी विशेषताओं को उजागर करते हुए जिसमें विभिन्न हितधारकों की अभिरूचि हो न्यूनतम 3 ऐसे समाचार पत्रों, जिसमें से 2 हिन्दी और 1 अंग्रेजी का हो, जिनका राज्य में या याचिकाकर्ता के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा, हितधारकों से लिखित सुझाव/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 21 दिवसों का समय प्रदान किया जाएगा।

6.5 आदेश का सारांश अनुमोदित टैरिफों सहित न्यूनतम 3 दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से 2 हिन्दी और 1 अंग्रेजी का हो, जिनका आवेदक के आपूर्ति के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, आवेदक द्वारा प्रकाशित करवाया जाएगा। ऐसा टैरिफ उस दिनांक से प्रभावशील होगा, जो आयोग द्वारा सुसंगत टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

6.6 आयोग आदेश करने के 7 दिवस के भीतर उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सम्यक राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी/हितग्राहियों को प्रेषित करेगा।

## 7. पूंजी निवेश योजना

7.1 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन के लिए 31 अक्टूबर, 2021 तक एक पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे। ऐसी पूंजी निवेश योजना नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के पृथक विवरण सहित सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए होनी चाहिए;

7.2 पूँजी निवेश की योजना, नवीन उत्पादन परियोजनाओं या पारेषण/वितरण स्कीमों (लाइनों उप स्थानकों, बे (bay) आदि के लिए) या अतिरिक्त क्षमता बनाने/जीवनावधि पूर्ण हो जाने पर मौजूदा क्षमताओं का पुनर्नवीनीकरण अथवा वृद्धि, अथवा विधि में परिवर्तन के कारण कार्य की आवश्यकता होने या पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन पर व्यय होने या मूल स्वरूप में सम्मिलित कार्य आस्थगित होने या सक्षमता सुधार या ऐसा कोई कार्य जो प्रणाली के परिचालन के लिए आवश्यक हो, के प्रणाली परिचालन हेतु, के बारे में हो सकेगी।

(क) पूंजीनिवेश योजना में, वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं को, जो नियंत्रण अवधि में विस्तारित होंगी, और ऐसी नवीन परियोजनाएं (औचित्य सहित) जोनियंत्रण अवधि मेंप्रारंभहोगी, किन्तु नियंत्रण अवधि के दौरान अथवा नियंत्रण अवधि के पश्चात् पूर्ण होगी, पृथकतः दर्शाया जाएगा। पूंजी निवेश योजना में स्कीम का विवरण, कार्य का औचित्य, पूंजीकरण समय–अनुसूची, पूंजी संरचना और लागत लाभ विश्लेषण (जहां प्रयोज्य हो) का समावेश किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्तः

(i) उत्पादन कम्पनी नवीन परियोजनाओं के संबंध में विद्युत विक्रय व्यवस्था प्रस्तुत करेगी।

(ii) उपयोगी जीवनकाल पूर्ण कर चुके विद्युत संयंत्रों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की स्कीमों तथा उनकी सक्षमता वृद्धि के आशय से बनाई गयी स्कीमों हेतु उत्पादन कम्पनी याचिका प्रस्तुत करेगी जिसमें यथाविहित अनुमोदित लागत लाभ विश्लेषण और अपेक्षित निष्पादन लक्ष्य, आर.एल.ए.अध्यन प्रतिवेदन सहित, समाविष्ट होंगे।

(iii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाए गए भारपूर्वानुमान के संदर्भ में विद्युत निष्क्रमण(एवैकुएशन) तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना प्रस्तुत करेगा।

(iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय पूर्वानुमान, भार पूर्वानुमान, विद्युत अधिप्राप्ति(प्रोक्योरमेण्ट) योजना तथा 24x7 गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हेतु प्रस्तावित उपाय प्रस्तुत किए जायेंगे।

(v) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग में पारदर्शिता कायम करने, वितरण ह्रास को कम करने और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने हेतु सभी संयोजनों पर मीटर स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की जाएगी।

7.3 आयोग, लागत लाभ विश्लेषण, दूरदर्शिता परिक्षण तथा समस्त हितधारकों को उनके दृष्टिकोण/सुझाव/आपत्तियाँ पेश करने हेतु यथोचित अवसर प्रदान करके तथा प्रस्तावित योजना पर सुनवाई आयोजित करके तथा प्राप्त आपत्तियों/सुझावों और आवेदक द्वारा उपलब्ध

कराई गई किसी अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के उपरांत पूंजी निवेश योजना को अनुमोदित करेगा।

7.4 आयोग, इस विनियम के तहत टैरिफ आदेश जारी करने से पूर्व पूंजीनिवेश योजना का अनुमोदन करेगा और टैरिफ आदेश में इस प्रकार के अनुमोदित पूंजीनिवेश योजना के प्रभाव को विचार में लेगा।

7.5 फ़ौरन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन कम्पनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस.एल.डी.सी., अनुमोदित पूंजी निवेश योजना में संशोधन करने हेतु आयोग से निवेदन कर सकते हैं अथवा अतिरिक्त सी.आई.पी. प्रस्तुत कर सकते हैं, यथा प्रकरण तथैव।

7.6 ऐसे प्रकरणों में जहां जीवन अथवा सम्पत्ति पर संकट से बचाव करने के लिए तुरंत कार्यवाहियों की आवश्यकता हो, वहां उत्पादन कम्पनी एवं अनुज्ञप्तिधारी तात्कालिक कार्य कर सकते हैं बशर्ते ऐसे तात्कालिक कार्य की पूर्व सूचना, परिस्थिति की प्रकृति, प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा तथा लागत का प्राक्लन सहित प्रेषित कर दी जाए। ऐसे प्रकरणों में आयोग से कार्योपरांत अनुमोदन लिया जा सकता है।

## 8. कतिपय चल–मदों हेतु विशिष्ट प्रपथ

8.1. आयोग द्वारा नियंत्रणीय मदों के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे। वहीं विशिष्ट चल–मदों के लिये प्रपथ भी आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जा सकते हैं।

## 9. टैरिफ का अवधारण

9.1 इन विनियमों में अन्य किसी बातके समाविष्ट होने के बावजूद भी सभी समयमों में, आयोग को यह प्राधिकार होगा कि या तो स्वप्रेरणा से अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर किसी उत्पादन कंपनी अथवा राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के टैरिफ का निर्धारण, उसके निबंधनों एवं शर्तों सहित कर सके।

9.2 उत्पादन स्थानक के संबंध में टैरिफ का निर्धारण सम्पूर्ण उत्पादन स्थानक अथवा उसके किसी चरण या इकाई या समूह (ब्लॉक) के लिये किया जा सकेगा, और पारेषण प्रणाली हेतु टैरिफ का निर्धारण सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली अथवा पारेषणप्रणाली के किसी भाग हेतु किया जासकेगा। सम्पूर्ण वितरण प्रणाली के लिए आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु खुदरा आपूर्ति टैरिफ, चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार और प्रकीर्ण प्रभार भी निर्धारित किए जाएँगे।

9.3 आयोग निम्नलिखित हेतु टैरिफ और शुल्क तथा प्रभार निर्धारित करेगाः

(क) विद्युत का उत्पादन**-** इन विनियमों के अध्याय–4 के अनुसरण में,

(ख) विद्युत का पारेषण**-** इन विनियमों के अध्याय–6 के अनुसरण में,

(ग) वितरण चक्रण **(**व्हीलिंग) कारोबार इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसरण में,

(घ) खुदरा आपूर्ति कारोबार इन विनियमों के अध्याय–8 के अनुसरण में, और

(ड.) राज्य भार प्रेषण केन्द्र**-** इन विनियमों के अध्याय–9 के अनुसरण में।

## 10. वास्तविकीकरण (ट्रुइंगअप)

10.1 जहाँ किसी उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के सकल राजस्व आवश्यकता और शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व किसी बहुवर्षीय टैरिफ संरचना के अंतर्गत आते हों, वहां यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, इस विनियम के अनुसरण में नियंत्रण अवधि के दौरान विनियम 11 में परिभाषित नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय मदों के वास्तविकीकरण के अध्यधीन होंगे।

10.2 उत्पादन कम्पनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस.एल.डी.सी. नियंत्रण अवधि में प्रतिवर्ष इस विनियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वास्तविकीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

परन्तु यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आयोग को जानकारी ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और साथ में अंकेक्षक द्वारा विहित रूप से प्रमाणित अंकेक्षित लेखे, लेखा पुस्तकों का सारांश और ऐसे अन्य विवरण, जो अनुमोदित अनुमानों से वित्तीय निष्पादन के विचचलन के कारणों एवं हदों के निर्धारण में आयोग के लिए आवश्यक हों।

10.3 ऐसे प्रकरण में जहां अंकक्षित लेखा–जोखा उपलब्ध नहीं है, अनंतिम वास्तविकीकरण (प्रोविजनल ट्रू–अप) का कार्य अनअंकेक्षित/अनंतिम लेखाओं के आधार पर किया जाएगा और ऐसा वास्तविकीकरण, ज्यों ही अंकेक्षित लेखा–जोखा उपलब्ध हो जाता है त्यों ही अंतिम वास्तविकीकरण के अध्यधीन होगा।

10.4 उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कार्य निष्पादन की तुलना अनुमोदित पूर्वानुमान से करना वास्तविकीकरण के दायरे में होगा जिसमें निम्नलिखित का समावेश होगा :–

(क) आवेदक के पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) में अंकेक्षित कार्य निष्पादन की ऐसे पूर्व वित्तीय वर्षों हेतु अनुमोदित पूर्वानुमान से तुलना, जो दूरदर्शिता परीक्षण एवं अनियंत्रणीय कारकों के प्रभाव से पार पाने के अध्यधीन रहेगी;

(ख) समय–समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा;

(ग) अन्य सुसंगत ब्यौरा, यदि कोई हों।

10.5 वास्तविकीकरणों के शुद्ध वित्तीय प्रभावों को उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, विनियम 12 और विनियम 13 के प्रावधानों के अनुसार अवमूल्यन, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे कारकों को विचार में लेते हुए, आयोग द्वारा गणना में लिया जाएगा। शुद्ध वित्तीय प्रभाव को वार्षिक आधार पर पारित किया जाएगा।

10.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रकरण में जहां वास्तविकीकरण के उपरांत वसूल किए गए शुल्क और प्रभारों की राशि आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित राशि से कम/अधिक हो जाती है वहां यथास्थिति इस प्रकार वसूली गई अधिक राशि अथवा वसूली योग्य बकाया राशि अगले वर्ष हेतु शुल्क और प्रभारों के निर्धारण के समय अथवा जैसा आयोग द्वारा निश्चित किया जाए, समायोजित किए जाएंगे।

10.7 विगत वर्ष (वर्षों) का वास्तविकीकरण, इस नियंत्रण अवधि की शुरुआत से पहले, लागू विनियमों/आदेशों (जिनके अधीन टैरिफ आदेश पारित किया गया था) से शासित होगा।

## 11. नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय कारक

11.1 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''अनियंत्रणीय कारकों'' में निम्नांकित कारक सम्मिलित हैं, तथापि उन तक सीमित नहीं है, जो आवेदक के नियंत्रण से परे थे, और जहां आवेदक द्वारा उनका शमन नहीं किया जा सकता था :–

(क) दैवीय घटनाएं;

(ख) विधि में परिवर्तन;

(ग) न्यायिक प्रोद्घोषणाएं;

(घ) ईंधन की कीमतें;

(ङ) विक्रय किस्में;

(च) विक्रय की मात्रा;

(छ) विद्युत क्रय का मूल्य;

(ज) अवमूल्यन के कारण लागतें;

(झ) मानव संसाधन व्यय;

(ञ) आयकर, उपकर, एवं संविधिक लेवी सहित समस्त कर तथा;

(ट) आयोग द्वारा मान्य किया गया अन्य कोई व्यय;

11.2 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'नियंत्रणीय कारक' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(क) किसी पूंजीगत व्यय परियोजना के क्रियान्वयन में लागत बढ़ जाने के कारण पूंजीकरण, जो कि ऐसी परियोजना के क्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक लेवियों में परिवर्तन अथवा यथास्थिति उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परेपरिस्थितियों की वजह से नहीं हुआ है;

(ख) उत्पादन–निष्पादन मानदण्ड; जैसे–पी.एल.एफ., एस.एच.आर., सहायक खपत, पी.ए.एफ. इत्यादि

(ग) विनियम 98 के अनुसरण में संगणित ऊर्जा ह्रास;

(घ) संधारण एवं सामान्य व्यय;

(ङ) जहाँ विमुक्ति दी गयी है, उसे छोड़कर निष्पादन मानदण्डों के विनियमों में यथानिर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति करने में विफलता;

(च) वायर उपलब्धता और आपूर्ति उपलब्धता में विचलन।

## 12. अनियंत्रणीय कारकों से हुई बढ़त या हानियों से पार पाने हेतु क्रियाविधि

12.1 उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अवधि में अनियंत्रणीय मदों (टैरिफ आदेश के अनुसार) के कारण हुए सकल लाभों/हानियों को हितग्राहियों/उपभोक्ताओं को अगले ए.आर.आर. के माध्यम से अथवा इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पहुँचाया जाएगा।

## 13. नियंत्रणीय कारकों के कारण हुए लाभों या हानियों के बंटवारे हेतु क्रिया विधिः

13.1 टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, दक्षता से जुड़ी हुई नियंत्रणीय मदों में बेहतर उपलब्धियों के कारण हुए सकल शुद्ध लाभों, विनियम–98 के अनुसरण में संगणित विद्युत हानियों को छोड़कर, को अंशतः हितग्राही/उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) तक पहुंचाया जाएगा और शेष उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा 2:1 के अनुपात में अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में यथाविनिर्दिष्ट हो, रखा जाएगा।

13.2 टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, दक्षता से जुड़ी हुई नियंत्रणीय मदों में कमतर उपलब्धियों के कारण हुए सकल शुद्ध लाभों, विनियम–99 के अनुसरण में संगणित विद्युत हानियों को छोड़कर, को अंशतः हितग्राही/उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) तक पहुँचाया जाएगा और शेष उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी**,** जैसी भी स्थिति हो के द्वारा 1 : 1 के अनुपात में अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में यथाविनिर्दिष्ट हो, रखा जाएगा।

## 14. टैरिफ आदेश

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दाखिलों के आधार पर, आयोग याचिका को ऐसे रूपांतरणों और/अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी उचित और सम्यक् प्रतीत हों स्वीकृत कर सकेगा और अधिनियम के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा।

## 15. टैरिफ आदेश के प्रति अनुसक्ति (एडहेरेन्स टू टैरिफ आर्डर):

[2][टैरिफ निर्धारण के समस्त आदेश अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक निरंतर प्रवर्तित बने रहेंगे। सामान्यतया कोई टैरिफ या टैरिफ का कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार, सिवाय आयोग द्वारा अनुमोदित ''ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार'' (एफ. पी.पी.ए.एस.) सूत्र के आधार पर ईंधन लागत और विद्युत क्रय की वजह से हुए समायोजनों को छोड़कर, संशोधित नहीं किया जाएगा।][2]

## 16. सहायिकी (सब्सिडी) क्रियाविधि

16.1 यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी को सहायता करने का अभिनिश्चय करती है तो वह, अधिनियम की धारा–65 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान, सहायिकी स्वीकृत करने से प्रभावित हुए अनुज्ञप्तिधारी की क्षतिपूर्ति के लिए करेगी।

16.2. राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सहायिकी प्राप्त उपभोक्ता हेतु टैरिफ अवधारित करने हेतु आयोग प्रारम्भतः राज्य सरकार की सहायिकी संबंधी वचनबद्धता पर विचार किये बिना टैरिफ अवधारित करेगा और अंततः राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायिकी पर विचार करने के उपरांत सहायिकीकृत टैरिफ निकाला जाएगा।



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रतिस्थापित

## अध्याय–3

## वित्तीय सिद्धांत

### 17. ऋण समता–पूंजी अनुपात

17.1. नवीन परियोजनाओं के लिये ऋण–समता पूंजी अनुपात वाणिज्यिक परिचालन दिनांक को 70:30 माना जाएगा। यदि वास्तविक निवेशित समता पूंजी पूंजीगत–लागत का 30% से अधिक है, तो 30% से अधिक समता पूंजी को मानकीय ऋण माना जाएगा;

**परन्तु यह कि :**

I. जहाँ वास्तविक निवेशित समता पूंजी पूंजीगत–लागत का 30ः से कम है, वहाँ टैरिफ अवधारण में वास्तविक समता पूंजी पर ही विचार किया जाएगा;

II. ऐसे निवेश के लिये जो अंतरण के दिनांक अथवा 31 मार्च 2022, दोनों में से जो बाद में हो पर किया गया है और यदि निवेशित समता पूंजी, पूंजीगत–लागत का 30ः से अधिक है, तो 30ः से अधिक समता पूंजी को मानकीय ऋण मान लिया जाएगा;

III. विदेशी मुद्रा में निवेश की गयी समता पूंजी को प्रत्येक ऐसे निवेश की दिनांक को भारतीय रुपयों में अभिहीत (डेजिग्नेट) किया जाएगा;

IV. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त कोई उपभोक्ता का अंशदान/जमा कार्य/अनुदान, ऋण–समता पूंजी अनुपात के प्रयोजन हेतु, पूंजी–संरचना का हिस्सा नहीं माना जाएगा;

**स्पष्टीकरण–** किसी उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथा प्रकरण तथैव, द्वारा अंश पूंजी के निर्गमन के समय वसूल किया गया प्रीमियम, यदि कोई हो,तथा परियोजना के वित्त–पोषण हेतु मुक्त निधि से निर्मित निवेशित आंतरिक स्त्रोत को समता पूंजी के प्रतिफल की गणना में प्रदत्त पूंजी माना जाएगा बशर्ते ऐसी प्रीमियम राशि एवं आंतरिक स्त्रोत का उपयोग वास्तव में उत्पादन स्थानक या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्ययों की पूर्ति करने हेतु किया गया हो।

परन्तु यह भी कि परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त कोई उपभोक्ता का अंशदान, जमा कार्य तथा अनुदान, मानकीय ऋण–समता पूंजी अनुपात के प्रयोजनों हेतु पूंजी–संरचना का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

17.2. ऐसे उत्पादन स्थानक तथा अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें 01–04–2022 के पूर्व वाणिज्यिक परिचालनाधीन घोषित कर दिया जाता है उनके प्रकरणों में 31–03–2022 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु आयोग द्वारा मान्य ऋण–समता पूंजी अनुपात मान्य होगा।

17.3 01/04/2022 को अथवा उसके उपरांत किए गए किसी व्यय अथवा संभावित व्यय, जैसा भी आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय के रू‍प में स्वीकृत किया जाए, जिसमें जीवन विस्तारण हेतु जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण व्यय सम्मिलित है, उसे इन विनियमों के विनियम–17 में विनिर्दिष्ट रीति से सेवाकृत किया जाएगा।

17.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में परियोजना की लागत और तद्नुसार ऋण समता पूंजी के अनुपात की गणना, एकल लाईन (Individual Line) और परियोजना के स्थान पर पारेषण के सम्पूर्ण नेटवर्क या यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली को विचार में लेते हुए परिगणित (केल्कुलेट) किया जाएगा।

17.5 राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार हेतु हस्तांतरण की दिनांक को लेखा पुस्तकों में यथाविद्यमान वास्तविक ऋणः समतापूंजी अनुपात राज्य भार प्रेषण केन्द्र की प्रारंभिक पूंजी लागत हेतु विचार में लिया जाएगा;

परन्तु यह भी कि जब तक एस.एल.डी.सी. किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित या स्थापित सरकारी कम्पनी या प्राधिकारी या निगम के द्वारा परिचालित रहेगी तब तक एस.टी.यू. की लेखा पुस्तकों में जो ऋण–समता पूंजी अनुपात है उस पर विचार किया जाएगा।

## 18. पूंजीगत–लागत एवं पूंजी संरचना

**18.1** किसी परियोजना की लागत पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(क) आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के उपरांत यथाअनुमोदित, परियोजना की वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक किया गया व्यय, अथवा किए जाने हेतु पूर्वानुमानित व्यय, जिसमें सम्मिलित है निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय, ब्याज और वित्तीय प्रभार, निर्माण के दौरान ऋण राशि के विदेशी मुद्राविनिमय के जोखिम संपरिवर्तन की वजह से हुई लाभ अथवा हानि;

(ख) निर्माण के दौरान ब्याज (IDC):

i. निर्माण के दौरान ब्याज की संगणना, ऋण कोष की अंतरण की दिनांक से लिए हुए ऋण से संगत होगी और SCOD तक राशियों की परिपक्व चरणबद्धता को ध्यान में रखकर की जाएगी;

ii. SCOD प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण निर्माण के दौरान ब्याज के लेखे अतिरिक्त लागत के प्रकरण में यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इस प्रकार के विलम्ब हेतु समर्थनार्थ दस्तावेजों सहित विस्तृत औचित्य उपलब्ध कराना होगा जिसमें कोषों का दूरदर्शितापूर्ण चरणबद्ध उपयोग सम्मिलित है;

iii. परन्तु जब इस प्रकार का विलम्ब यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कारण से न हुआ हो और इनविनियमों के विनियम–11 में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण है तो निर्माण के दौरान ब्याज दूरदर्शिता परीक्षण के उपरांत अनुमत किया जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक से परेवास्तविक ऋण पर केवल निर्माण के दौरान ब्याज उसी सीमा तक अनुमत किया जा सकेगा जहां कि विलम्ब यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के नियंत्रण से परे दूरदर्शिता परीक्षण के बाद और कोषों के दूरदर्शितापूर्ण चरणबद्ध उपयोग को ध्यान में रखते हुए, पाया जाता है।

(ग) निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय (आई.ई.सी.डी.)

i. निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय की संगणना शून्य दिनांक से और एस.सी.ओ.डी. तक पूर्व परिचालन व्ययों को ध्यान में रखकर की जाएगी;

परन्तु एस.सी.ओ.डी. तक निर्माण अवधि के दौरान निक्षेपों और अग्रिमों पर ब्याज, अथवा किन्हीं अन्य प्राप्तियों के रूप में अर्जित राजस्व को निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय में से घटाने हेतु विचार में लिया जा सकेगा।

ii. आई.ई.सी.डी. के अन्तर्गत अतिरिक्तव्यय यदि एस.सी.ओ.डी. प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण होता है तो यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य एस.टी.यू. /पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी. को ऐसे विलम्ब के लिए समर्थनार्थ दस्तावेजों सहित विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें विलम्ब की अवधि के दौरान हुए नैमित्तिक व्यय का विवरण और विलम्ब से संगत वसूली गया या वसूली योग्य द्रवीकृत हर्जाना सम्मिलित है;

परन्तु यदि ऐसा विलम्ब यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य एस.टी.यू. /पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी. के कारण नहीं हुआ है और विनियम–11 में यथाविनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों की वजह से है तो विहित दूरदर्शिता परीक्षण के उपरांत निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय अनुमत किया जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि जहां ऐसा विलम्ब यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या एस.टी.यू. /पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी.द्वारा अनुबंधित किसी अभिकरण या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता के कारण हुआ है तो ऐसे अभिकरण या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूल किये गए द्रवीकृत हर्जाने को पूंजीगत लागत की संगणना के लिए विचार में लिया जाएगा।

iii. ऐसे प्रकरण में जहाँ एस.सी.ओ.डी. से पार निकल गया समय–लंघन, विहित दूरदर्शिता के उपरांत भी मान्य नहीं है वहां समय-लंघन की अवधि से संगत लागत–विचलन के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि को पूंजीकरण से निकाल दिया जाएगा, भले ही उत्पादन कंपनी या एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी. के आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के अनुबंधों में दाम विचलन संबंधी प्रावधान हों।

(घ) एस.एल.डी.सी. कारोबार के प्रकरण में प्रभारों के अवधारण का आधार, हस्तांतरण की दिनांक को एस.एल.डी.सी./एस.टी.यू. की लेखा पुस्तकों में दर्ज पूंजीगत लागत के साथ–साथ नियंत्रण अवधि हेतु अनुमोदित सी.ए.पी.ई.एक्स (केपैक्स) योजना होगी।

(ङ) पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जे – विनियम 18.4 में विनिर्दिष्ट दरों की हद तक; और

(च) विनियम 19 में अवधारित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय

परन्तु ऐसी परिसम्पत्तियाँ जो परियोजना का हिस्सा हैं किन्तु उपयोग में नहीं हैं, पूंजीगत–लागत से बाहर निकाल दी जाएंगी।

18.2. उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली तथा समेकित खदानों की पूंजीगत लागत हेतु सामान्यतः विनियम 18.1 में स्थित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा सिवाय विनियमों में विनिर्दिष्ट अन्यथा स्थिति के।

18.3 आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के उपरांत यथाअनुमोदित पूंजीगत लागत पूंजी टैरिफ अवधारण का आधार होगी :

परन्तु, दूरदर्शिता परीक्षण में पूंजीगत व्यय की संवीक्षा(स्क्रूटिनी) वित्तीय योजना, आई.डी.सी. एवं आई.ई.डी.सी. दक्ष तकनीक का उपयोग, लागत–लंघन और समय–लंघन, और ऐसे अन्य मामले सम्मिलित किए जा सकेंगे जिन्हें कि आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु यथोचित समझा जाए;

परन्तु, जहां वास्तविक पूंजीगत मूल्य अनुमोदित पूंजीगत मूल्य से निम्नतर है, वहां टैरिफ अवधारण हेतु वास्तविक पूंजीगत मूल्य को विचार में लिया जाएगा। अनुमोदित पूंजीगत लागत

से ऊपर और परे, (over and above) पूंजीगत लागत में किसी वृद्धि को आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण या आयोग द्वारा स्वतंत्र आंकलन (vetting)के अध्यधीन विचार में लिया जा सकता है।

परन्तु, ऐसे प्रकरण में जहां किसी विकासकर्ता को किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए, किसी जल विद्युत उत्पादन स्थानक के लिए स्थल प्रदान किया जाता है, वहां परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्थल को आबंटित कराने में किया गया कोई व्यय अथवा किए जाने के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यय पूंजीगत लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

परन्तु, यह भी कि ऐसे किसी जल विद्युत उत्पादन स्थानक के प्रकरण में पूंजीगत लागत हेतु निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा :—

(क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन के यथाअनुमोदित पैकेज के अनुरूप अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की लागत; और

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम हेतु विकासकर्ता के अंशदान की लागत;

परन्तु, यह भी कि जहां उत्पादन कंपनी और हितग्राहियों के बीच हुआ दीर्घअवधि विद्युत क्रय अनुबंध अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और हितग्राही के बीच हुआ पारेषण सेवा अनुबंध, यथा प्रकरण तथैव, में वास्तविक व्यय की हद के बारे में प्रावधान हो, वहां ऐसी हद का निम्नतर तथा आयोग द्वारा मान्य (एडमिटेड)पूंजीगत व्यय पर टैरिफ के अवधारण में विचार किया जाएगा।

18.4. पूंजीगत लागत में पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जे भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।

18.4.1. उत्पादन स्थानक प्रारंभिक पुर्जे उच्च—सीमा के निम्नलिखित मानदंडों के अध्यधीन संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृतकिये जाएंगे :

(i) कोयला आधारित / लिगनाईट—दहन तापीय उत्पादन स्थानक — 4%

परन्तु यह कि जब कभी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाती है अथवा समेकित खदान का कार्य आरम्भ हो जाता है, तब अतिरिक्त प्रारंभिक पुर्जे उपरिलिखित दर पर पृथकतः अनुज्ञेय(एलॉवेबल) होंगे।

(ii) जल—विद्युत उत्पादन स्थानक — 4%

18.4.2 पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली प्रारंभिक पुर्जे उच्च—सीमा के निम्नलिखित मानदंडों के अध्यधीन संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत किये जाएंगे;

i. पारेषण प्रणाली तथा वितरण लाईन — 0.50%

ii. पारेषण प्रणाली तथा वितरण उप—स्थानक — 1.00%

iii. सीरीज / समानान्तर क्षतिपूर्ति डिवाइसें और HVDC केन्द्र — 3.50%

iv. गैस इन्सूलेटेड उप—स्थानक — 3.50%

18.5. उत्पादन कम्पनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुरानी स्थावर परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, नवीनीकरण, तथा आधुनिकीकरण या जीवन—विस्तार पर किये गये कोई व्यय, उपरोक्त परिसम्पत्तियों की जी.एफ.ए. को मूल पूंजीगत लागत में से अपलिखित (राईट ऑफ) करे तथा उन परिसम्पत्तियों पर संग्रहित (एकुमुलेटड) मूल्य—ह्रास को कुल संग्रहित मूल्य—ह्रास में से अपलिखित करने के पश्चात् विचार में लिया जाएगा।

18.6. किसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के वि–पूंजीकरण के प्रकरण में यथा स्थिति वि–पूंजीकरण की दिनांक को ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत, सकल स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य में से घटा दी जाएगी और संगत ऋण के साथ–साथ समता पूंजी को बकाया ऋण और समता पूंजी में से क्रमशः, उस वर्ष में जिसमें वि–पूंजीकरण सम्पन्न होता है, घटा दिया जाएगा, तथा ऐसा करते समय उस वर्ष पर यथोचित विचार किया जाएगा जिस वर्ष में पूंजीकरण हुआ था।

18.7. किसी वर्ष के दौरान औसत पूंजीगत लागत की संगणना, सकल स्थावर परिसम्पत्तियों के प्रारंभिक शेष था अंतिम शेष के औसत के रूप में की जाएगी।

परन्तु यह कि नवीन उत्पादन स्थानक या इकाई के लिये पूंजीगत लागत प्रोनुपात (प्रो–रैटा) आधार पर जो परिसम्पत्ति जिस वर्ष में वाणिज्यिक परिचालनाधीन घोषित की गयी है उसमें तथा शेष आगामी वर्षों में प्रभारित (चार्ज) की जाएगी। पूंजीगत लागत की संगणना औसत लागत के आधार पर की जाएगी।

## 19. अतिरिक्त पूंजीकरण

19.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद और विभेदन दिनांक तक निम्नलिखित मदों के लिए कार्य क मूल परिधि में रहते हुए किया गया पूंजीगत व्यय या किए जाने के लिए अनुमानित व्यय, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन मान्य किया जा सकेगा :

(i) अन–उन्मोचित दायित्व; (अनडिस्चार्जड लाईबिलिटी)

(ii) निष्पादन हेतु आस्थगित (डिफर्ड) कार्य;

(iii) विनियम 18.4 के प्रावधानों के अध्यधीन, कार्य के मूल दायरे के भीतर, प्रारंभिक पूंजीकृत पुर्जों की प्राप्ति;

(iv) किसी न्यायालय सांविधिक प्राधिकारी के आदेश अथवा डिक्री अथवा माध्यस्थम के पंचाट के अनुपालन में का दायित्व की पूर्ति हेतु व्यय;

(v) विधि में कोई परिवर्तन या विधि का अनुपालन;

(vi) अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर);

19.2. निम्नलिखित के वास्ते विभेदन दिनांक के बाद किये गये पूंजीगत व्यय आयोग द्वारास्व–विवेक से दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन मान्य किये जा सकेंगे :

i. किसी न्यायालय या सांविधिक प्राधिकारी के आदेश या डिक्रीया माध्यस्थम के पंचाट के अनुपालन हेतु दायित्व की पूर्ति करने में हुआ व्यय;

ii. आयोग द्वारा मान्य कार्यों के दायित्व की पूर्ति करने में हुआ व्यय, दायित्व के उन्मोचन में किये गये वास्तविक भुगतान की हद तक;

iii. विधि में परिवर्तन या किसी विधि का अनुपालन

iv. अप्रत्याशित घटना(फोर्स मेज्योर)

v. राख कुंड या राख रक्षण से सम्बंधित आस्थगित कार्य;

vi. जल संरक्षण कार्यों, तापीय उत्पादन स्थानक में दूषित जल उपचारण संयंत्र से प्राप्त जल का उपयोग सहित, हेतु पूंजी निवेश

vii. केन्द्रीय आयोग के अनुमोदनों के अनुगमन में संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता,

viii. जल-विद्युत उत्पादन स्थानक के मामले में कोई निवेश, जो प्राकृतिक विपदाओं (परन्तु, उत्पादन कंपनी की लापरवाही के कारण विद्युत उत्पादन गृह में हुए जल भराव के कारण नहीं) साथ ही भौगोलिक कारणों से हुई क्षति के कारण आवश्यक हुआ हो, इंश्योरेंस स्कीम (बीमा योजना) से मिली भरपाई के समायोजन के पश्चात् रूपये एक करोड़ से अधिक का ऐसा निवेश जो उत्पादन स्थानक के परिचालन के लिए आयोग द्वारा अपरिहार्य माना जाए,

ix. पारेषण/वितरण प्रणाली के प्रकरण में रिले, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत लाईन संवहन संचार, डी.सी. बैटरियां, त्रुटि के स्तरमें बढ़ोत्तरी के कारण स्विच यार्ड उपकरण को प्रतिस्थापित करना, आपात से बहाली की प्रणाली, विसंवाहकों (इंसूलेटरों) की सफाई संबंधी अधोसंरचना, ऐसे क्षतिग्रस्त उपकरण जिनका बीमा नहीं है उनका प्रतिस्थापन और रूपये एक करोड़ से अधिक राशि का ऐसा निवेश जो पारेषण/वितरण प्रणाली के सफल और दक्ष परिचालन हेतु आवश्यक हो गया हो, जैसी मदों पर कोई अतिरिक्त निवेश;

x. रूपये एक करोड़ से अधिक का ऐसा कोई निवेश जो तापीय उत्पादन स्थानक के परिचालन के लिए आयोग द्वारा अपरिहार्य माना जाए;

xi. परन्तु यह कि लघु वस्तुओं एवं परिसम्पत्तियों जैसे औजार एवं दस्ते, उपस्कर, वातानुकूलन यंत्र, वोल्टेजस्थिरक, शीतक यंत्र, वायु शीतक, पंखे, उष्णक यंत्र, कम्प्यूटर, आसन, कालीन इत्यादि जो विभेदन दिनांक के पश्चात् लायी गयी हों, पर हुआ व्यय, टैरिफ और/या शुल्क एवं प्रभारों, यथा प्रकरण तथैव, के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये विचार में नहीं लिया जाएगा;

19.3. विभेदन दिनांक के बाद, विद्यमान परियोजना की मूल परिधि में इस्तेमाल में लायी जा रही परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के संबंध में, सकल स्थावर परिसम्पत्तियों तथा संग्रहित मूल्य ह्रास में आवश्यक समायोजन करके अतिरिक्त पूंजीकरण, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, निम्नांकित आधार पर, मान्य किया जा सकता है,

(क) परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, परियोजना के उपयोगी जीवनकाल से मेल नहीं खाता है तथा वे परिसम्पत्तियां इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतः अवक्षयित (डेप्रीशियेटेड) हो चुकी हैं;

(ख) परिसम्पत्तियों या उपकरणों को प्रतिस्थापित करना विधि में परिवर्तन या विधि के अनुपालन या अप्रत्याशित घटना की दशा में आवश्यक है;

(ग) परिसम्पत्तियों या उपकरणों को प्रतिस्थापित करना तकनीकी के कालातीत होने की वजह से आवश्यक है; और

(घ) परिसम्पत्तियों या उपकरणों को प्रतिस्थापित करना आयोग द्वारा अन्यथा मान्य किया जा चुका है।

20. **विशिष्ट परिस्थितियों में सिद्धांतन अनुमोदन :** ऐसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी जो ऐसे अतिरिक्त पूंजीकरण कार्य को करने की योजना बना रहे हैं, जो इन विनियमों में निहित मापदंडों के दृष्टिकोण से अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में विचार किये जाने हेतु उपयुक्त हैं, यद्यपि उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे अनियन्त्रणीय कारणों से लागत एवं समय का पूर्वानुमान एकदम पहले से लगाना संभव ना हो, वे हितग्राहियों या दीर्घावधि ग्राहकों को पूर्व

सूचना देने के बाद ऐसे व्यय करने हेतु सिद्धांतन अनुमोदन हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें अंतर्निहित धारणाएँ, प्राक्लन और ऐसे व्यय का औचित्य संलग्न हों।

## 21. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण

**21.1** यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/एस.टी.यू. यावितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन स्थानक या उसकी किसी इकाई या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली की उपयोगी जीवनावधि के आगे जीवन विस्तार के उद्देश्य से किए जाने वाले नवीकरण और आधुनिकीकरण के व्यय करने हेतु आयोग के समक्ष प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, लागत उपयोगिता विश्लेषण किसी संदर्भ दिनांक से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय के चरण, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भमूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता मूल्य जिसमें यदि कोई होतो विदेशी मुद्रा घटक का समावेश भी किया जाए, और अन्य कोई जानकारी जिसे उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत समझा जाए, का समावेश होगा;

**21.2** जहां उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति नवीकरण और आधुनिकीकरण के अपने प्रस्ताव कोअनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, वहां लागत अनुमानों, वित्तीय योजना, पूर्णता की अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष तकनीक के उपयोग, लागत लाभ विश्लेषण, और ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग द्वारा सुसंगत समझा जाए, की युक्तियुक्तता पर यथोचित विचार करने के उपरांत, अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

**21.3** नवीकरण और आधुनिकीकरण पर हुआ कोई व्यय या पूर्वानुमानित कोई व्यय पर विनियम 18.5 के अधीन प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

### कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानकों हेतु विशेष वृति

21.4. एच.टी.पी.एस. से भिन्न कोई तापीय उत्पादन स्थानक जो अपनी किसी कोयला आधारित तापीय उत्पादन इकाई को, जो अपना उपयोगी जीवन काल पूरा कर चुकी हो, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण में निवेश किये बिना चालू रखने का निर्णय लेता है तथा इस विनियम में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार परिचालन निष्पादन का निर्धारित स्तर कायम करता है, तो वह उत्पादन स्थानक विशेष वार्षिक वृति@रु.9.5 लाख/एम.डब्ल्यू./वर्ष पाने का हकदार होगा। एच.टी.पी.सी. के प्रकरण में वार्षिक वृति, टैरिफ आदेश/पूंजी निवेश योजना में तय की जाएगी।

**21.5** आयोग द्वारा विशेष वृति प्रदान किये जाने की दशा में विशेष वृति का उपयोग करते हुए या किये गये व्यय का संधारण उत्पादन स्थानक द्वारा पृथक से किया जाएगा और इसका विवरण आयोग को टैरिफ याचिकाएं/वास्तविकीकरण याचिकाएं प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराया जाएगा।

## 22. उपभोक्ता का अंशदान निक्षेप कार्य और अनुदान

22.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कराए गए निम्नलिखित प्रकृति के कार्य इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे :–

(क) सभी प्रकार के कार्य जो उपभोक्ताओं द्वारा भागतः (अंशतः) अथवा पूर्णतः वित्त–पोषित हैं;

(ख) सभी पूंजीगत कार्य जो राज्य सरकार तथा/अथवा केन्द्र सरकार इत्यादि से प्राप्त अनुदान का उपयोग करके से कराए गए हैं;

(ग) वे कार्य जो समान प्रकृति की किसी अनुदान तथा ऐसी प्राप्त राशियाँ जिन्हें वापस करने हेतु कोई दायित्व नहीं है और जिसके साथ कोई ब्याज लागतें संबद्ध नहीं हैं, का उपयोग करके कराए गये हैं;

परन्तु आंशिक वित्त–पोषण के प्रकरण में यह कायदा वहाँ तक सीमित रहेगा जहाँ तक राशि उपभोक्ता द्वारा निक्षेप की गयी हैं।

22.2. ऐसे पूंजीगत व्ययों के संबोधन के सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :

(क) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट ओ.एण्ड एम. व्यय मान्य होंगे;

(ख) मूल्य ह्रास, साम्या पर प्रतिफल, (रिटर्न ऑन इक्विटी) और मानकीय ऋण (नॉरमेटिह्व लोन) पर ब्याज मान्य नहीं होंग;

## 23. समता पूंजी पर प्रतिफल

**23.1** समता पूंजी पर प्रतिफल हेतु आधार–दर की संगणना, रूपयों में, विनियम 17 के अनुसार निर्धारित समता पूंजी के आधार पर की जाएगी। समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना, उत्पादन, पारेषण तथा एस.एल.डी.सी. के लिए 14% की दर से की जाएगी,

**23.2** वितरणः समता पूंजी पर प्रतिफल हेतु आधार–दर की संगणना, रूपयों में, विनियम 17 के अनुसार निर्धारित समतापूंजी के आधारपर की जाएगी। समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना**,** 16% की दर से की जाएगी,

**23.3.** टैरिफ के समय, आर.ओ.ई. को उस वर्ष की एम.ओ.टी. दर से सकलीकृत (ग्रॉस्डअप) किया जाएगा, बशर्ते जिस विनियमित कारोबार के लिये इन विनियमों के तहत याचिका दायर की गयी है, उसका विगत तीन वर्षो का एम.ए.टी./कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे प्रकरण में समता पूंजी पर प्रतिफल तीन दशमलव स्थानों तक सन्निकटित किया जाएगा तथा निम्नलिखित सूत्र के द्वारा संगणित किया जाएगा :

समता पूंजी पर प्रतिफल की दर = आधार दर / (1–एम.ए.टी. दर)

वास्तविकीकरण के समय आयकर को वास्तविक आधार पर निम्नलिखित ऊपरी सीमा के अध्यधीनपार निकाला जाएगा =

= औसत अनुमत समता पूंजी X प्रतिफल की आधार दर X ((ज/(1–ज)

जहाँ "ज" वर्ष के लिये वास्तविक कर की दर है। कर की दर गणना में, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी, यथा प्रकरण तथैव, द्वारा कथित वित्तीय वर्ष में विलम्ब से प्राप्त हुए भुगतान पर प्राप्त या प्राप्य अधिभार को विचार में लिये बिना की जाएगी।

## 24. ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार

24.1. विनियम 17 में दर्शायी गयी रीति से हासिल ऋण को, ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल मानकीय ऋण माना जाएगा।

24.2. 01/04/2022 की स्थिति में बकाया मानकीय ऋण (नॉर्मेटिव लोन) निकालने के लिए सकल मानकीय ऋण (ग्रास नॉर्मेटिव लोन) में से आयोग द्वारा अनुमत दिनांक 31.03.2022 तक के संचयी ऋण–वापसी (कम्यूलेटिव रिपेमेंट) को घटा दिया जाएगा।

24.3. टैरिफ अवधि के वर्ष हेतु ऋण–वापसी उस वर्ष के लिए मान्य (अलाउड) अवक्षयण (डेप्रीसिएशन) के समतुल्य माना जाएगा।

24.4. उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी, यथा प्रकरण तथैव, द्वारा मोहलत अवधि (मोरेटोरियम पीरियड), यदि कोई हो,का लाभ उठाने के बावजूद, ऋण–वापसी की शुरूआत परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से विचार में ली जाएगी जो कि आयोग द्वारा मान्य वार्षिक अवक्षयण के समतुल्य होगा।

24.5. ब्याज की दर, परियोजना के लिए प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण का पुलिंदा (पोर्टफोलियो) के आधार पर परिगणित भारांकित औसत ब्याज दर (केल्कुलेटेड वेटेड एवरेजइंट्रेस्ट रेट) होगी;

परन्तु, जहां किसी विशिष्ट वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं लिया गया है तथापि मानकीय ऋण फिर भी बकाया हो, वहां अंतिम उपलब्ध भारांकित औसत ब्याज दर विचार में ली जाएगी;

परन्तु, यह और भी कि जहां यथास्थिति, उत्पादन स्थानक या अनुज्ञप्तिधारी के पास वास्तविक ऋण नहीं है वहां भारांकित औसत ब्याज दर, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी हेतु समग्र रूप से विचार में ली जाएगी;

परन्तु, यह और भी कि नवीन विद्युत उत्पादन स्थानक या अनुज्ञप्तिधारी, जो अपना परिचालन इन विनियमों के प्रभावशील होने की दिनांक के बाद प्रारंभ करने वाले हैं, और जिनके पास वास्तविक ऋण का पुलिंदा (पोर्टफोलियो) नहीं है वहां ब्याज की दर मानकीय आधार (नार्मेटिव्ह बेसिस) पर विचार में ली जाएगी जो कि सी.ओ.डी. दिनांक पर लागू, भारतीय स्टेटबैंक की निधि आधारित सीमान्तऋणदाय दर(एम.सी.एल.आर.–एकवर्षीय) + 150 आधारबिन्दु के समतुल्य होगी।

24.6. ऋण पर ब्याज की गणना, वर्ष के प्रारंभिक बकाया–ऋण एवं अंतिम बकाया–ऋण के औसत पर की जाएगी। ब्याज की राशि की गणना हेतु ब्याज की दर, उसी वर्ष की भारांकित औसत ब्याज की दर होगी,

**24.7.** विनियम 24.6. के अनुसार ब्याज की राशि में से ऋण–राशि (मानकीय अथवा अन्यथा) पर ब्याज उस हद तक हटा दिया जाएगा जहाँ तक पूंजीगत लागत का वित्त–पोषण, उपभोक्ता अंशदान, अनुदान अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा कराये गये निक्षेप कार्यों, द्वारा हुआ हो;

24.8. उत्पादन कम्पनी या एस.एल.डी.सी. या अनुज्ञप्तिधारी, यथा प्रकरण तथैव, पुनर्वित्तीयकरण हेतु तब तक सभी प्रयास करेगी जब तक इससे ब्याज की शुद्ध बचत हासिल हो तथा ऐसी स्थिति में पुनर्वित्तीयकरण से सम्बद्ध लागत का भार हितग्राहियों पर डाला जाएगा जबकि शुद्ध बचत हितग्राहियों एवं उत्पादन कम्पनी या एस.टी.यू. या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथा प्रकरण तथैव, के बीच 2:1 के अनुपात में बांटा जाएगा।

परन्तु एस.एल.डी.सी. के प्रकरण में, यह प्रावधान केवल उन राज्यांतरिकएककों पर लागू होगा जो एस.एल.डी.सी. की दीर्घावधिक सेवाएँ ले रहे हैं।

परन्तु पुनर्वित्तीयकरण ऐसी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिये जिससे ब्याज में वृद्धि हो अथवा पुनर्वित्तीयकरण, अतिरिक्त लागत कारित करने वाले प्रतिकूल निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन नहीं होना चाहिये।

परन्तु यह भी कि ब्याज पर शुद्ध बचत की संगणना सभी निबंधनों और शर्तों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिये गये वास्तविक ऋण के पुलिंदे (पोर्टफोलियो), पुनर्वित्तीयकरण के पूर्व और पश्चात् को दृष्टिगत रखकर की जाएगी।

परन्तु हितग्राही, ऋणों के पुनर्वित्तीयकरण से उत्पन्न हुए किसी विवाद के लंबित होने के दौरान, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के ब्याज के दावे से संबंधित कोई भुगतान रोककर नहीं रखेगा।

**24.9. निबंधनों एवं शर्तों में बदलाव पुनर्वित्तीय करण के दिनांक से परिलक्षित होंगे।**

24.10. अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में उपभोक्ताओं को सुरक्षा निक्षेप पर ब्याज का भुगतान, वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अंश के रूप में मान्य नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि पर ब्याज का दायित्व खुद वहन करेगा।

## 25. मूल्य–ह्रास (डेप्रिसीएशन)

25.1. मूल्य-ह्रास के उद्देश्य से मूल्यधार (व्हेल्यूबेस) आयोग द्वारा मान्य (अलाउड) पूंजीगत लागत (केपिटल कॉस्ट) रहेगी;

25.2. परन्तु यह कि पूंजीगत लागत में अनुदान, उपभोक्ताओं का अंशदान, निक्षेप कार्यों से स्थावर परिसम्पत्तियों के वित्त–पोषण हेतु प्राप्त राशि, जैसा कि विनियम 22 में विनिर्दिष्ट है, सम्मिलित नहीं होंगी,

25.3. सूचना प्रोद्योगिकी उपकरणों और एस.एल.डी.सी. कारोबार हेतु प्रयुक्त साफ्टवेयर को छोड़कर आस्तियों का अवशेष (साल्वेज व्हेल्यूऑफ एसेस्ट्स) 10 प्रतिशत मान्य किया जायेगा और आस्ति की पूंजीगत लागत की अधिकतम 90 प्रतिशत तक का मूल्य-ह्रास (डेप्रीसिएशन) मान्य किया जायेगा।

25.4. परन्तु सूचना प्रोद्योगिकी उपकरणों और साफ्टवेयरों हेतु आस्तियों का अवशेष मूल्य निरंक विचार में लिया जाएगा और ऐसी परिसम्पत्तियों के शत् प्रतिशत मूल्य को मूल्य-ह्रास (डेप्रीसिएशन) योग्य माना जाएगा।

25.5. पट्टे परली गयी भूमि और जल–विद्युत उत्पादन स्थानक के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि और तापीय उत्पादन स्थानक हेतु राखबंद (एशबंड) की भूमि को छोड़कर, (अन्य) भूमि मूल्य-ह्रास योग्य आस्तियां नहीं होगी और इस भूमि के मूल्य को आस्ति (एसेस्ट्स) के मूल्य-ह्रास योग्य मूल्य (डेप्रीसिएटेड व्हेल्यू) की गणना करते समय पूंजीगत लागत में से हटा दिया जायेगा। विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अध्यधीन समेकित खदान हेतु भूमि भी मूल्य–ह्रास हेतु विचार में ली जाएगी।

25.6. उत्पादन स्थानक, पारेषण प्रणाली, वितरण प्रणाली और एस.एल.डी.सी. की आस्तियों पर मूल्य ह्रास की गणना प्रतिवर्ष सरल रेखा विधि से और इन विनियमों से संलग्न अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट दरों पर; तथा समेकित कोयला खदान हेतु अनुसूची 1(A) के अनुसार, की जायेगी।

परन्तु विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में 01.04.2022 को मूल्य–ह्रास योग्य शेष मूल्य की गणना, परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य–ह्रास योग्य मूल्य में से आयोग द्वारा 31.03.2022 तक मान्य संचयी मूल्य–ह्रास को घटाकर, की जाएगी।

परन्तु उन प्रकरणों में जहां पूंजीनिवेश योजना का अनुमोदन आयोग द्वारा किया गया है और ऋण वापसी हेतु इन विनियमों में दी गई मूल्य-ह्रास दरें अपर्याप्त है वहां मूल्य-ह्रास की दर

आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, टैरिफ आदेश जारी करते समय निर्णीत की जाएंगी;

परन्तु जहाँ किसी संयंत्र के उपयोगी जीवन–काल समाप्त होने पर अथवा उपयोगी जीवन–काल समाप्त होने के उपरांत, आयोग द्वारा अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुमोदित किया गया है वहाँ अतिरिक्त पूंजी निवेश पर लगाया जाने वाला मूल्य–ह्रास, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के उपरांत, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अतिरिक्त पूंजी निवेश योजना में प्रस्तुत संयंत्र के शेष अनुमानित भौतिक जीवन–काल पर विस्तारित होगा।

परन्तु जब तक कोई सरकारी कम्पनी या प्राधिकारी या निगम, एस.एल.डी.सी. के परिचालन हेतु अधिसूचित ना हो, तब तक मूल्य–ह्रास की गणना, इन विनियमों के तहत एस.टी.यू पर जैसा लागू है वैसा की जाएगी।

परन्तु शेष मूल्य-ह्रासयोग्य बकाया, जैसा वह हस्तांतरण की दिनांक को है, को निकालने हेतु यथाहस्तांतरण की दिनांक को एस.एल.डी.सी. के लिए, एस.एल.डी.सी. की लेखा–पुस्तकों में दर्शित आस्तियों का सकलह्रास योग्य मूल्य में से संचयीमूल्य-ह्रास घटा दिया जाएगा।

25.7. मूल्य–ह्रास वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। मूल्य–ह्रास की संगणना वर्ष के दौरान औसत आस्तियों के आधार पर की जायेगी;

परन्तु, नवीन विद्युत उत्पादन स्थानक या इकाई, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियाँ या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियाँ या एस.एल.डी.सी., यथा प्रकरण तथैव, हेतु ऐसी नवीन परिसम्पत्तियों पर मूल्य–ह्रास उस प्रथम वर्ष के दौरान जिसमें उसे वाणिज्यिक परिचालनाधीन घोषित किया गया है, दैनिक प्रोनुपातिक(प्रो–रेटा) आधार पर प्रभारित किया जाएगा। आगामी वर्षो के लिए मूल्य–ह्रास की संगणना वर्ष के दौरान औसत परिसम्पत्तियों आधार पर की जायेगी।

## 26. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

**26.1.** कार्यशील पूंजी में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी :

(क) कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानक हेतु,

i. कोयले की लागत, यदि प्रयोज्य हो, तो गर्त–मुख (पिट–हेड) उत्पादन स्थानक हेतु 10 दिवस की, गैर–गर्त–मुख (पिट–हेड) उत्पादन स्थानक हेतु 20 दिवस की, मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से संगत उत्पादन हेतु, धन

ii. मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से संगत उत्पादन हेतु कोयले की लागत का 30 दिवसका अग्रिम भुगतान

iii. मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से संगत उत्पादन हेतु द्वितीयक ईंधन तेल की एक महीने की लागत, तथा एकाधिक द्वितीयक ईंधन तेल के उपयोग के मामले में, मुख्य द्वितीयक ईंधन तेल के एक महीने के ईंधन तेल भण्डार की लागत, धन

iv. 15 दिवस हेतु ओ. एण्ड एम., व्यय, धन

v. विनियम 40.5.2 में विनिर्दिष्ट एम. एण्ड जी. व्ययों के 20 प्रतिशत की दर पर संधारण पुर्जे, धन;

vi. [2][45 दिवस के लिए विद्युत विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों (केपेसिटी चार्ज) और ऊर्जा प्रभारों (इनर्जी चार्ज) के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल) जिन्हें मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धताकारक पर परिगणित किया गया है।][2]

परन्तु नवीन स्थानकों के प्रकरण में संधारण पुर्जों की संगणना प्रारंभिक जी.एफ.ए. के प्रतिशत के रूप में होगी जिसे आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी करते समय अवधारित किया जाएगा, दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन,

vii. एक (1) महीने के लिए विद्युत विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों (केपेसिटी चार्ज) और ऊर्जा प्रभारों (इनर्जी चार्ज) के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल) जिन्हें औसत वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक पर परिगणित किया गया है,

परन्तु यह भी कि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की सी.ओ.डी. पर निम्नलिखित घटकों को अतिरिक्त रूप से विचार में लिया जाएगा।

क. मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से संगत चूना–पत्थर या प्रतिकारक की लागत के अनुसार 20 दिन का भण्डार;

ख. मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक से संगत उत्पादन हेतु प्रतिकारक की लागत का 30 दिन का अग्रिम भुगतान;

ग. [2][मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर परिगणित 45 दिवस का विद्युत विक्रय का पूरक क्षमता प्रभार एवं पूरक ऊर्जा प्रभार के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल);][2]

घ. 7 दिवस के लिये उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली संबंधित ओ. एंड. एम. व्यय;

ङ. उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली संबंधित ओ. एंड एम. व्यय का 20 प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे।

(ख) जल–विद्युत उत्पादन स्थानक हेतु

i. 15 दिवस के लिये ओ. एंड एम. व्यय, धन

ii. विनियम 39.5.1. या 39.5.2., यथा प्रकरण तथैव, में विनिर्दिष्ट संधारण एवं सामान्य व्यय का 20 प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे; धन

iii. [2][45 दिवस की स्थिर लागत के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)][2]

(ग) पारेषण कारोबार हेतु :

i. 15 दिवस के लिये ओ. एंड एम. व्यय, धन

ii. विनियम 73.5.1 में विनिर्दिष्ट संधारण एवं सामान्य व्यय का 20 प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे; धन

iii. [2][45 दिवस की स्थिर लागत के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)।][2]

(घ) वितरण चक्रण कारोबार हेतु :

i. 15 दिवस के लिये ओ. एंड एम. व्यय, धन

ii. विनियम 83.4.1 में विनिर्दिष्ट संधारण एवं सामान्य व्यय का 20 प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे; धन

iii. एक (1) महीने के प्रचलित टैरिफ पर वितरण तार के उपयोग हेतु प्रभारों से प्राप्त राजस्व के समतुल्य



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रतिस्थापित

(ङ) [2][विद्युत के खुदरा प्रदाय हेतु :

i. 15 दिवस के लिये ओ. एंड एम. व्यय, धन

ii. विनियम 92.6.2 में विनिर्दिष्ट संधारण एवं सामान्य व्यय का 20 प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे; धन

iii. प्रचलित टैरिफ पर, राज्य के भीतर, विद्युत के विक्रय से प्राप्त, 15 दिवस के राजस्व के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)।][2]

(च) एस.एल.डी.सी. कारोबार हेतु :

i. 15 दिवस के लिये ओ. एंड एम. व्यय, धन

ii. विनियम 101.5 में विनिर्दिष्ट संधारण एवं सामान्य व्यय का 20 प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे; धन

iii. [2][45 दिवस के प्रणाली परिचालन प्रभार एवं बाजार प्रचालन प्रभार, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित, के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)][2]

**26.2.** [2][वास्तविकीकरण के समय उत्पादन कंपनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस.एल.डी.सी. की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की संगणना हेतु लेनदारी (रिसिवेबल) 45 दिवसों के वास्तविक राजस्व देयक (बिल) के समतुल्य किया जाएगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की संगणना हेतु लेनदारी (रिसिवेबल) 15 दिवसों की वास्तविक राजस्व देयक (बिल) के समतुल्य किया जाएगा;][2]

**26.3.** विनियम 26.1 की उप कण्डिका (क) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में ईंधन की लागत, उत्पादन कम्पनी द्वारा मानकीय (नॉर्मेटिव) परिवहनऔर रक्षण की घाटों (लॉसेस) को ध्यान में रखते हुए, उनकी पहुँच–लागत (लैंडेड कॉस्ट) और ईंधन के सकल कैलोरीमूल्य (जी.सी.व्ही.) जो कि तीन महीनों के लिए उपलब्ध नवीनतम् वास्तविक डाटा के अनुरूप होगा और टैरिफ अवधि के दौरान ईंधन मूल्य में वृद्धि संबंधी किसी पूर्वानुमान को विचार में नहीं लिया जायेगा।

26.4 कार्यशील पूंजी पर ब्याज का प्राक्कलन, वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर को लागू भारतीय स्टेट बैंक की निधि आधारित सीमान्त ऋणदाय दर(एम.सी.एल.आर.–एक वर्षीय) + 200 आधार बिन्दु के समतुल्य किया जाएगा। वास्तविकीकरण के दौरान कार्यशील पूंजी पर ब्याज की संगणना वर्ष के दौरान वास्तविक औसत स्वीकृत ब्याज की दर पर की जाएगी।

26.5. [2][इन विनियमों के प्रावधानों के बावजूद, अधिनियम के अनुसरण में केंद्रीय या राज्य सरकार, यथा प्रकरण तथैव, के द्वारा धारा 176 या धारा 180 के तहत अधिसूचित अधिभार के भुगतान के संबंध में उत्पादन कंपनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस.एल.डी.सी. की कार्यशील पूंजी की संगणना हेतु लेनदारी को उतने दिवसों के लिये लगाया जाएगा जितना कि नियमों में नियत हो।][2]

## 27. आय पर कर

कोर कारोबार को छोड़कर किसी अन्य स्रोत (स्ट्रीम) से होने वाली आय को टैरिफ में पारगामी पासथ्रू) घटक नहीं माना जायेगा और इस प्रकार की अन्य आय पर लगने वाला कर उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी., यथा प्रकरण तथैव, द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। हालाँकि ऊर्जा के विक्रय से आय/सेवाओं अथवा किसी गैर टैरिफ आय के अन्य स्त्रोत जिन पर ए.आर.आर. में विचार किया गया है, के वास्ते भुगतान किया गया कर भी टैरिफ में से पार–गामी (पासथ्रू) होगा;



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रतिस्थापित/जोड़ा गया

## 28 रियायत (रिबेट)

उत्पादन कम्पनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और एस.एल.डी.सी. के देयकों का भुगतान साख पत्र अथवा अन्यथा के माध्यम से किये जाने पर चालू देयक की चुकता राशि के 01 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उत्पादन कम्पनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथा प्रकरण तथैव, द्वारा देयकों के प्रस्तुत करने से 07 दिवस के भीतर भुगतान किया जाता है।

## 29 [2][विलंबित भुगतान पर अधिभार

29.1 जहाँ किसी हितग्राही/ राज्यांतरिक एकक के द्वारा इन विनियमों के तहत देय प्रभारों के देयकों के भुगतान में देयक के दिनांक से 45 दिवसों से अधिक विलंब किया जाता है वहाँ उत्पादन कंपनी या एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी./प्रणाली परिचालनकर्ता के द्वारा बकाया राशि पर उस अवधि की आधार दर से चूक के पहले महीने के लिये विलंबित भुगतान अधिभार प्रभारित किया जाएगा। वास्तविकीकरण के समय हितग्राही/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किए गए/प्राप्त विलम्बित भुगतान अधिभार को व्यय/राजस्व, यथा प्रकरण तथैव, के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा।

खुदरा उभोक्ताओं से विलंबित भुगतान अधिभार, प्रयोज्य टैरिफ आदेश के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य होगा।

उत्तरोत्तर मासों मे व्यतिक्रम के लिए विलंब भुगतान अधिभार की दर में विलंब के प्रत्येक माह के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी परंतु विलंब भुगतान अधिभार किसी भी समय आधार दर से तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

परंतु वह दर जिस पर विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान किया जाएगा, करार, यदि कोई हो, में विर्निदिष्ट विलंब भुगतान अधिभार की दर से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते आगे यह कि राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियों के अन्तर्गत सक्षम सरकार द्वारा नियम अधिसूचित किए जाने तक, भुगतान प्रतिभूति तंत्र राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा इस तरह के तंत्र का निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशन, राज्य वितरण कंपनी को बिजली आपूर्ति विनियमित नहीं करेंगे।

29.2 किसी उत्पादन कंपनी या व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी को उनसे खरीदी गयी विद्युत के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रणाली किसी उपयोक्ता द्वारा पारेषण अनुप्तिधारी को सभी भुगतान सबसे पहले विलंब भुगतान अधिभार के प्रति और तत्पश्चात्, सबसे पुराने अतिदेय बिलों से आरम्भ करते हुए, मासिक प्रभारों के प्रति, समायोजित किये जाऐंगे।

29.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, को बकाया देय तथा किस्तों के संख्या जिनमें, बकाया देय का भुगतान किया जाना है, को लिखित में संप्रेषित करेगा और संप्रेषण इन नियमों के प्रख्यापन से 30 दिवस के भीतर भेजा जाएगा।

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी मास में, उस मास कि बराबर मासिक किस्त से अधिक का भुगतान भी कर सकता है।

परंतु यह कि सभी यथास्थिति, संबंधित उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को किस्तों का भुगतान, उनके वैयक्तिक बकाया देय के अनुपात पर निर्भर करते हो, यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

29.4 विनियम 29.1 में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत (विलम्ब भुगतान अधिभार और संबंधित मामाले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम, 2022) के अधीन नियत की गई किस्त के



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रतिस्थापित

अनुसार बकायों के भुगतान हेतु सहमत होता है, और इन किस्तों का समय से भुगतान करता है तो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से बकाया देय पर विलंब भुगतान अधिभार भुगतान योग्य नहीं होगा।

29.5 विनियम 29.1 के अधीन किसी किस्त के भुगतान के विलंब के मामले में, एलपीएस नियम, 2022 के अधिसूचना की तारीख को सम्पूर्ण बकाया देय पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

29.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी या किसी व्यापार कंपनी को इससे विद्युत के क्रय के लिए देय सभी बिल, बिल प्रस्तुत करने के तारीख और समय के संबंध में समय अंकित होंगे और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया भुगतान पहले सबसे पुराने बिल के लिए और फिर दूसरे सबसे पुराने बिल के लिए और फिर इसी क्रम में समायोजित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की जब तक सभी पुराने बिलों का भुगतान न कर दिया गया हो, तब तक किसी बिल के भुगतान को समायोजित नहीं किया जाएगा।

परंतु विलंब भुगतान अधिभार के लिए हुई समायोजन विनियम 29.2 में यथाविर्निदिष्ट रीति से किया जाएगा।

29.7 यदि विलंब भुगतान अधिभार से संबंधित कोई प्रावधान और कार्यप्रणाली जो एलपीएस नियम 2022 में उपलब्ध है किन्तु इस विनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए है तो ऐसे प्रावधान एलपीएस नियम 2022 के अनुसार होंगे।

आगे यह कि यदि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 या धारा 180 के अन्तर्गत प्रचलित नियमों में संशोधन करती है या कोई नया नियम बनाती है, जैस भी मामला हो, विनियमों के प्रावधानों के बावजूद, विलंब भुगतान अधिभार से संबंधित ऐसे नियम के प्रावधान लागू होंगे।][2]

## 30. विदेशी मुद्रा विनिमय दर विचलन

30.1. उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी., यथा प्रकरण तथैव, विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज तथा उत्पादन स्थानक या पारेषण या वितरण प्रणाली हेतु पूर्णतः या अंशतः विदेशी ऋणकी ऋण–वापसी के संबंध में विदेशी मुद्रा विनमय के जोखिमों से, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के स्वविवेक द्वारा, खुद का बचाव(हेज) कर सकता है।

30.2. प्रत्येक उत्पादन कम्पनी एवं एस.एल.डी.सी., मानकीय विदेशी ऋण से संगत विदेशी मुद्राविनमय दर विचलन से बचाव(हेज) की लागत, संगत वर्ष में वर्ष–प्रतिवर्ष के आधार पर व्यय के रूप में, जिस अवधि में यह देय हुआ है उसमें, वसूल करेगी तथा ऐसे विदेशी मुद्रा दर विचलन से संगत अतिरिक्त रुपये दायित्व, सुरक्षाकृत(हेज्ड) विदेशी ऋण के विरुद्ध मान्य नहीं होंगे।

30.3. जिस हद तक उत्पादन कम्पनी या एस.एल.डी.सी. या अनुज्ञप्तिधारी विदेश मुद्रा विनिमय दर विचलन के जोखिम से बचाव करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, वहाँ तक सुसंगत वर्ष में मानकीयविदेशी मुद्रा ऋण से संगत ऋण पर ब्याज तथा ऋण–वापसी के प्रति अतिरिक्त रुपये दायित्व, मान्य होगा, बशर्ते यह उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी या उनके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदारों पर डालने योग्य ना हो।

## 31. विदेशी मुद्रा विनियम दर विचलन से बचाव की लागत की वसूली–

प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और/अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी और/या राज्य भार प्रेषण केन्द्र विदेशी मुद्राविनिमय दरविचलन की लागत बचाव लागत



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रतिस्थापित

वर्षानुवर्षी आधार पर उस अवधि के लिए जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में हितग्राहियों से वसूल करेंगे।

## 32. प्रवहन (कैरिंग) लागत या धारण लागत

आयोग, वर्ष विशेष हेतु प्रवहन लागत/धारण लागत, यथा प्रकरण तथैव, की संगणना करेगा जो उस ब्याज दर पर होगा जो कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज की संगणना हेतु मान्य की जाती है।

## 33. प्रभारों के देयक तथा भुगतान

**33.1** उत्पादन कम्पनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/एस.टी.यू. द्वारा इन विनियमों के अनुसरण में मासिक आधार पर क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार हेतु देयक भेजे जायेंगे और उपभोक्ताओं द्वारा उनका भुगतान, सीधे उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/एस.टी.यू., यथा प्रकरण तथैव, को किया जायेगा।

**33.2** किसी ऐसी संयंत्र–क्षमता जिसके लिए हितग्राही को चिन्हित और अनुबंधित नहीं किया गया है, से संगत पारेषण प्रभार का भुगतान संबंधित उत्पादन कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

**33.3.** एस.एल.डी.सी. कारोबार के शुल्कों और प्रभारों के देयक और वसूली इन विनियमों के अध्याय–8 में यथा परिभाषित अनुसार होंगे।

**33.4.** खुदरा उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग का कार्य प्रचलित छत्तीसगढ़ आपूर्ति संहिता और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार किया जायेगा।

**33.5.** उस दशा में जब राज्य सरकार खुदरा उपभोक्ताओं के लिए सहायिकी (सब्सिडी) की देय राशि का भुगतान समय सीमा में और नगद में नहीं करती, तो सीएसपीडीसीएल /वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अवधारित दरों के आधार पर देयक जारी करेगा।

## 34. पेंशन कोष

**34.1.** तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल,/राज्य विद्युत कम्पनियों के ऐसे कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 से पहले हुई है के पिछले अकोषित (अन्फंडेड) दायित्व (लाईबिटीज) को पूरा करने के लिए एक पेंशन और ग्रेज्युटी ट्रस्ट निर्मित किया गया है और जिसके वित्तपोषण की अनुमति आयोग के पिछले टैरिफ आदेशों में दी गई है। इस कोष में अंशदान का निर्णय आयोग द्वारा बीमांकिक विश्लेषण, (actuarial analysis) राज्य ऊर्जा कम्पनियों के अपेक्षित पेंशन बहिर्प्रवाह (आउट–फ्लो) औरनियंत्रण अवधि के प्रत्येकवर्ष के लिए एम.वाय.टी./ए.आर.आर. के निर्धारण के समय पेंशन ट्रस्ट के पासराशि की उपलब्धता के आधार पर लिया जायेगा। पेंशन के बहिर्प्रवाह(आउट–फ्लो) की पूर्ति पेंशन तथा ग्रेच्युटीफंड से की जाएगी। आयोग द्वारा अनुमोदित पेंशन कोष अंशदान इस विनियम में विनिर्दिष्ट रूप से वसूली योग्य होगा।

परन्तु जिस समय तक एस.एल.डी.सी.एस.टी.यू. द्वारा प्रशासित है, तब तक एस.एल.डी.सी. का पेंशन एवं ग्रैच्युटी कोष के अंशदान की पूर्ति एस.टी.यू. द्वारा प्रोअनुपात (प्रो–रैटा) आधार पर की जायेगी। अनुपात निर्धारण के उद्देश्य से कर्मचारियों की संख्या हेतु, पूर्ववर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को विचार में लिया जाएगा।

## अध्याय–4

## उत्पादन

### 35. उत्पादन टैरिफ अवधारण हेतु याचिका

35.1. राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारिओं को प्रत्यक्षतः अथवा राज्य व्यापार अनुज्ञप्तिधारिओं के माध्यम से इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि अनुबंध के तहत विद्युत की आपूर्ति करने हेतु टैरिफ के अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनी याचिका दायर करेगी।

35.2. ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.01.2016 में अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2016 तथा उसके परवर्ती संशोधन के अनुपालन में उत्पादन कम्पनी को आर.ई. पावर को बंडल करने की अनुमति है।

### 36. टैरिफ के प्रत्यंग (कम्पोनेंट)

**36.1** किसी तापीय उत्पादन स्थानक से विद्युत की आपूर्ति हेतु टैरिफ दो भागों से मिलकर बनेगा, नामतः, क्षमता प्रभार (विनियम 37 में विनिर्दिष्ट घटकों से निर्मित वार्षिक निश्चित लागत की वसूली हेतु) और ऊर्जा प्रभार (ईंधन की लागत की वसूली हेतु)।

**36.2** किसी जल-विद्युत उत्पादन स्थानक से विद्युत की आपूर्ति हेतु टैरिफ, संयुक्त क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार से ऐसी रीति में निकाला जायेगा जो विनियम 46 में विनिर्दिष्ट है (विनियम 37 में संदर्भित घटकों को सम्मिलित करते हुए)।

### 37. वार्षिक स्थिर प्रभार

37.1. किसी उत्पादन स्थानक की वार्षिक स्थिर लागत(ए.एफ.सी.) में निम्नलिखित प्रत्यंग(कम्पोनेंट)होंगेः

(1) समता पूंजी पर प्रतिफल

(2) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

(3) मूल्य–ह्रास

(4) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

(5) परिचालन एवं संधारण व्यय

क. मानव संसाधन व्यय

(i) कर्मचारी व्यय

(ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव

(iii) बाहरी स्त्रोतों से नियोजित श्रमिक

ख. संधारण एवं सामान्य (एम. एंड जी.) व्यय

(6) पेंशन एवं ग्रेच्युटीफंड में अंशदान घटाईये :

(7) गैर–टैरिफ आय

(8) अन्य कारोबार से आय, इस विनियम के विनियम 42 में विनिर्दिष्ट सीमा तक

**टीप :**

1. ए.एफ.सी. की गणना करने हेतु विनियम 41 में विनिर्दिष्ट गैर–टैरिफ आय को उपरोक्त (1) से (6) केयोग में से घटाया जाएगा;
2. एस.एल.डी.सी. के प्रभारों की वसूली, इन विनियमों के अध्याय–9 के प्रावधानों के अनुसरण में अवधारित शुल्कों और प्रभारों के अनुसार की जाएगी।
3. पेंशन और ग्रेज्युटी कोष के अंशदान, आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित किये अनुसार समान मासिक किश्तों में वसूली योग्य होंगे।
4. जल प्रभार, सांविधिक कर, ड्यूटी, उपकर वास्तविक भुगतान आधार पर पार–गामी(पास–थ्रू) होंगे।
5. [2][केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्पादन कंपनी पर लागू होगा।

   परन्तु यह कि उस परिस्थिति में जब अधिनियम की धारा 62 या 63 के तहत टैरिफ के अवधारण के पश्चात् किसी विधि के संशोधन या निरसन की वजह से विधि में परिवर्तन हुआ हो, तब उत्पादन कंपनी प्रभावित पक्षकार की हैसियत से विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत प्रभावित राशि (अचर/आवर्ती) की वसूली हेतु प्रपत्रों एवं प्रक्रियाओं के एक बार अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। नियमों के अनुसरण में परिवर्ती वसूली तदनुसार की जाएगी।][2]

   परन्तु तापीय एवं जल–विद्युत उत्पादन स्थानकों मूल्य–ह्रास, ऋण–पूंजी पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभार, कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा समता पूंजी पर प्रतिफल, इस विनियम से अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार मान्य होंगे।

**38. पूंजीगत लागत**

**38.1** इन विनियमों के विनियम 18 में प्रावधानित अनुसार पूंजीगत लागत मान्य होगी

**39. अनिश्चित (इन्फर्म) विद्युत का विक्रय**

39.1. अनिश्चित विद्युत का विक्रय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर होगा; परन्तु उत्पादन कंपनी द्वारा अनिश्चित विद्युत की आपूर्ति से अर्जित कोई राजस्व, ईंधन व्ययों को हिसाब में लेने के बाद पूंजीगत लागत से समायोजित होगी।

**40. वार्षिक स्थिर प्रभार की गणना**

40.1. समता पूंजी पर प्रतिफल उत्पादन कम्पनी हेतु समता पूंजी पर प्रतिफल इन विनियमों के विनियम 23 में यथा विनिर्दिष्ट मान्य होगा।

**40.2.** ऋण पूंजी पर ब्याज उत्पादन कम्पनी हेतु ऋणपूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार, इन विनियमों के विनियम 24 में यथा विनिर्दिष्टि मान्य होंगे;

**40.3. मूल्य–ह्रास**

उत्पादन कम्पनी को स्थावर परिसम्पत्तियों की लागत पर मूल्य-ह्रास वसूल करने के लिए इन विनियमों के विनियम 25 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अनुमति दी जाएगी।



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से जोड़ा गया

## 40.4. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

उत्पादन कम्पनी हेतु कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज, इन विनियमों के विनियम 26 में यथा विनिर्दिष्टि मान्य होगा।

## 40.5. परिचालन एवं संधारण व्यय

40.5.1. मानव संसाधन व्यय

(क) उत्पादन कम्पनी हेतु मानव संसाधन व्यय में सम्मिलित होंगे :

(i) कर्मचारी लागत

(ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव

(iii) बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिक

(ख) सभी विद्यमान उत्पादन स्थानकों के लिये नियंत्रण अवधि हेतु आयोग मानव संसाधन व्यय के प्रत्येक प्रत्यंग (कम्पोनेंट) हेतु पृथकतः प्रपथ उपबंधित (स्टीपुलेट) करेगा।

(ग) मानव संसाधन व्यय में, कर्मचारी लागत, वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों के प्रति समस्त व्यय, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्यय शामिल हैं। आधार वर्ष अर्थात् एफ.वाई. 2021–22 की प्ररचना, आधार वर्ष एफ.वाई. 2021–22 से तुरंत पूर्व पांच वर्षो की लेखा–पुस्तकों में उपलब्ध वास्तविक मानव संसाधन व्यय के सामान्य औसत में से वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्ययों को हटाकर की जाएगी, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन।

(घ) मानव संसाधन व्यय का सामान्यीकरण, विगत पांच वर्षो में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगार (सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) वर्ष–प्रति–वर्ष के आधार पर किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 के शुद्ध वर्तमान मूल्य के सामान्य औसत का उपयोग आधार वर्ष एफ.वाई.2021–22 का मूल्य अनुमानित करने के लिये किया जाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु मानव संसाधन व्यय (वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्ययों, यदि कोई हो, को हटाकर) अनुमानित करने हेतु आधार वर्ष के अनुमानित मूल्य में उपरोक्त प्रसार दर से वृद्धि की जाएगी।

(ङ) वास्तविकीकरण के समय वास्तविक मानव संसाधन व्यय को विचार में लिया जाएगा जो कि प्राप्ति/हानि तंत्र के अध्यधीन नहीं होगी।

परन्तु यह कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव (बकाया भुगतान सहित) तथा पेंशन कोष के अंशदान पर वास्तविक नगद बहिर्प्रवाह (आउट–फ्लो) लेखा पुस्तकों के अनुसार मान्य होंगे जोकि दूरदर्शिता परीक्षण एवं आयोग द्वारायथोचित समझे गये अन्य किसी कारक के अध्यधीन होंगे।

(च) (सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) (अखिल भारतीय), श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, {आधार वर्ष : 2001=100} के अनुसार होगा।

40.5.2. संधारण एवं सामान्य व्यय

40.5.2.1. तापीय उत्पादन स्थानक :

(क) संधारण एवं सामान्य (एम. एंड जी.) व्यय में प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय सम्मिलित होंगे।

(ख) मरम्मत एवं संधारण व्यय

नियंत्रण अवधि हेतु एम. एण्ड जी. व्यय का वर्षवार परिकलन, 3.5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी सहित, निम्नानुसार है।

(लाख रुपये / एमडब्ल्यू में)

| वर्ष | 200 / 210 / 250 एम.डब्ल्यू श्रंखला | 300 / 330 / 350 एम.डब्ल्यू श्रंखला | 500 एम.डब्ल्यू श्रंखला | 600 एम.डब्ल्यू श्रंखला | 800 एम.डब्ल्यू तथा अधिक |
|---|---|---|---|---|---|
| एफ.वाई. 2022—23 | 18.65 | 15.69 | 12.73 | 11.46 | 10.31 |
| एफ.वाई. 2023—24 | 19.30 | 16.24 | 13.18 | 11.86 | 10.67 |
| एफ.वाई. 2024—25 | 19.97 | 16.80 | 13.64 | 12.28 | 11.05 |

वास्तविकीकरण के समय ए. एंड जी. तथा आर. एंड एम. व्यय को, वर्ष—प्रति—वर्ष के आधार पर डब्ल्यू.पी.आई. को 40 प्रतिशत तथा सी.पी.आई. को 60 प्रतिशत वजन (वेटेज) के आधार पर वास्तविक मुद्रा—प्रसार (इन्फ्लेशन) को हिसाब में लेने के पश्चात् विचार में लिया जाएगा।

**परन्तु** यह और भी कि कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानक में उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के बाबत ओ. एंड एम.व्यय, उसकी वाणिज्यिक परिचालन दिनांक पर, मान्य किये गये पूंजीगत व्यय (आई.डी.सी. एवं आई.ई.डी.सी. को छोड़कर) का 2 प्रतिशत होगा जिसमें टैरिफ अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की जाएगी, उपरोक्तानुसार वास्तविकीकरण के अध्यधीन।

**परन्तु** यह कि सभी प्रकरणों में विधि में परिवर्तन / अनुपालन या किसी सांविधिक प्राधिकारी के दिशा—निर्देशों में कोई परिवर्तन की वजह से निर्वहित अतिरिक्त ओ. एंड एम. व्यय, जिसमें राख के सदुपयोग पर व्यय (अतिरिक्त पूंजीकरण में समाहित नहीं) सम्मिलित है किन्तु केवल उस तक सीमित नहीं है, टैरिफ आदेश में मान्य किये गये ओ. एंड एम. प्रभार से अधिक एवं ऊपर पार—गामी (पास—थ्रू) होगा।

समस्त वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक संख्याएँ, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय के अनुसार, होंगी {आधार वर्ष रू 2011—12 श्रृंखला}।

(सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) (अखिल भारतीय), श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, {आधार वर्ष रू 2001=100} के अनुसार होगा।

**परन्तु** जल—प्रभार वास्तविक प्रति—भुगतान के आधार पर टैरिफ में पार—गामी(पास—थ्रू) होगा।

**40.5.2.2. विद्यमान जल—विद्युत उत्पादन स्थानकों हेतु**

क) उत्पादन कम्पनी हेतु संधारण एवं सामान्य व्यय (एम. एंड जी.) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i) प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

(ii) मरम्मत एवं संधारण व्यय

ख) नियंत्रण अवधि हेतु आयोग एम. एंड जी. व्यय के प्रत्येक प्रत्यंग(कम्पोनेंट) नामतः आर. एंड एम. तथा ए. एंड जी. व्यय हेतु पृथकतः प्रपथ उपबंधित(स्टीपुलेट) करेगा।

ग) आधार वर्ष अर्थात् एफ.वाई. 2021—22 हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (ए. एंड जी.) तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय (आर. एंड एम.), आधार वर्ष एफ.वाई. 2021—22 से तुरंत पूर्व पांच(5) वर्षों की लेखा पुस्तकों में उपलब्ध, वास्तविक प्रशासनिक व्यय एवं सामान्य

व्यय (जल–प्रभार को छोड़कर) तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय क्रमवार के सामान्यीकृत औसत के आधार पर, प्रचित किया जाएगा जोकि आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, होंगे।

घ) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (ए. एंड जी.) तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय (आर. एंडएम.) का सामान्यीकरण, विगत पांच वर्षो में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक (सी.पी. आई.(आई.डब्ल्यू.)) वर्ष–प्रति–वर्ष के आधार पर किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 के शुद्ध वर्तमान मूल्य के सामान्य औसत का उपयोग आधार वर्ष एफ. वाई. 2021–22 का मूल्य अनुमानित करने के लिये किया जाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (ए. एंड जी.) तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय (आर. एंड एम.) अनुमानित करने हेतु आधार वर्ष के अनुमानित मूल्य में उपरोक्त प्रसार दर से वृद्धि की जाएगी।

(ङ) वास्तविकीकरण के समय प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय, उस अवधि की वास्तविक मुद्रा–प्रसार(इन्फ्लेशन) को हिसाब में लेने के पश्चात् विचार में लिये जाएंगे, नांकि पूर्वानुमानित मुद्रा–प्रसार (इन्फ्लेशन ) को लेकर।

परन्तु जल प्रभार वास्तविक भुगतान के आधार पर टैरिफ में पार–गामी(पास–थ्रू) होगा।

परन्तु यह भी कि सभी प्रकरणों में विधि में परिवर्तन या सांविधिक प्राधिकारी के दिशा–निर्देशों की वजह से हुई अतिरिक्त एम. एंड जी. लागत, टैरिफ आदेश में मान्य एम. एंड. जी. प्रभारों के ऊपर एवं अधिक (ओवर एंड अबव) पार–गामी(पास–थ्रू) होगी।

**40.5.3. नवीन तापीय उत्पादन स्थानकों हेतु :**

ओ. एंड एम. व्यय सी.ई.आर.सी. (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 का 90 प्रतिशत होगा। यह एच. आर. व्यय तथा एम. एंड जी. व्यय समेत होगा। कार्यशील पूंजी की संगणना या अन्य किसी विचार से, यथा प्रकरण तथैव, एच. आर. व्यय एवं एम. एंड जी. व्यय का अनुपात 40 : 60 विचार में लिया जाएगा।

परन्तु यह कि एफ. वाई. 2024–25 हेतु उसूल(नॉर्म) जो सी.एस.ई.आर.सी. (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2021 संग विहित नहीं है,उक्त विनियम के एफ. वाई. 2023–24 के उसूल पर 3.5ः बढ़ती के कारक द्वारा प्रचित किया जाएगा।

**40.5.4. नवीन जल–विद्युत उत्पादन स्थानकों हेतु**

क) परिचालन के प्रथम वर्ष हेतु ओ.एंडएम. व्यय, मूल परियोजना लागत (पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों की लागत को छोड़कर) का 1.25% होगा।

ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ओ. एंड एम. व्यय की, आधार वर्ष हेतु यथोपरि अवधारित परिचालन के प्रथम वर्ष हेतु, को विनियम 40.5.2.2 में विहित बढ़ती के कारक के अनुसार, वृद्धि कर दी जाएगी।

**41. गैर–टैरिफ आय**

41.1 उत्पादन कम्पनी के व्यापार से आनुषांगिक कोई आय जिनमें अग्रांकित सम्मिलित है किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामाग्री के विक्रय (परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास एवं विक्रय/क्रियाविराम/ ध्वस्तीकरण लागत के समायोजन के उपरांत) से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदाय कर्ताओं/संविदा कर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, राखड़/विचयनित कोयले की बिक्री से आय, जिप्सम अथवा किसी अन्य उप–उत्पाद के विक्रय से आय और विद्युत के विक्रय से आय को छोड़कर अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ सम्मिलित है, गैर–टैरिफ आय निर्मित करेगी।

41.2 उत्पादन के कारोबार से संबंधित गैर टैरिफ आय के राशि, आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार उत्पादन कम्पनी के वार्षिक निश्चित प्रभार को निर्धारित करते समय वार्षिक निश्चित लागत में से घटा दी जायेगी;

परन्तु, उत्पादन कम्पनी द्वारा गैर टैरिफ आय का अपना अनुमान आयोग को ऐसे प्रारूप में पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए।

परन्तु समेकित खदान हेतु गैर–टैरिफ आय इन विनियमों के अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुसार विचार में ली जाएगी।

42. **अन्य कारोबार से आय**

जहाँ उत्पादन कम्पनी अपनी उत्पादन परिसम्पत्तियों का उपयोग करते हुए किसी अन्य कारोबार, समेकित खदान से कोयले का व्यापारिक विक्रय सहित, में संलिप्त होती है, वहाँ ऐसी कारोबार से अर्जित आय उत्पादक एवं हितग्राही के मध्य निम्नांकित रीति से विभाजित की जाएगी :

क) ऐसे अन्य कारोबार से आय का दो–तिहाई हिस्सा सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दिया जाएगा।

ख) ऐसे अन्य कारोबार से आय का एक–तिहाई हिस्सा उत्पादन कम्पनी के द्वारा रखा जाएगा।

43. तापीय उत्पादन स्थानक के परिचालन के मानक

43.1. स्थिर प्रभारों की वसूली हेतु मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एन.ए.पी.ए.एफ.):–

क) सभी तापीय उत्पादन स्थानक, एच.टी.पी.एस और ए.बी.वी.टी.पी.एस. के आलावा – 85%

ख) हसदेव तापीय विद्युत स्थानक कोरबा (एच.टी.पी.एस.) और ए.बी.वी.टी.पी.एस. हेतु एन.ए.पी.ए.एफ. निम्नानुसार है :

| एफ.वाई. | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|
| एच.टी.पी.एस. | 79% | 78% | 76.5% |
| ए.बी.वी.टी.पी.एस. | 79% | 82% | 85% |

परन्तु यह कि लाभ के बंटवारे के उद्देश्य से, सीएसपीजीसीएल द्वारा एचटीपीएस और एबीवीटीपीएस के लिए, एनएपीएएफ क्रमशः 80 प्रतिशत और 85 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में लाभ के हिस्से को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

43.2. मानकीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (एन.ए.पी.एल.एफ.) :–

क) सभी तापीय उत्पादन स्थानक, एच.टी.पी.एस. के आलावा – 85%

ख) हसदेव तापीय विद्युत स्थानक कोरबा (एच.टी.पी.एस.) – 80%

43.3. सकल स्थानक उष्मा दर

(1) विद्यमान तापीय उत्पादन स्थानक

(क) विद्यमान कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानक, एच.टी.पी.एस. के अलावा :

| 200 / 210 / 250 एम. डब्ल्यू. सेट्स | 300 एम.डब्ल्यू. / 500 एम.डब्ल्यू. सेट्स(सब–क्रिटिकल) |
|---|---|
| 2430 Kcal / Kwh | 2390 Kcal / Kwh |

(ख) हसदेव तापीय विद्युत स्थानक कोरबा (4 x 210 एम.डब्ल्यू.), जी.एस.एच.आर. 2650 Kcal / kWh

**टीप 1:** **300** मेगावॉट और उससे ऊपर की ईकाइयों में जहॉ बायलर फीड पंप विद्युत से परिचालित होते हैं, वहॉ सकल स्थानक ऊष्मा दर ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानक ऊष्मादर से 40 किलोकैलारी / के.डब्ल्यू एच.कम होगी।

**टीप 2:** ऐसे उत्पादन स्थानक जहॉ 200 / 210 / 250 मेगावॉट सेट्स का संयोजन है और 500 मेगावॉट और उससे ऊपर के सेट्स वहां मानकीय सकल उत्पादन स्थानक ऊष्मा दर, इनसंयोजनों के भारांकित औसत सकल स्थानक ऊष्मा दर के बराबर होगा;

(2) नवीन उत्पादन स्थानक जो 01.04.2022 को या उस के बाद सी.ओ.डी. हासिल करेंगेतथा कोई विद्यमान उत्पादन स्थानक जिनके वास्ते इस आयोग के द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु परिचालन के मानकतय नहीं किये गये हैं।

कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानक =1.05 X विन्यास (डिज़ाइन) उष्मा दर (Kcal /kWh)

जहाँ इकाई की विन्यास उष्मा दर से अभिप्रेत है दृ 100ः एम्.सी.आर. शून्य प्रतिशत मेकअप, विन्यास शीतलन जल तापमान / पृष्ठ दबाव पर आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्याभूत इकाई उष्मा दर,

परन्तु विन्यास उष्मा दर निम्नलिखित अधिकतम विन्यास इकाई उष्मा दर जोकि इकाई की दबाव एवं तापमान दरांकन(रेटिंग) पर निर्भर है, से अधिक नहीं होगीः

| दबाव रेटिंग (के.जी / वर्ग से.मी.) | 150 | 170 | 170 | 247 | 247 | 270 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस.एच.टी. / आर.एच.टी (°सी) | 535 / 535 | 537 / 537 | 537 / 565 | 537 / 565 | 565 / 593 | 593 / 593 | 600 / 600 |
| बी.एफ.पी. का प्रकार | विद्युत चालित | टरबाईन चालित | टरबाईन चालित | टरबाईन चालित | टरबाईन चालित | टरबाईन चालित | टरबाईन चालित |
| अधिक तमटरबाईन चक्र ऊष्मादर (किलो कैलोरी / के.डब्ल्यू एच.) | 1955 | 1950 | 1935 | 1900 | 1850 | 1810 | 1800 |
| न्यूनतम बायलर दक्षता | | | | | | | |
| उप बिटुमिनस भारतीय कोयला | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.865 | 0.865 |
| बिटुमिनस आयातित कोयला | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.895 | 0.895 |
| अधिकतम विन्यास इकाईऊष्मादर (किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.) | | | | | | | |
| उप बिटुमिनस भारतीय कोयला | 2273 | 2267 | 2250 | 2222 | 2151 | 2105 | 2081 |
| बिटुमिनस आयातित कोयला | 2197 | 2191 | 2174 | 2135 | 2078 | 2034 | 2022 |

परन्तु यह भी कि जब इकाई के दबाव और तापमान के मापदंड उपरोक्त दरांकन(रेटिंग) से भिन्न हों, तब निकटतम श्रेणी के अधिकतम विन्यास इकाई उष्मा दर को लिया जाएगा।

परन्तु, यह और भी कि जहां इकाई ऊष्मा दर गारंटीकृत नहीं है लेकिन उसी आपूर्तिकर्ता या भिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ऊष्मा दर और बायलर की दक्षता पृथक से गारंटीकृत है, वहां इकाई विन्यास उष्मा दर निकालने के लिए गारंटीकृत टरबाईन चक्रिय ऊष्मा दर और बायलर दक्षता का उपयोग किया जायेगा;

**टीपः** ऐसी इकाईयों जहां बायलर के फीड पंप विद्युत से परिचालित होते हैं वहां अधिकतम विन्यास इकाई ऊष्मा दर, ऊपर विनिर्दिष्ट टरबाईन चलित बी.एफ.पी. की अधिकतम विन्यास इकाई ऊष्मा दर से 40 (किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.) कम होगी।

43.4 **द्वितीयक ईंधन तेल की खपतः**

कोयला आधारित उत्पादन स्थानकों (एचटीपीएस के अलावा) हेतु : 0.50 एम.एल./के.डब्ल्यू.एच

एचटीपीएस हेतु : 0.80 एम.एल./के.डब्ल्यू.एच

43.5 **सहायक विद्युत खपतः**

(क) एच.टी.पी.एस. कोछोड़कर, कोयलाआधारितउत्पादन स्थानकों के लिए:

| | | नैसर्गिकसूखी (नेचुरल ड्राउट) कूलिंगटॉवर या बिनाकूलिंगटॉवर के |
|---|---|---|
| (i) | 200 मेगावॉट श्रेणी | 8.50% |
| (ii) | 500 मेगावॉट से ऊपर | |
| | वाष्प चलित बायलर फीड पंप | 5.25% |
| | विद्युत चलित बायलर फीड पंप | 7.75% |

परन्तु, यह कि कम शुष्क (इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट) कूलिंग टॉवर वाले ताप विद्युत उत्पादन स्थानक तथा जहाँ नलिका किस्म की कोयला चक्की(मिल) का उपयोग किया जाता है उनके लिए मानकों में क्रमानुगत 0.5% और 0.8% की और भी वृद्धि की जायेगी;

परन्तु आगे यह भी कि शुष्क शीतलन प्रणाली युक्त संयंत्रो के अतिरिक्त सहायक ऊर्जा खपत निम्नानुसार मान्य होगी :

| शुष्कशीतलन प्रणाली की किस्म | (सकल उत्पादन का :) |
|---|---|
| यांत्रिकी चलित पंखों युक्त प्रत्यक्ष शीतलन वायु द्वारा शीतल शीतलन यंत्र | 1.0% |
| अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली जिसमेप्रतिदाबटरबाइन तथा प्राकृतिक टावर युक्त जेटशीतलन यंत्र हो | 0.5% |

(ख) सी.जी.पी.जी.सी.एल. के हसदेव तापविद्युत स्थानकों के लिए 9.70% पर निश्चित किया गया है।

(ग) तापीय उत्पादन स्थानकों की उत्सर्जन प्रणाली हेतु सहायक ऊर्जा खपत (ऑक्स–ई.एन) के मानक्:

| तकनीक का नाम | ऑक्स–ई.एन. (सकल उत्पादन के : के रूप में) |
|---|---|
| (1) सल्फर डायऑक्साइड के उत्सर्जन के ऑक्सीजन पृथक्करण हेतु : | |
| (क) गीले चूना–पत्थर आधारित एफ.जी.डी. प्रणाली (गैस से गैस उष्मक के बगैर) | 1.00% |
| (ख) चूना छिडकाव शुष्कक या अर्ध–शुष्क एफ.जी.डी. प्रणाली | 1.00% |
| (ग) शुष्क विलयन प्रवेश प्रणाली (सोडियम बाई कार्बोनेट उपयोग करके) | निरंक |

| | |
|---|---|
| (घ) सी.एफ.बी.सी. विद्युत संयंत्र (भट्टी प्रवेश) | निरंक |
| (ङ) समुद्री–जल आधारित एफ.जी.डी. प्रणाली (गैस से गैस उष्मीकरण के बगैर) | 0.7% |
| (2) नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन के ऑक्सीजन पृथक्करण हेतु : | |
| क) चुनिंदा गैर–उत्प्रेरकीय ऑक्सीजन पृथक्करण प्रणाली | निरंक |
| ख) चुनिंदा उत्प्रेरकीय ऑक्सीजन पृथक्करण प्रणाली | 0.2% |

परन्तु जहाँ तकनीकी "गैस से गैस" उष्मकसहित स्थापित की गयी है, वहाँ ऊपर विनिर्दिष्टऑक्स–ई.एन. को सकल उत्पादन के 0.3% के बराबर बढ़ा दिया जाएगा।

### 43.6. मार्गस्थ तथा रक्षण हानियाँ

कोयला आधारित उत्पादन स्थानकों, डी.एस.पी.एम. को छोड़कर, हेतु नियंत्रण अवधि के लिए मार्गस्थ एवं रक्षण (हैंडलिंग)की हानियाँ उस माह के दौरान कोयला आपूर्ति कम्पनी द्वारा प्रेषित देशी कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार रहेंगी:–

(i) गर्तमुख (पिट हैड) उत्पादन स्थानकों हेतु : 0.20%

(ii) गैर–गर्तमुख (नॉन–पिट हैड) उत्पादन स्थानकों हेतु : 0.80%

परन्तु डी.एस.पी.एम. हेतु, विगत कार्य–निष्पादन के आधार पर मार्गस्थ एवं रक्षण हानियाँ 0.20% तक सीमित की गयीं हैं।

परन्तु उपरोक्त मानक, अंतर्देशीय (डोमेस्टिक) कोयले तथा/या धुले हुए कोयले के लिये लागू होंगे, आयातित के प्रकरण में मानकीयमार्गस्थ एवं रक्षण हानियाँ 0.15% होंगी।

परन्तु यह भी कि सुपुर्दगी (डेलिवरी) आधार पर मंगवाये गये कोयले हेतु कोई मार्गस्थ एवं रक्षण हानियाँ मान्य नहीं होंगी।

समेकित खदानों के प्रकरण में मार्गस्थ एवं रक्षण (हैंडलिंग) हानियाँ, प्रकरण–दर–प्रकरण के आधार पर तय की जायेंगी, दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन।

43.7. जो उत्पादक कुल निवल (नेट) विद्युत–शक्ति राज्य के डिस्कॉम को आपूर्ति करते हैं, उन्हें यदिएस.एल.डी.सी. की ओर से बैकिंगडाउन का निर्देश दिए जाने की स्थिति में, राज्य ग्रिड कोड के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार एस.एच.आर. एवं सहायक खपत पर पुनर्विचार किया जाएगा।

परन्तु राज्य ग्रिड कोड में मानकों के अभाव की स्थिति में एस.एच.आर. एवं सहायक खपत के अवधारण हेतु सी.ई.आर.सी. द्वारा अधिसूचित विनियमों को अपनाया जाएगा।

43.8. प्रतिकारक (रीएजेंट) की खपत हेतु मानक

(1) सल्फर डाईऑक्साइड के उत्सर्जन के ऑक्सीजन पृथक्करण हेतु विभिन्न तकनीकों हेतु विशिष्ट प्रतिकारक की मानकीय खपत निम्नानुसार होगी :

(क) **गीले चूना–पत्थर आधारित ऊष्ण गैस वी–सल्फरीकरण (एफ.जी.डी.) प्रणाली:** विशिष्ट चूना–पत्थर खपत (जी./के.डब्ल्यू.एच.) निम्नलिखित सूत्र से परिगणित की जाएगी:

[KxSHRxS / CVPF] x [85/LP]

जहाँ

S = सल्फर की मात्रा, प्रतिशत में

LP = चूना पत्थर की शुद्धता,प्रतिशत में

SHR = सकल स्थानक उष्मा दर,ाब्संप्रति ीी में

CVPF = विनियम 45.5 के अनुसार कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानकों हेतु प्राप्त कोयले का भारांकित औसत सकल कैलोरिफिक मान, kCal प्रति Kg में

परन्तु उन इकाईओं हेतु जिन्हें 100/200 mg/Nm3 का SO2 उत्सर्जन मानक का अनुपालन करना है K का मान (35.2 x डिजाईन SO2 रिमूवलएफिसिएंसी /96%) के समतुल्य होगा।

परन्तु यह भी की चूना–पत्थर की शुद्धता 85 प्रतिशत से कम नहीं होगी या जैसा आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में तय किया जाए, दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन।

(ख) चूना छिडकाव शुष्कक या अर्ध–शुष्क ऊष्ण गैस वि–सल्फरीकरण (एफ.जी.डी.) प्रणाली हेतु : विशिष्ट चूना खपत, चूने की न्यूनतम शुद्धता (एल.पी.) यथा 90% पर या अधिक, सूत्र [6 X 90 / LP] g/kWh का उपयोग करते हुए, परिगणित की जाएगी।

(ग) शुष्क विलयन प्रवेश प्रणाली (सोडियम बाई कार्बोनेट उपयोग करके) हेतु : सोडियम बाईकार्बोनेट की विशिष्ट खपत 12 g प्रति kWh, 100% शुद्धता पर होगी।

(घ) सी.एफ.बी.सी. तकनीकी (भट्टी प्रवेश) आधारित उत्पादन स्थानक हेतु रूसी.एफ.बी.सी. तकनीकी (भट्टी प्रवेश) आधारित उत्पादन स्थानक हेतु विशिष्ट चूना पत्थर खपत की संगणना इस सूत्र से की जाएगी : [62.9 X S X SHR / CVPF ] X [85 / LP}

जहाँ

S = सल्फर की मात्रा, प्रतिशत में

LP = चूना पत्थर की शुद्धता,प्रतिशत में

SHR = सकल स्थानक उष्मा दर, kCal प्रति kWh में

CVPF = विनियम 45.5 के अनुसार कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्थानकों हेतु प्राप्त कोयले का भारांकित औसत सकल कैलोरिफिक मान, kCal प्रति Kg में

(ङ) समुद्री–जल आधारितऊष्ण गैस वि–सल्फरीकरण (एफ.जी.डी.) प्रणाली हेतु रूसमुद्री–जल आधारित ऊष्ण गैस वि–सल्फरीकरण (एफ.जी.डी.) प्रणालीमें उपयोग किया गया प्रतिकारक (रिएजेंट) निरंक होगा।

(2) नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन के ऑक्सीजन पृथक्करण हेतु विभिन्न तकनीकों हेतु विशिष्ट प्रतिकारक (रिएजेंट) की मानकीय खपत निम्नानुसार होगी :

(क) चुनिंदा गैर–उत्प्रेरकीय ऑक्सीजन पृथक्करण (एस.सी.एन.आर.) प्रणाली : एस.सी.एन.आर. प्रणाली हेतु विशिष्ट यूरिया खपत 1.2g प्रति kWh, यूरिया की 100% शुद्धता पर होगी।

(ख) चुनिंदा उत्प्रेरकीय ऑक्सीजन पृथक्करण (एस.सी.आर.) प्रणाली : एस.सी.आर. प्रणाली हेतु विशिष्ट अमोनिया खपत 0.6g प्रति kWh, अमोनियाकी 100% शुद्धता पर होगी।

**44. जल–विद्युत उत्पादन स्थानक हेतु परिचालन के मानक**

44.1. टैरिफ अवधारण के वास्ते, सकल उत्पादन को, संयंत्र अनुमोदित विन्यास ऊर्जा के रूप में, विचार मेंलिया जाएगा।

44.2. टैरिफ अवधारण के वास्ते, विन्यास ऊर्जा की तुलना में सकल उत्पादन के संबंध में विशेष परिस्थितियों यथा असामान्य तलछट(सिल्ट) समस्या या अन्य परिचालन की दशाएँ तथा ज्ञात संयंत्र सीमाएँ, में आयोग द्वारा और भी वृति दी जा सकती है।

44.3. नवीन जल–विद्युत उत्पादन परियोजना के प्रकरण में विकासकर्ता के पास, प्रचलित केन्द्रीय आयोगविनियमों में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर पहले से ही एन.ए.पी.ए.एफ. निश्चित करवाने की लिये आयोग से आग्रह करने का विकल्प होगा।

सहायक ऊर्जा खपत (ऑक्स)

| स्थानक की किस्म | स्थापित क्षमता, 200 एम.डब्ल्यू से अधिक | स्थापित क्षमता, 200 एम.डब्ल्यू तक |
|---|---|---|
| **धरातल** | | |
| घूर्ण आवेशीकरण | 0.7% | 0.7% |
| स्थिर | 1.0% | 1.2% |
| **भूमिगत** | | |
| घूर्ण आवेशीकरण | 0.9% | 0.9% |
| स्थिर | 1.2% | 1.3% |

45. तापीय उत्पादन स्थानकों हेतु क्षमता प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की संगणना एवं भुगतान

45.1. तापीय उत्पादन स्थानक की स्थिर लागत, वार्षिक आधार पर मानकों के आधार पर जिनमें इस विनियम में विनिर्दिष्ट शिथिल मानक सम्मिलित हैं, संगणितकी जाएगी तथा मासिक आधार पर क्षमता प्रभार की मद में वसूल की जाएगी। उत्पादन स्थानक हेतु देय कुल क्षमता प्रभार, उसके हितग्राहियोंमें, उत्पादन स्थानक की क्षमता में उनके संबंधित हिस्से (प्रतिशत) / आबंटन के अनुसार बांटे जाएंगे।

45.2. किसी कैलेण्डर माह हेतु तापीय उत्पादन स्थानक को देय क्षमता प्रभार निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार परिगणित किये जाएंगे :

$CC_1$ = (AFC/12) x ($PAF_1$ / NAPAF), (AFC/12) की सीमा के अधीन

$CC_2$ = (AFC/6) x ($PAF_2$ / NAPAF), (AFC/6) – $CC_1$की सीमा के अधीन

$CC_3$ = (AFC/4) x ($PAF_3$ / NAPAF), (AFC/4) – ($CC_1$ + $CC_2$)की सीमा के अधीन

$CC_4$ = (AFC/3) x ($PAF_4$ / NAPAF), (AFC/3) – ($CC_1$+ $CC_2$+ $CC_3$)की सीमा के अधीन

$CC_5$ = (AFC x 5/12) x ($PAF_5$ / NAPAF), (AFC x 5/12) – ($CC_1$+ $CC_2$+ $CC_3$+ $CC_4$) की सीमा के अधीन

$CC_6$ = (AFC/2) x ($PAF_6$ / NAPAF), (AFC/2) – ($CC_1$+ $CC_2$+ $CC_3$+ $CC_4$+ $CC_5$) की सीमा के अधीन

$CC_7$ = (AFC x 7/12) x ($PAF_7$ / NAPAF), (AFC x 7/12) – ($CC_1$+ $CC_2$+ $CC_3$+ $CC_4$+ $CC_5$+ $CC_6$) की सीमा के अधीन

$CC_8$ = (AFC x 2/3) x ($PAF_8$ / NAPAF), (AFC x 2/3) – ($CC_1$+ $CC_2$+ $CC_3$+$CC_4$+ $CC_5$+ $CC_6$+ $CC_7$)की सीमा के अधीन

$CC_9$ = (AFC x 3/4) x ($PAF_9$ / NAPAF), (AFC x 3/4) – ($CC_1$+ $CC_2$+ $CC_3$+$CC_4$+ $CC_5$+ $CC_6$+ $CC_7$+ $CC_8$) की सीमा के अधीन

$CC_{10}$ = (AFC x 5/6) x ($PAF_{10}$ / NAPAF ), (AFC x 5/6) – ($CC_1$+ $CC_2$+$CC_3$+ $CC_4$+ $CC_5$+ $CC_6$+ $CC_7$+ $CC_8$+ $CC_9$) की सीमा के अधीन

$CC_{11}$ = (AFC x 11/12) x ($PAF_{11}$ / NAPAF), (AFC x 11/12) – ($CC_1$+$CC_2$+ $CC_3$+ $CC_4$+ $CC_5$+ $CC_6$+ $CC_7$+ $CC_8$+ $CC_9$+ $CC_{10}$) की सीमा के अधीन

$CC_{12}$ = (AFC) x ( PAFY / NAPAF ), (AFC) – ($CC_1$+ $CC_2$+ $CC_3$+ $CC_4$+$CC_5$+ $CC_6$+ $CC_7$+ $CC_8$+ $CC_9$+ $CC_{10}$+ $CC_{11}$)[1] की सीमा के अधीन

किसी उत्पादन स्थानक अथवा उसकी किसी इकाई, यथा प्रकरण तथैव, जो नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बंद है के प्रकरण में उत्पादन कंपनी को वार्षिक स्थिर लागत भागत : वसूल करने की अनुमति दी जाएगी जिसमें परिचालन और संधारण व्यय तथा ऋण पर ब्याज मात्र सम्मिलित होंगे।

जहां,

AFC = उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, (Annual fixed cost) रूपयों में

NAPAF = मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धताकारक] (Normative Annual plant availability factor) प्रतिशत में

$PAF_M$ = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (plant availability factor), प्रतिशत मे

PAFY = वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (plant availability factor), प्रतिशत में

जहाँ $CC_1$, $CC_2$, $CC_3$, $CC_4$, $CC_5$, $CC_6$, $CC_7$, $CC_8$, $CC_9$, $CC_{10}$, $CC_{11}$ और $CC_{12}$ क्रमशः 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th वें माह की क्षमता हैं।

45.3. माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक और वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसरण में की जाएगी :–

जहां,

$$PAFM \text{ or } PAFY = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DC_i / \{N \times IC \times (100 - AUXn - AUXen)\}\%$$

AUXn = से तात्पर्य है, मानकीय सहायक ऊर्जा उपभोग, जो सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हो, और

AUXen = से तात्पर्य है, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु मानकीय सहायक ऊर्जा उपभोग, जो सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हो, और

DCi = से तात्पर्य है, उस अवधि के iवेंदिन के लिए (मेगावाट में) औसत घोषित क्षमता (एक्सबस मेगावाट में) अर्थात यथास्थिति, वह माह अथवा वर्ष, जिसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिन के पूरा होने के पश्चात् प्रमाणित किया जाए ।

IC = से तात्पर्य है, उत्पादन स्थानक की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = से तात्पर्य है, उस अवधि अर्थात यथास्थिति माह अथवा वर्ष के दौरान दिनों की संख्या।

**टीप–** डी.सी.आई. और आई.सी. में ऐसी उत्पादन इकाइयों की क्षमता सम्मिलित नहीं रहेगी, जिन्हें वाणिज्यिक परिचालनाधीन घोषित नहीं किया गया है। संबंधित अवधि में जहां आई.सी. में कोई परिवर्तन होता है वहां इसका औसत मान (एवरेज वेल्यू) लिया जाएगा।

[2][**45.3क** जहां किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ईंधन की कमी हो जाती है वहां उत्पादन कंपनी अधिकतम मांग के घंटों के दौरान उच्चतर मेगावाट का प्रदाय प्रस्तावित कर सकती है, जिससे ऑफ पीक घण्टों के दौरान ईंधन की बचत हो सके। उस स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र के लिए, हितग्राहियों के परामर्श से, एक व्यावहारिक दिवस पूर्व, अनुसूची विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे इसकी मेगावाट और विद्युत क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके । ऐसी स्थिति में औसत घोषित क्षमता को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उस दिन के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूची में अधिकतम पीक अवर एक्स पॉवर प्लाण्ट मेगावाट के समतुल्य लिया जाएगा।][2]

45.4. उत्पादन स्थानक या उसकी कोई इकाई को, विनियम 43.1. में यथाविनिर्दिष्ट मानकीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (एन.ए.पी.एल.एफ.) से संगत एक्स–बस ऊर्जा से अधिक अनुसूचित उत्पादन से संगत एक्स–बस अनुसूचित ऊर्जा हेतु 60 पैसे/kWh की सपाट दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

45.5. ऊर्जा प्रभार में ईंधन की लागत (प्राथमिक ईंधन के साथ–साथ द्वितीयक ईंधन भी) सम्मिलित होगी, और प्रत्येक हितग्राही द्वारा उसे एक्स पॉवरप्लाण्ट आधार पर, उस माह की विद्युत प्रभार दर पर उस कैलेण्डर माह के दौरान कुल प्रदाय हेतु अनुसूचित विद्युत के लिए भुगतान योग्य होगी। उत्पादन कंपनी को किसी माह के लिए कुल भुगतान योग्य ऊर्जा प्रभार इस प्रकार होंगे:–

(ऊर्जा प्रभार दर, प्रति kWh रूपयों में)×(माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्सबस), kWh में)

विद्युत प्रभार की दर प्रति kWh रूपयों में एक्स पॉवर प्लाण्ट आधार पर कोयला आधारित केन्द्रों के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुरूप 3 दशमलव स्थानों तक निर्धारित की जाएगी:–

$$ECR=[\{(GHR - SFC \times CVSF) \times LPPF / CVPF\} + SFC \times LPSFi] \times 100 / (100 - AUX)$$

जहां,

AUX = मानकीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में

(क) उत्पादन स्थानक पर प्राप्त प्राथमिक ईंधन का सकल कैलो रिफिक मान, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रतिमानक घन मीटर, यथाप्रयोज्य

CVPF = दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन परन्तु जहाँ, ''यथा–प्राप्त'' आधार पर नमूना लेने की व्यवस्था नहीं रखी गई है, वहाँ प्राप्त कोयले की जी.सी.वी., ''यथा देयककृत (बिल्ड)'' कोयले की जीसीवी से संगणित की जा सकेगी

कुल नमी की संगणना सी.ई.आर.सी. के निम्नलिखित सूत्र से की जाएगी :

$$\frac{GCVx\ (1-TM)}{(1-IM)}$$

जहाँ,

GCV = कोयले का सकल कैलॉरिफिक मान



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से जोड़ा गया

TM = कुल नमी

IM = अंतर्निहित नमी

(ख) उत्पादन स्थानक पर प्राप्त प्राथमिक ईंधन का सकल कैलॉरिफिक मान का भारंकित औसत, किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम में, कोयला आधरित स्थानकों हेतु घटाएँ 85 Kcal/Kg, उत्पादन स्थानक पर भण्डारण के दौरान विचलन बाबत

(ग) विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कोयले को मिलाने (मिश्रित करने) के प्रकरण में प्राथमिक ईंधन का भारंकित औसत कैलॉरिफिक मान मिश्रण अनुपात में परिगणित किया जाएगा।

CVSF = द्वितियक ईंधन का कैलोरिफिक मान, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में

ECR = ऊर्जा प्रभार दर, प्रति बाहर भेजी गई किलोवाट अव्हर प्रति रूपयों में

GHR = स्कल स्थानक ऊष्मा दर, (ग्रास स्टेशनहिट रेट) किलो कैलोरी प्रति किलोवाट अव्हर में

LPPF = प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, उस माह के दौरान प्रति किलोग्राम, यथाप्रयोज्य प्रतिलीटर या प्रतिमानक घनमीटर, रूपयों में

SFC = विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट अव्हर में

LPSFi = द्वितीयक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्तिमूल्य रूपये प्रति मिलीलीटर में प्रारंभिक रूप से विचार में लिया गया।

परन्तु यह कि विभिन्न स्रोतों से ईंधन के सम्मिश्रण के मामले में, प्राथमिक ईंधन की भारित औसत, उतराई लागत सम्मिश्रण अनुपात पर विचार करके निकाली जाएगी।

[1][विलोपित][1]

45.6. यद्यपि द्वितीयक ईंधन का मूल्य विचलनीय लागत (वेरिएबल कॉस्ट) का एक भाग होगा तथापि यह विचलनीय लागत समायोजन सूत्र (व्ही.सी.ए.) का भाग नहीं होगा। द्वितीयक ईंधन तेल के मूल्य के कारण पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान वास्तविकीकरण के समय रखा जाएगा।

45.7. प्रारंभतः उत्पादन कंपनी द्वारा द्वितीयक ईंधन तेल पर व्यय किया गया प्राप्ति मूल्य पूर्ववर्ती 3 माह के लिए वास्तविक भारांकित औसत मूल्य के आधार पर लिया जाएगा और पूर्ववर्ती 3 माह के लिए प्राप्तिमूल्यों के अभाव में, उत्पादन स्थानक के लिए वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व नवीनतम प्राप्ति मूल्यों का लिया जाएगा।

45.8. द्वितीयक ईंधन तेल के व्यय, वास्तविकीकरण के समय टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में ईंधन मूल्य (फ्यूएल कॉस्ट) समायोजन के अध्यधीन होंगे।

45.9. उत्पादन की लागत में कमी लाने हेतु, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की उत्पादन इकाइयों में हस्तांतरित कोयले हेतु अंतर्देशीय कोयले के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु तरीका विहित किया है। तदनुसार, उत्पादन कम्पनी को, आयोग के पूर्व–अनुमोदन से, अंतर्देशीय कोयले के उपयोग एवं अन्य संसाधनों के उपयोग में विद्युत उत्पादन की लागत में कमी लाने हेतु लचीलेपन (फ्लेक्सिबिलिटी) की अनुमति होगी।

45.10. माह के लिए प्राप्त ईंधन के मूल्य में ईंधन का वह मूल्य सम्मिलित होगा जो उस श्रेणी और गुणवत्ता के ईंधन के समकक्ष होगा जिसमें रॉयल्टी, कर और यथाप्रयोज्य ड्यूटियां और कनवेयर/रेल/सड़क या किसी अन्य माध्यम से परिवहन की लागत सम्मिलित होगी, और



1. शुद्धिपत्र क्रमांक 100/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 दिनांक 06.03.2023 द्वारा विलोपित

ऊर्जा प्रभार की संगणना की दृष्टि से, और कोयले की प्रकरण में इसे विनियम 43.6 में विनिर्दिष्ट मानकीय परिवहन और संभाल की क्षतियों पर विचार करने के उपरांत परिगणित किया जायेगा।

परन्तु पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया से मंगवाये गये प्राथमिक ईंधन की लागत या प्राथमिक ईंधन की पहुँच–लागत, यथा प्रकरण तथैव, को ऐसी बोली के माध्यम से पाए गये न्यूनतम दर में से मात्रा एवं गुणवत्ता संबंधी समायोजन के पश्चात् विचार में लिया जाएगा।

परन्तु यह भी कि कोयला–दहन उत्पादन स्थानक के प्रकरण में प्राथमिक ईंधन के सकल कैलॉरिफिक मान को, प्रतिष्ठित अन्य पक्षकार अभिकरण के द्वारा जारी प्रमाणपत्र/परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, विचार में लिया जाएगा। अन्य पक्षकारद्वारा जाँच संबंधी व्यय, हितग्राहियों के द्वारा लौटाए जाएंगे।

**45.11** [2][प्राथमिक ईंधन मूल्य में मासिक वृद्धि की वसूली इन विनियमों के विनियम 93 में दर्शाए ईंधन लागत समायोजन प्रणाली के अनुसार की जाएगी।][2]

45.12. उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के बाबत पूरक ऊर्जा प्रभार में, सहायक ऊर्जा खपत एवं प्रतिकारक की खपत की लागत की वजह से हुआ भिन्नतर ऊर्जा प्रभार समाविष्ट होगा तथा प्रत्येक हितग्राही के द्वारा, उसे कैलेण्डर माह के दौरान आपूर्ति की जाने वाली कुल सूचीबद्ध ऊर्जा हेतु विद्युत संयंत्र पर सुपुर्दगी के आधार पर माह के पूरक ऊर्जा प्रभार की दर पर, देय होगा। उत्पादन कम्पनी को देय कुल पूरक ऊर्जा प्रभार की राशि होगीः

**पूरक ऊर्जा प्रभार = (पूरक ऊर्जा प्रभार दर रुपये/kWh में) X {माह के लिये सूचीबद्ध ऊर्जा (एक्स–बस), kWh में}**

**कोयला और लिगनाईट आधारित तापीय उत्पादन स्थानकों हेतु पूरक ई.सी.आरः**

**पूरक** ECR = (ECR)+[(SRCxLPR / 10)/(100-(AUXn + AUXen))]

**जहाँ**

**(^ECR) = पुनरीक्षित सहायक ऊर्जा खपत एवं उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली सहित ECR, (AUXn + AUXen) के**

**समतुल्य, तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तथा पुनरीक्षितमानकीय सहायक ऊर्जा खपत सहित ECR के मध्य अंतर;**

**SRC = पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के हिसाब से विशिष्ट प्रतिकारक खपत (g/kWh में)**

**LPR = उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु, प्रतिकारक की भारांकित औसत पहुँच–लागत (रुपये/kg.)**

## 46. जल–विद्युत उत्पादन स्थानकों हेतु क्षमता प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की संगणना एवं भुगतान

46.1. जल–विद्युत उत्पादन स्थानकों से आपूर्ति की गयी विद्युत का टैरिफ, क्षमता प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार का संयुक्त टैरिफ होगा जो सी.ई.आर.सी. (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 में विनिर्दिष्ट रीति से परिगणित किया जाएगा।

परन्तु राज्य के स्वामित्व वाले जल–विद्युत उत्पादन संयंत्र का टैरिफ एकांगी टैरिफ होगा। जल–विद्युत उत्पादन स्थानकों को, अनिवार्यतः परिचालित विद्युत संयंत्रों के रूप में संबोधित किया जाएगा।



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से जोड़ा गया

47. **सी.डी.एम. तथा/अथवा पी.ए.टी. लाभों का बंटवारा :**

47.1. अनुमोदित सी.डी.एम **तथा/अथवा पी.ए.टी.** परियोजना से प्राप्त कार्बनसाख (क्रेडिट) को निम्नांकित रीति से बांटा जायेगा, नामतः–

(क) विद्युत उत्पादन स्थानक के वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ की दिनांक से शुरू हुए प्रथम वर्ष में सी.डी.एम. तथा/अथवा पी.ए.टी के लेखे–जोखे पर सकल प्राप्तियों का**,** शतप्रतिशत का हकदार परियोजना विकासकर्ता होगा;

(ख) दूसरे वर्ष में हितग्राहियों का भाग 10 प्रतिशत होगा जिसे क्रमशः 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से तब तक बढ़ाया जायेगा जब तक यह 50 प्रतिशत नहीं पहुंच जाता, इसके उपरांत ऐसी प्राप्तियों को उत्पादन कम्पनी और हितग्राहियों के बीच समान अनुपात में बांटलिया जायेगा।

48. **व्यपवर्तन (डेविएशन) प्रभार :**

**48.1** उत्पादन स्थानकों के लिए, कुल वास्तविक अन्तःक्षेपण और अनुसूचित अन्तःक्षेपण, तथा हितग्राहियों के लिए कुल वास्तविक निकासी और अनुसूचित कुल निकासी के मध्य विचलन को उनके लिए क्रमशः व्यपवर्तन माना जाएगा और ऐसे व्यपवर्तनों हेतु प्रभार का निपटान, सी.एस.ई. आर.सी. (राज्यांतरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ तथा व्यपवर्तन निपटान क्रियाविधि) विनियम 2016 के अनुसार होगा,

परन्तु इस विनियम में इस विषय में प्रावधान के अभाव में आयोग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यपवर्तन निपटान क्रियाविधि एवं संबंधित मुद्दे) विनियम, 2014, समय–समय पर यथा संशोधित, में अधिसूचित मानकों को, ऐसी अवधि के लिये जैसा आयोग निर्णीत करे, अपनाएगा।

परन्तु यह कि उत्पादन कम्पनी जोराज्य के स्वामित्व वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति करती है, पर लागू व्यपवर्तन प्रभार के बाबत प्राप्तियों एवं हानियों के बँटवारे की अनुमतिवास्तविकीकरण के समय इस विनियम के विनियम 13 के अनुसार होगी।

परन्तु प्रत्येक उत्पादन स्थानक तथा हितग्राही का वास्तविक निवलव्यपवर्तन, उसकी परिधि पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/एस.टी.यू./वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा स्थापित विशेष ऊर्जा मापक–यंत्रके माध्यम से मापा जाएगा, तथा संबंधित एस.एल.डी.सी. के द्वारा,प्रत्येक 15–मिनट के समय अंतराल में, MWh में संगणित किया जाएगा।

## अध्याय – 5

## समेकित खदान से प्राप्त कोयला एवं लिगनाईत की अंतर्ग्रहीत (इनपुट) कीमत का अवधारण

**49. ऊर्जा प्रभार हेतु कोयला एवं लिगनाईट की अंतर्ग्रहीत (इनपुट) कीमत :**

49.1 जहाँ उत्पादन कम्पनी के पास, उसे आबंटित समेकित खदान(नों) से, एक या अधिक उत्पादन स्थानकों सें अंततः–

उपयोग के रूप में अंशतः या पूर्णतः उपयोग करने हेतु कोयला आपूर्ति की व्यवस्था है, वहाँ उत्पादन स्थानक के टैरिफ का ऊर्जा प्रभार अंश, कोयले की ऐसी समेकित खदानों से, यथा प्रकरण तर्थव, कोयले की अंतर्ग्रहीत कीमत के आधार पर, इन विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

49.2. उत्पादन कम्पनी, समेकित खदान(नों) की वाणिज्यिक परिचालन दिनांक के बाद जब तक कोयले की अंतर्ग्रहीत कीमत आयोग के द्वारा इन विनियमों के तहत अवधारित हो, तब तक

कोल इंडिया लिमिटेड की अधिसूचित कोयले की कीमत, समेकित कोयला खदान(नों) के दर्जे के हिसाब से अथवा निवेश के अनुमोदन में उपलब्ध प्राक्कलित कीमत, दोनों में से जो कम हो, को उत्पादन स्थानक हेतु कोयले की अंतर्ग्रहीत कीमत के तौर पर अपनाएगी।

49.3. परन्तु यदि समेकित खदान की वाणिज्यिक परिचालन दिनांक, इन विनियमकें की अधिसूचना से पहले की हो, तो ऐसी खदान से आपूर्ति किये गये कोयले की अंतर्ग्रहीत कीमत भी आयोग द्वारार इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

49.4. परन्तु यह और भी कि इन विनियमों के तहत अवधारित कोयले की अंतर्ग्रहीत कीमत तथा ऐसे अवधारण से पूर्व अपनायी गयी कोयले की अंतर्ग्रहीत कीमत के मध्य अंतर को, कोयले की देयकांकित(बिल्ड) मात्रा हेतु [1][समुचित][1] समयोजित किया जाएगा।

49.5. अंतर्ग्रहीत कीमत की कम या अधिक वसूली होने की स्थिति में इस विनियम के विनियम [1][49.4][1] के तहत उत्पादन कम्पनी अधिक राशि या कमी की राशि, यथा प्रकरण तथैव, कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज की संगणना हेतु मान्य दर के बराबर साधारण ब्याज की दर पर ब्याज सहित, उक्त वर्ष हेतु आयोग द्वारा तय की गयी किश्तों में, यथा प्रकरण तथैव, वापसी करेगी या वसूल करेगी।

## 50. समेकित खदान की वाणिज्यिक परिचालन दिनांक के पूर्व कोयले या लिगनाईट की आपूर्ति :

समेकित खदान(नों) से उनकी वाणिज्यिक परिचालन दिनांक के पूर्व आपूर्ति किये गये कोयला या लिगनाईट हेतु अंत से उनकी वाणिज्यिक परिचालन दिनांक के पूर्व आपूर्ति किये गये कोयला या लिगनाईट हेतु अंर्तग्रहीत कीमत होगी : कोयले के संबंध में निवेश–अनुमोदन में उपलब्ध प्राक्कलित कीमत या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति किये गये संगत दर्जे के कोयले की अधिसूचित कीमत, जो कम हो;

परन्तु समेकित खदान(नों) से वाणिज्यिक परिचालन दिनांक के पूर्व आपूर्ति कोयले या लिगनाईट से अर्जित राजस्व को कथित समेकित खदान(नों) की पूंजीगत लागत में से समयोजित करने हेतु प्रयुक्त किया जाएगा।

51. उत्पादन स्थानक(कों) की समेकित खदान(नों) के कोयले की अंतर्ग्रहीत कीमत का, टैरिफ अवधि एफ.वाई. 2022–25 हेतु वास्तविकीकरण, प्रतिवर्ष निम्नांकित के वास्ते किया जाएगा :

क) निर्वाहित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित पूंजीगत व्यय आयोग द्वारा यथा मान्य;

ख) अप्रत्याशित घटनाओं तथा विधि में परिवर्तन के बाबत निर्वहित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित पूंजीगत व्यय

ग) जान–माल के जोखिम से बचाव के बाबत निर्वहित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित पूंजीगत व्यय

घ) इन विनियमों के प्रयुक्त प्रावधानों के अनुसार परिचालन एवं संधारण व्यय वास्तविकीकरण के बाद, पूर्वतः वसूल की जा चुकी अंतर्ग्रहीत कीमत के, आयोग द्वारा इन विनियमों के तहत अनुमोदित अंतर्ग्रहीत कीमत से अधिक या कम वसूली होने की स्थिति में, उत्पादन कम्पनी अधिक राशि या कमी की राशि, यथा प्रकरण तथैव, कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज की संगणना हेतु मान्य दर के बराबर साधारण ब्याज की दर पर ब्याज सहित, उक्त वर्ष हेतु आयोग द्वारा तय की गयी किश्तों में, यथा प्रकरण तथैव, वापसी करेगी या वसूल करेगी।



1. शुद्धिपत्र क्रमांक 100/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 दिनांक 06.03.2023 द्वारा शुद्धिकरण

परन्तु यह कि उत्पादन कम्पनी ऐसी अधिक वसूल की जा चुकी राशि की वापसी या कम वसूल की गयी राशि की वसूली हितग्राहियों से अनुसूचित ऊर्जा के आधार पर करेगी।

**52. कोयले की अंतर्ग्रहीत कीमत :**

**52.1.** समेकित खदान(नों) से कोयले या लिगनाईट की अंतग्रहीत कीमत की अवधारणा निम्नलिखित अंगों के आधार पर की जाएगी :

I) खदान की गति (आर.ओ.एम.)की लागत; तथा

II) अतिरिक्त प्रभार :

क. कुटाई (क्रशिंग) के प्रभार

ख. परिवहन प्रभार– खदान के भीतर धुलाई–स्थल तक या समेकित खदान से सहबद्ध कोयला–रक्षण संयंत्र तक, यथा प्रकरण तथैव;

ग. खदान के इर्द–गिर्द रक्षण प्रभार

घ. धुलाई प्रभार

च. परिवहन प्रभार– धुलाई–स्थल या कोयला–रक्षण संयंत्र से आगे, यथा प्रकरण तथैव, लदान–स्थली तक

परन्तु द्विस्तरीय परिवहन की स्थिति में अर्थात् खदान से भण्डारणक्षेत्र तक तथा वहाँ से संयंत्र तक, परिवहन का तात्पर्य दोनों का संचयी होगा।

परन्तु यह कि खनन की गतिविधियाँ के दृष्टिकोण एवं प्रकृति के आधार पर समेकित खदान(नों) के प्रकरण में अतिरिक्त प्रभारों के एक या अधिक अंग प्रयुक्त हो सकते हैं;

52.2. सांविधिक प्रभार, यथा प्रयोज्य, मान्य होंगे।

**53. खदान की गति (आर.ओ.एम्.) की लागत :**

**53.1** कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी–प्रकिया के माध्यम से आबंटित समेकित खदान(नों) के प्रकरण में कोयले की खदान की गति लागत निम्नानुसार परिगणित की जाएगी :

आर.ओ.एम्. लागत = (कोयले की भावपत्र कीमत)+(निश्चित आरक्षित कीमत)

जहाँ

I) कोयले की भावपत्र कीमत –संबंधित कोयला–खंड या खदान के संबंध में कोयले की अंतिम पेशकश कीमत, पश्चातवर्ती वृद्धि, यदि कोई हो, कोयला खदान विकास तथा उत्पादन समझौता में यथा प्रावधानित, सहित :

II) निश्चित आरक्षित कीमत –निश्चित आरक्षित कीमत प्रति टन, पश्चातवर्ती वृद्धि, यदि कोई हो, कोयला खदान विकास तथा उत्पादन समझौताा में यथा प्रावधानित, सहित :

III) नीलामी–प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित समेकित खदान(नों) के संबंध में विनियम 36D के तहत पूंजीगत लागत तथा विनिमय 36E के तहत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, आर.ओ.एम्. लागत के वास्ते मान्य नहीं होंगे।

53.2. कोयला खदानें (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत आबंटन प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित समेकित खदान के प्रकरण में खदान की गति कोयले की लागत निम्नानुसार परिगणित की जाएगी :

आर.ओ.एम्. लागत = [(वार्षिक निष्कर्षण लागत / ए.टी.क्यू.)+उत्खनन प्रभार]+(निश्चित आरक्षित कीमत)

जहाँ

I) वार्षिक निष्कर्षण लागत – इन विनियमों के विनिमय 57 के अनुसार संगणित कोयले के निष्कर्षण कि लागत

II) उत्खनन प्रभार –उत्पादन कम्पनी के द्वारा नियोजित विकासकर्ता एवं परिचालनकर्ता को उत्पादन कम्पनी के द्वारा कोयले के उत्खनन हेतु भुगतान किया गया प्रति टन प्रभार जहाँ प्रयोज्य हो; तथा

III) निश्चित आरक्षित कीमत – निश्चित आरक्षित कीमत प्रति टन, पश्चातवर्ती वृद्धि, यदि कोई हो, कोयला खदान विकास तथा उत्पादन समझौता में यथा प्रावधानित, सहित

53.3. उत्पादन कम्पनी कोयला या लिगनाईट के निष्कर्षण हेतु वार्षिक आधार पर उत्खनन योजना से अनुसक्त रहेगी;

परन्तु उत्खनन योजना से व्यपवर्तन को तभी विचार में लिया जाएगा जब ऐसा व्यपवर्तन कोयला नियंत्रक के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो या पुनरीक्षित उत्खनन योजना सक्षम प्राधिकारी के द्वारार अनुमोदित की जा चुकी हो।

53.4 खदान की गति कोयला एवं लिगनाईट की लागत की गणना रूपये प्रति टन के रूप में की जाएगी।

**54. अतिरिक्त प्रभार :**

**54.1.** जहाँ कुटाई (क्रशिंग) या परिवहन या रक्षण या धुलाई कार्य, उत्पादन कम्पनी के द्वारा बिना किसी खदान विकासकर्ता एवं परिचालक या अभिकरण (खदान विकासकर्ता एवं परिचालक से भिन्न) को नियोजित किये, किये जाते हैं, वहाँ अतिरिक्त प्रभार निम्नानुसार परिगणित किये जाएंगे :

I) कुटाई (क्रशिंग) प्रभार = वार्षिक कुटाई लागत / मात्रा

II) परिवहन प्रभार = वार्षिक परिवहन लागत / मात्रा

परन्तु खदान से, समेकित खदान(नों) से सहबद्ध धुलाई–स्थल या कोयला रक्षण संयंत्र तक, या समेकित खदान(नों) से सहबद्ध धुलाई–स्थल या कोयला रक्षण संयंत्र से दूरस्थ(बियाँड), लदान–स्थली तक, यथा प्रकरण तथैव, पृथक परिवहन प्रभार, यथा प्रयोज्य, को विचार में लिया जाएगा;

परन्तु यह भी कि द्विस्तरीय परिवहन की स्थिति में अर्थात् खदान से भण्डारण क्षेत्र तक तथा वहाँ से संयंत्र तक, परिवहन का तात्पर्य दोनों का संचयी होगा। ऐसी स्थिति में प्रति टन परिवहन लागत की संगणना पृथकतः दोनों स्तरों पर की जाएगी तदुपरांत संचयी प्रभाव पर विचार किया जाएगा।

I) रक्षण(हैंडलिंग) प्रभार = वार्षिक रक्षण लागत / मात्रा; तथा

II) धुलाई प्रभार = वार्षिक धुलाई लागत / मात्रा

जहाँ

(क) वार्षिक कुटाई (क्रशिंग) लागत, वार्षिक परिवहन लागत, वार्षिक रक्षण (हैंडलिंग) लागत वार्षिक धुलाई लागत निम्नलिखित अंशो के आधार पर परिगणित की जाएंगी, जिसके वास्ते उत्पादन कम्पनी पूंजीगत लागत

(1) मूल्य–ह्रास

(2) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

(3) ऋण पर ब्याज

(4) स्मता पूंजी पर प्रतिफल

(5) परिचालन एंव संधारण व्यय, उत्खनन प्रभार को छोड़कर

(क) मानव संसाधन व्यय

(ख) संधारण एवं सामान्य व्यय

(6) सांविधिक प्रभार, यदि प्रयोज्य हो

(ख) मात्रा, कोयले या लिगनाईट की टन में, विहित रूप से अंकेक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा प्रमाणित, वह मात्रा होगी जिसकी वर्ष के दौरान कुटाई या परिवहन या रक्षण या धुलाई, यथा प्रकरण तथैव, की गयी है।

54.2. जहाँ कुटाई, परिवहन, रक्षण या धुलाई, उत्पादन कम्पनी के द्वारा नियोजित खदान विकासकर्ता एवं परिचालक के कार्य के अंतर्गत हों, वहाँ अतिरिक्त प्रभार मान्य नहीं होंगे क्योंकि ये प्रभार, खदान विकासकर्ता एवं परिचालक के उत्खनन प्रभार के माध्यम से वसूल किये जाएंगे।

54.3 जहाँ कुटाई (क्रशिंग) या परिवहन या रक्षण या धुलाई कार्य, उत्पादन कम्पनी के द्वारा किसी अभिकरण (खदान विकासकर्ता एवं परिचालक से भिन्न) को नियोजित करके किये जाते हैं, वहाँ ऐसे अभिकरण के वार्षिक प्रभार, परिचालन एवं संधारण व्यय के अंग के रूप में विचार में लिये जाएंगे, बशर्ते ये प्रभार, पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली–प्रक्रिया के माध्यम से पाए गये हैं।

54.4. बिना प्रतिस्पर्धातमक बोली–प्रक्रिया का सहारा लिये, आपसी समझौते से तय किये गये कुटाई प्रभार, रक्षण प्रभार तथा धुलाई प्रभार, आयोग द्वारादूरदर्शिता परीक्षण तथा कोल इंडिया लिमिटेड या सम–स्तरीय कोयला खदान के प्रभार अन्य कोई प्रसंगत प्रभाार पर विचार करने के पश्चात मान्य होंग।

54.5. कुटाई प्रभार, परिवहन प्रभार, रक्षण प्रभार तथा धुलाई प्रभार, रूपये प्रति टन में परिगणित किये जाएंगे।

## 55. पूंजीगत लागत :

55.1. चार्टड अकाउंटेंट द्वारा विहित रूप से प्रमाणित, वाणिज्यिक परिचालन दिनांक तक समेकित खदान(नों) के विकास हेतु निर्वहित व्यय, आई.डी.सी. सहित, पूंजीगत लागत परिगणित करने हेतु विचार में लिये जाएंगे।

55.2. निर्वहित पूंजीगत व्यय, आयोग के द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के पश्चात् मान्य किये जाएंग।

55.3. कुटाई, परिवहन, रक्षण, धुलाई तथा उत्खनन के परिचालन हेतु आवश्यक अन्य गतिविधियों हेतु अधोसंरचना पर निर्वहित पूंजीगत व्यय की परिगणना इन विनियमों के अनुसार पृथकतः की जाएगीः

परन्तु जहाँ कुटाई, परिवहन, रक्षण तथा धुलाई उत्पादन कम्पनी के अधीनस्थ है, इन प्रत्यंगों के लिये अधोसंरचना हेतु निर्वहित व्यय पूंजीकृत किये जाएंगे;

परन्तु यह और भी कि जहाँ कुटाई, परिवहन, रक्षण, धुलाई रूपी प्रत्यंगों सहित या रहित खदान विकास एवं परिचालन का कार्य, उत्पादन कम्पनी द्वारा, खदान विकासकर्ता एवं परिचालक या

अभीकरण(खदान विकासकर्ता एवं परिचालक से भिन्न) को नियोजित करके, करवाए जाते हैं वहाँ खदान विकासकर्ता एवं परिचालक या एसे अभिकरण द्वारा निर्वहित पूंजीगत व्यय, उत्पादन कम्पनी के द्वारा पूंजीकृत नहीं किये जाएंगे तथा अंतर्ग्रहीत (इनपुट) कीमत के अवधारण हेतु विचार में नहीं लिये जाएंगे।

55.4. पूंजीगत व्यय का अवधारण, उत्खनन योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, खदान–बंदी योजना, लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा ऐसे अन्य ब्यौरे जो आयोग द्वारा समुचित माने जाएँ को विचार में लेकर किन्तु उन तक सीमित नहीं, किया जाएगा।

55.5 समेकित खदान(नों), जिन्होंने वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 01.04.2022 के पूर्व घोषित की है/करेंगे, के प्रकरण में, 31.03.2022 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा मान्य पूंजीगत व्यय, अंतर्ग्रहीत(इनपुट) कीमत की संगणना का आधार होंगे।

## 56. अतिरिक्त पूंजीगत व्ययः

56.1. समेकित खदान(नों) के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन दिनांक के बाद किन्तु शीर्ष दर क्षमता हासिल करने की दिनांक के पूर्व, निर्वहन किये गये व्यय अथवा निर्वहन हेतु अनुमोनित व्यय, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परिक्षण के अध्यधीन मान्य किये जा सकते हैं तथा टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष में उत्खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट की वार्षिक लक्ष्य मात्रा या उस वर्ष में वास्तविक निष्कर्षण, दोनों में से जो अधिक हो, से संगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में निम्नलिखित खंडो पर पूंजीकृत किये जाएंगे :

(क) उत्खनन योजना के अनुसार गतिविधियों पर व्ययः

(ख) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यो हेतु व्यय तथा वाणिज्यिक परिचालन के पूर्व निष्पादित कार्यों हेतु पहचाने गये अन–उन्मोचित दायित्व;

(ग) किसी सांविधिक प्राधिकारी के दिशा–निर्देश या आदेश के अनुपालन हेतु करवाए जाने वाले आवश्यककार्य हेतु व्यय;

(घ) किसी न्यायालय का आदेश या डिक्रीया माध्यस्थम का पंचाट के अनुपालन से उदित दायित्व;

(ड.) उत्खनन योजना के अनुसार भूभाग के क्रय तथा विकास पर व्यय (जिसमें भूभाग से विस्थापितों पर निर्वहित आर.एंड आर व्यय सम्मिलित हैं किन्तु वहाँ तक सीमित नहीं हैं);

(च) खोदान (खोदी गयी मिट्टी) को हटाने वाली भारी अतिरिक्त मशीनों को क्रय हेतु व्यय, उनके उपयोगी जीवनकाल की समाप्ति पर प्रतिस्थापित करने के वास्ते; तथा

(छ) विधि में परिवर्तन अथवा अप्रत्याशित घटनाओं (फोर्स मेज्योर) की वजह से जान–माल के बचाव हेतु दायित्व;

परन्तु यह कि परिसम्पत्तियों को प्रतिस्थापित करने की स्थिति में अतिरिक्त पूंजीकरण, सकल स्थावर परिसम्पत्तियों तथा वि–पूंजीकरण के बाबत प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्तियों का संचयी मूल्य–ह्रास के समयोजन के पश्चात, परिगणित किया जाएगाः

परन्तु यह और भी कि उत्पादन कम्पनी, भारी उत्खनन उपकरण जैसे खोदान (खोदी गयी मिट्टी) को हटाने वाली भारी मशीनों के क्रय तथा प्रतिस्थापन हेतु मार्ग–दर्शिका तैयार करेगी तथा हितग्राहियों के साथ साझा करेंगी तथा आयोग को याचिका के साथ प्रस्तुत करेगी।

56.2. शीर्ष दर क्षमता हासिल करने की दिनांक के बाद समेकित खदान(नों) के संबंध में निर्वहितया निर्वहन हेतु अनुमानित व्यय आयोग द्वारा, दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, मान्य किये जा सकते हैं तथा उत्खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित वर्षों की वार्षिक लक्ष्य मात्रा से संगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में निम्नलिखित खंडो पर पूंजीकृत किये जाएंगे :

(क) उत्खनन योजना के अनुसार गतिविधियों, यदि कोई हो, पर व्ययः

(ख) किसी सांविधिक प्राधिकारी के दिशा–निर्देश या आदेश के अनुपालन हेतु करवाए जाने वाले आवश्यककार्य हेतु व्यय;

(ग) किसी न्यायालय का आदेश या डिक्रीया माध्यस्थम का पंचाट के अनुपालन से उदित दायित्व;

(घ) उत्खनन योजना के अनुसार भूभाग के क्रय तथा विकास पर व्यय;

(ङ.) विधि में परिवर्तन अथवा अप्रत्याशित घटनाओं (फोर्स मेज्योर) की वजह से जान–माल के बचाव हेतु दायित्व;

परन्तु यह कि परिसम्पत्तियों को प्रतिस्थापित करने की स्थिति में अतिरिक्त पूंजीकरण, सकल स्थावरपरिसम्पत्तियों तथा वि–पूंजीकरण के बाबत प्रतिस्थापित की गयी परिसम्पत्तियों का संचयी मूल्य–ह्रास तथा संचयी ऋण–वापसी के समयोजन के पश्चात, परिगणित किया जाएगा :

56.3. इन विनियमों के वास्ते निम्नलिखित खंडो पर व्यय अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा :

(क) व्यय जो निर्वहित किया जा चुका है किन्तु पूंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि परिसम्पत्तियां सेवा में नहीं लगाई गयी हैं (निर्माणाधीन पूंजीगत व्यय);

(ख) खदान–बंदी व्यय;

(ग) उन कार्यों पर व्यय जो उत्खनन योजना के अंतर्गत नहीं हैं, यदि इस विनियम की कंडिका (1) की उप–कंडिका (छ) या कंडिका (2) की उप–कंडिका (ङ) के अंतर्गत नहीं हैं;

(घ) परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनकाल व्यतीत होने या तकनीकी के कालातीत होने की वजह से परिसम्पत्तियों के अप्रचलित होने के कारण प्रतिस्थापन पर व्यय, यदि ऐसी स्थावर परिसम्पत्तियों की मूल लागत सकल स्थावर परिसम्पत्तियों में से वि–पूंजीकृत ना की गयी हों।

56.4. उत्पादन कम्पनी जो विधि में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटना की दशा में या जान–माल के बचाव हेतु समेकित खदान में अतिरिक्त पूंजीकरण कार्य करने जा रही है, वह हितग्राहियों को सूचना देने के बाद ऐसे व्यय करने हेतु सिद्धांतन अनुमोदन हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें अंतर्निहित धारणाएँ, प्राक्लन और ऐसे व्यय का औचित्य संलग्न हों।

57. वार्षिक निष्कर्षण लागत रूसमेकित खदान(नों) की वार्षिक निष्कर्षण लागत में निम्नांकित प्रत्यंग (कम्पोनेंट)समाहित होंगे :

(1) मूल्य–ह्रास

(2) ऋण पर ब्याज

(3) समता पूंजी पर प्रतिफल

(4) परिचालन एवं संधारण व्यय, उत्खनन प्रभार को छोड़कर

(क) मानव संसाधन व्यय

(ख) संधारण एवं सामान्य व्यय

(5) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

(6) खदान–बंदी व्यय, यदि उत्खनन प्रभार में सम्मिलित ना हो

(7) सांविधिक प्रभार, यदि प्रयोज्य हो

## 58. पूंजी संरचना, समता पूंजी पर प्रतिफल तथा ऋण पर ब्याज :

58.1. समेकित खदान(नों) हेतु वाणिज्यिक परिचालन दिनांक को तथा शीर्ष दर क्षमता हासिल करने की दिनांक को ऋण समता पूंजी अनुपात को, इन विनियमों के विनियम 17 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से, विचार में लिया जाएगा :

58.2. समेकित खदान(नों) हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के वास्ते इन विनियमों के तहत आयोग द्वारा मान्य ऋण–समता पूंजी अनुपात को, इस विनियम की [1][विनियम 58.1][1] में यथा विनिर्दिष्ट रीति से विचार में लिया जाएगा।

58.3. समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना, इन विनियमों के विनियम 23 में स्थित सिद्धांतो को प्रयुक्त करते हुए की जाएगी।

58.4 ऋण(मानकीय ऋण, यदि कोई हो, सहित) पर ब्याज, इन विनियमों के विनियम 24 के अनुसार वास्तविक ऋण पुलिंदा (पोर्टफोलियो) के आधार पर परिगणित भारांकित औसत ब्याज की दर पर विचार करते हुए, आकलित किया जाएगा।

## 59. मूल्य–ह्रास :

59.1. समेकित खदान(नों) के संबंध में मूल्य–ह्रास की संगणना, वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक से, सरल रेखा विधि को प्रयुक्त करते हुए, की जाएगी।

59.2. मूल्य–ह्रास के वास्ते मूल्य–आधार, आयोग द्वारा मान्य परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत, होगा :

परन्तु यह कि,

i) अनुदान से क्रय की गयी पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड) भूभाग या परिसम्पत्ति को, मूल्य–ह्रास योग्य परिसम्पत्ति के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा तथा उनकी लागत को, परिसम्पत्तियों के मूल्य–ह्रास योग्य मूल्य की संगणना करते समय, पूंजीगत लागत में से हटा दिया जाएगा;

ii) जहाँ पूर्ण स्वामित्व भूभाग का आबंटन सशर्त है तथा उन्हें वापस लौटाया जाना है, ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, मूल्य–ह्रास के वास्ते मूल्य–आधार का अंग होंगी; तथा

iii) पट्टे पर लिया गया भूभाग/उत्खनन/धरातल अधिकार के प्रति अगोचर (इनटेंजिबल) परिसम्पत्तियाँ, सहबद्ध सांविधिक भुगतान तथा पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना (आर. एंड आर.) व्यय, पट्टे की अवधि या समेकित खदान(नों) का शेष जीवनकालपर्यन्त, दोनों में से जो कम हो, अमर्त्यकृत (अमोर्टाइज्ड) किये जाएंगे।

59.3. परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत, परिसम्पत्ति के अवशेष मूल्य के रूप में विचार में लिया जाएगा :

परन्तु यह कि अवशेष मूल्य होगा :

i) शून्य, आई.टी. उपकरण तथा सॉफ्टवेयर हेतु; परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत का 5%, परिसम्पत्ति के अवशेष मूल्य के रूप में विचार में लिया जाएगा :



1. शुद्धिपत्र क्रमांक 100/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 दिनांक 06.03.2023 द्वारा शुद्धिकरण

परन्तु यह कि अवशेष मूल्य होगा :

i) शून्य, आई.टी. उपकरण तथा सॉफ्टवेयर हेतु;

ii) शून्य, धरातल अधिकार के प्रति अगोचर (इनटेंजिबल) परिसम्पत्तियाँ, सहबद्ध सांविधिक भुगतान तथा पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना (आर. एंड आर.) व्यय हेतु;

iii) शून्य या जैसा उत्पादन कम्पनी एवं राज्य सरकार के मध्य समझौता किया गया हो, भूभाग हेतु; तथा

iv) कम्पनी कार्य मंत्रालय के द्वारा कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के तहत यथा अधिसूचित, विशिष्ट उत्खनन उपकरण हेतु।) शून्य, धरातल अधिकार के प्रति अगोचर (इनटेंजिबल) परिसम्पत्तियाँ, सहबद्धसांविधिक भुगतान तथा पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना (आर. एंड आर.) व्यय हेतु;

59.4. समेकित खदान(नों) के संबंध में मूल्य–ह्रास वार्षिक आधार पर, मूल्य–ह्रास दरप्रयुक्त करते हुए या इन विनियमों के परिशिष्ट 1 A में विनिर्दिष्ट अपेक्षित के आधार पर, आकलित होगा :

परन्तु विशिष्ट उत्खनन उपकरण पर मूल्य–ह्रास, कम्पनी कार्य मंत्रालय के द्वारा कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित उपयोगी जीवनकाल तथा मूल्य–ह्रास की दर के अनुसार लगाया जाएगा।

## 60. परिचालन एवं संधारण व्यय

60.1. कोयले की समेकित खदान(नों) हेतु परिचालन एवं संधारण व्यय, टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अनुमानित परिचालन एवं संधारण व्यय के आधार पर, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, मान्य होंगे।

परन्तु इस कंडिका के तहत मान्य परिचालन एवं संधारण व्यय, प्रतिवर्ष वास्तविक व्यय के आधार पर, वास्तविकृतकिये जाएंगे।

60.2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने जा रही टैरिफ अवधि हेतु, कोयले की समेकित खदान(नों) जो 31 मार्च, 2022 को या उससे पूर्व क्रियान्वित (कमीशंड) हो चुकी हैं के संबंध में परिचालन एवं संधारण व्यय वास्तविकता पर, दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, मान्य होंगे।

60.3. जहाँ उत्पादन कम्पनी द्वारा समेकित खदान(नों) का विकास एवं परिचालन, खदान विकासकर्ता एवं परिचालक को नियोजित करके जाता है, वहाँ ऐसे विकासकर्ता एवं परिचालक के उत्खनन प्रभार, इस विनियम के विनियम 60.1.2. के तहत परिचालन एवं संधारण व्यय में सम्मिलित नहीं किये जाएंगे :

परन्तु यदि विधि में परिवर्तन की वजह से उत्पादन कम्पनी पर कोई अतिरिक्त दायित्व उदित हो,जो खदान विकासकर्ता से पारगामी(पास थ्रू) नहीं है, वह अतिरिक्त ओ. एंड एम्. प्रभार के बतौर उत्पादन कम्पनी से पारगामी होगा।

60.4. जहाँ उत्पादन कम्पनी के द्वारा, खदान विकासकर्ता एवं परिचालक से भिन्न कोई अभिकरण, पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली–प्रक्रिया के माध्यम से कुटाई या परिवहन या रक्षण या धुलाई या इनमें से कोई कार्य–संयोजन हेतु नियोजित की जाती है, वहाँ ऐसे अभिकरण के वार्षिक प्रभार, परिचालन एवं संधारण व्यय के अंग के रूप में, इस विनियम के तहत आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, विचार में लिये जाएंगे।

## 61. कार्यशील पूंजी पर ब्याज :

61.1. कोयले की समेकित खदान(नों) की कार्यशील पूँजी में समाहित है :

(i) सुसंगत वर्ष हेतु वार्षिक लक्ष्य मात्रा से संगत 7 दिवस के उत्पादन हेतु कोयले के भंडार की अंतर्ग्रहीत लागत;

(ii) खपत सामग्रियाँ एवं पुर्जे की खपत जिनमे सम्मिलित हैं – विस्फोटक, चिकनाई वाले पदार्थ, ईंधन @ 15% (परिचालन एवं संधारण व्यय का), उत्पादन कम्पनी के द्वारा नियोजित खदान विकासकर्ता एवं परिचालक का उत्खनन प्रभार तथा खदान विकासकर्ता एवं परिचालक से भिन्न अभिकरण का वार्षिक प्रभार को छोड़कर; तथा

(iii) 15 दिवस हेतु परिचालन एवं संधारण व्यय, उत्पादन कम्पनी के द्वारा नियोजित खदान विकासकर्ता एवं परिचालक का उत्खनन प्रभार तथा खदान विकासकर्ता एवं परिचालक से भिन्न अभिकरण का वार्षिक प्रभार को छोड़कर।

61.2. कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर इन विनियमों के विनियम 26.4. के अनुसार अवधारित की जाएगी। वास्तविकीकरण इन विनियमों के विनियम 26.5. के अनुसार किया जाएगा।

## 62. खदान–बंदी व्यय

62.1. जहाँ उत्पादन कम्पनी के द्वारा खदान–बंदी की जाती है वहाँ, उत्खनन योजना के अनुसार संगामी (एस्क्रो) खाते में जमा की गयी राशि, उक्त जमा राशि पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात, खदान–बंदी व्यय के बतौर मान्य की जाएगी :

परन्तु यह कि,

क) समेकित खदान की वाणिज्यिक परिचालन दिनांक से पूर्व, उत्खनन योजना के अनुसार संगामी (एस्क्रो) खाते में जमा की गयी राशि को पृथकतःदर्शाया जाएगा तथा समेकित खदान(नों) के उपयोगी जीवनकाल पर्यन्त, ऋण लेने की दर से सम्बद्ध वार्षिकी की तरह, वसूल किया जाएगा;

ख) उत्खनन योजना के अनुसार संगामी (एस्क्रो) खाते में जमा की गयी राशि अथवा खदान–बंदी के प्रति निर्वहित व्यय को अंतर्ग्रहीत कीमत की संगणना हेतु पूंजीगत लागत में से हटा दिया जाएगा;

ग) जहाँ खदान–बंदी के प्रति निर्वहित व्यय, टैरिफ अवधि 2022–25 के दौरान संगामी (एस्क्रो) खाते से प्राप्त प्रति–भुगतान से कम या अधिक रह/हो जाता है, वहाँ उसे बाद के वर्षो में समायोजन हेतु अग्रलेखित (कैरीफ़ॉर्वर्ड) कर दिया जाएगा।

62.2. खदान–बंदी के प्रति राशि,उत्खनन योजना के अनुसार, संगामी (एस्क्रो) खाते में जमा की जाएगी तथा अंतर्ग्रहित कीमत के अंग के रूप में वसूल की जाएगी, चाहे खदान–बंदी के प्रति व्यय, टैरिफ अवधि के किसी भी वर्ष के दौरान निर्वहित हुआ हो।

62.3. जहाँ खदान–बंदी, उत्पादन कम्पनी द्वारा नियोजित खदान विकासकर्ता एवं परिचालक के कार्य–क्षेत्र के अंतर्गत है, तथा खदान–बंदी व्यय, खदान विकासकर्ता एवं परिचालक के उत्खनन प्रभार का अंग हैं, वहाँ खदान–बंदी व्यय की पूर्ति उत्खनन प्रभार में से की जाएगी तथा खदान–बंदी व्यय, उत्पादन कम्पनी को पृथकतः मान्य नहीं होंगे :

परन्तु यह कि,

क) खदान विकासकर्ता एवं परिचालक या उत्पादन कम्पनी द्वारा संगामी खाते में जमा की गयी राशि तथा संगामी खाते से, खदान–बंदी के बाबत निर्वहित व्यय के प्रति प्राप्त राशि, अंतर्ग्रहीत कीमत की संगणना में विचार में नहीं ली जाएगी; तथा

ख) इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, वास्तविक ऋण पुलिंदे (पोर्टफोलियो) के आधार पर परिगणित भारंकित औसत ब्याज की दर को विचार में लेते हुए ज्ञात की गयी ऋण–प्राप्ति की लागत, तथा संगामी खाते में जमा की गयी राशि के मध्य अंतर की राशि तथा संगामी खाते पर किसी वर्ष में प्राप्त ब्याज को, कोयले या लिगनाईट की संबंधित वर्ष की अंतर्ग्रहीत कीमत में, खदान–बंदी व्यय के अंग के बतौर, भिन्न–भिन्न प्रकरण के आधार पर, समायोजित किया जाएगा;

62.4. जहाँ खदान–बंदी कार्य,समेकित खदान(नों) के उपयोगी जीवनकाल के मात्र कुछ हिस्से तक, उत्पादन कम्पनी के द्वारा नियोजित खदान विकासकर्ता एवं परिचालक के कार्य–क्षेत्र के अंतर्गत हों तथा शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु खदान–बंदी कार्य स्वयं उत्पादन कम्पनी को करना हो, वहाँ उत्पादन कम्पनी के हिस्से की अवधि के खदान–बंदी कार्य को इस विनियम की कंडिका (1), तथा खदान विकासकर्ता एवं परिचालक के हिस्से की अवधि के खदान–बंदी कार्य को इस विनियम की कंडिका (3) के अनुसार संबोधित किया जाएगा।

परन्तु समेकित खदान(नों) के उपयोगी जीवनकाल के अंत में किये जाने वाले खदान–बंदी कार्य के संबोधन के संबंध में आयोग द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकरणों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

62.5. इस विनियम के अनुसार परिगणित खदान–बंदी व्यय, कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी के आयोजन के माध्यम से आबंटित समेकित खदान(नों) के प्रकरण में, प्रयोज्य नहीं होंगे।

## 63. अंतर्ग्रहीत (इनपुट) कीमत का अवधारण :

63.1. कोयला या लिगनाईट की अंतर्ग्रहीत कीमत निम्नानुसार अवधारित की जाएगी :

अंतर्ग्रहीत कीमत = [आर.ओ.एम्. लागत + अतिरिक्त प्रभार]

63.2. भाराधिक्य(ओवरबर्डन) को हटाने के मौकों में कमी, जी.सी.वी. समायोजन तथा गैर–टैरिफ आय, यदि कोई हो, की वजह से समायोजन के बाबत उदित जमा(क्रेडिट) को, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार संबोधित किया जाएगा।

63.3. सांविधिक प्रभार, यथा प्रयोज्य, मान्य होंगे।

## 64. अंतर्ग्रहीत प्रभारों की वसूली :

64.1. कोयला या लिगनाईट के अंतर्ग्रहीत प्रभारों को निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :

अंतर्ग्रहीत प्रभार = [अंतर्ग्रहीतकीमत x आपूर्ति किये गये कोयले या लिगनाईट की मात्रा] + सांविधिक प्रभार, यथा प्रयोज्य

65. भाराधिक्य (ओवरबर्डन) को हटाने की जरुरत में कमी के बाबत समायोजन (ओ.बी. एडजस्टमेंट):

65.1. उत्पादन कम्पनी, उत्खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट, भाराधिक्य को हटाएगी।

65.2. किसी वर्ष के दौरान भाराधिक्य (ओवरबर्डन) को हटाने के मौकों में कमी के प्रकरण में, उत्पादन कम्पनी ऐसी कमी को, भाराधिक्य (ओवरबर्डन) में बढ़ोतरी, यदि कोई हो, से, आगामी तीन वर्षों के दौरान समायोजित करने की हकदार होगी।

65.3. किसी वर्ष के दौरान भाराधिक्य (ओवरबर्डन) को हटाने के मौकों में बढ़ोतरी के प्रकरण में, उत्पादन कम्पनी ऐसी बढ़ोतरी को, भाराधिक्य (ओवरबर्डन) में कमी, यदि कोई हो, से, आगामी तीन वर्षों के दौरान समायोजित करने की हकदार होगी।

65.4. जहाँ किसी वर्ष के भाराधिक्य (ओवरबर्डन) को हटाने के मौकों में कमी की पूर्ति, उत्पादन कम्पनी के द्वारा इस विनियम की कंडिका (2) के अनुसार नहीं की गयी हो, वहाँ उस वर्ष के भाराधिक्य (ओवरबर्डन) को हटाने के मौकों में कमी के बाबत समायोजन (ओ.बी. एडजस्टमेंट), निम्नानुसार परिगणित होगा :

ओ.बी. समायोजन = [वर्ष के दौरान भाराधिक्य (ओवरबर्डन) को हटाने के मौकों में कमी के समायोजन हेतु गुणांक (फैक्टर)] x [वर्ष के दौरान उत्खनन प्रभार + वर्ष के दौरान परिचालन एवं संधारण व्यय]

जहाँ,

(i) वर्ष के दौरान भाराधिक्य (ओवरबर्डन) को हटाने के मौकों में कमी के समायोजन हेतु गुणांक की संगणना निम्नानुसार की जाएगी :

(वर्ष के दौरान कोयले या लिगनाईट की वास्तविक निष्कर्षित मात्रा x उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक निरावरण अनुपात) – (वर्ष के दौरान भाराधिक्य हटाने की वास्तविक मात्रा/उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक निरावरण अनुपात]/(वार्षिक लक्ष्य मात्रा);

(ii) वार्षिक निरावरण अनुपात का तात्पर्य है – कोयले या लिगनाईट की एक इकाई हेतु हटाए जाने वाले भाराधिक्य का आयतन (वॉल्यूम) का अनुपात, उत्खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट।

(iii) उत्खनन प्रभार का तात्पर्य है – उत्पादन कम्पनी के द्वारा नियोजित खदान विकासकर्ता एवं परिचालक को उत्पादन कम्पनी के द्वारा उत्खनन कार्य हेतु भुगतान किया गया, कोयला या लिगनाईट का प्रति टन प्रभार, जहाँ कहीं प्रयोज्य हो।

(iv) उत्खनन प्रभार तथा परिचालन एवं संधारण व्यय, वार्षिक लक्ष्य मात्रा के संगत, रुपये प्रति टन के रूप में होंगे।

65.5. इस विनियम के, भाराधिक्य हटाने के मौकों में कमी के बाबत समायोजन से संबंधित, प्रावधान, कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी के आयोजन के माध्यम से आबंटित समेकित खदान(नों) के प्रकरण में, प्रयोज्य नहीं होंगे।

**66. जी.सी.वी. में कमी के बाबत समायोजन (जी.सी.वी. एडजस्टमेंट) :**

66.1. ऐसे प्रकरण में जहाँ किसी वर्ष में समेकित खदान(नों) से निष्कर्षित कोयले की भारांकित औसत जी.सी.वी., ऐसी खदान(नों) हेतु कोयले की घोषित जी.सी.वी. की तुलना में अधिक है, वहाँ जी.सी.वी. समायोजन मान्य नहीं होगा।

66.2. ऐसे प्रकरण में जहाँ किसी वर्ष में समेकित खदान(नों) से निष्कर्षित कोयले की भारांकित औसत जी.सी.वी., ऐसी खदान(नों) हेतु कोयले की घोषित जी.सी.वी. की तुलना में कम है, वहाँ उस वर्ष में जी.सी.वी. समायोजन निम्नानुसार परिगणित किया जाएगा :

(क) जहाँ समेकित खदान(नें), कोयला खदान(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी के आयोजन के माध्यम से आबंटित की गयी है :

जी.सी.वी. समायोजन = (कोयले की भाव–पत्रित(कोटेड) कीमत + निश्चित आरक्षित कीमत) x [(कोयले की घोषित जी.सी.वी. – वर्ष में निष्कर्षित कोयले की भारांकित औसत जी.सी.वी.)/(कोयले की घोषित जी.सी.वी.)]

जहाँ,

i) कोयले की भाव–पत्रित कीमत का तात्पर्य है – संबंधित कोयला–खंड(कोलब्लॉक) के संबंध में कोयले की अंतिम पेशकश कीमत तथा पश्चातवर्ती बढ़ोतरी, यदि कोई हो, कोयला खदान विकास एवं उत्पादन समझौते में यथा प्रावधानित :

परन्तु उत्पादन कम्पनी द्वारा नीलामी में बोला गया अतिरिक्त अधिमूल्य(प्रीमियम), यदि कोई हो, को विचार में नहीं लिया जाएगा; तथा

ii) कोयले की घोषित जी.सी.वी. का तात्पर्य नीलामी में यथा विनिर्दिष्ट या बोली गयी जी.सी.वी. है।

(क) जहाँ समेकित खदान(नें), कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत आबंटन–प्रकियाके माध्यम से आबंटित की गयी है :

जी.सी.वी. समायोजन = [(वार्षिक निष्कर्षण लागत ／ए.टी.क्यू.)+(उत्खनन प्रभार)]x[कोयले की घोषित जी.सी.वी. – वर्ष में निष्कर्षित कोयले की भारांकित औसत जी.सी.वी.)／(कोयले की घोषित जी.सी.वी.)]

जहाँ,

i) वार्षिक निष्कर्षण लागत का तात्पर्य है दृ इन विनियमों के विनियम 57 के अनुसार संगणित कोयले की निष्कर्षण लागत;

ii) उत्खनन प्रभार का तात्पर्य है – उत्पादन कम्पनी के द्वारा नियोजित खदान विकासकर्ता एवं परिचालक को उत्पादन कम्पनी के द्वारा उत्खनन कार्य हेतु भुगतान किया गया, कोयले का प्रति टन प्रभार, जहाँ कहीं प्रयोज्य हो।

iii) कोयले की घोषित जी.सी.वी. का तात्पर्य है – उत्खनन योजना के अनुसार या कोयला नियंत्रक के द्वारा यथा–अनुमोदित औसत जी.सी.वी.

**67. गैर–टैरिफ आय के बाबत समायोजन (एन.टी.आई. समायोजन) :**

67.1. किसी वर्ष हेतुगैर–टैरिफ आय बाबत समायोजन (एन.टी.आई. समायोजन), जैसे कि कोयले की समेकित खदान(नों) के प्रकरण में धुलाई–स्थल के विचयनितपदार्थ के विक्रय से आय तथा, कोल इंडिया को आपूर्ति किये गये कोयले, यदि कोई हो या कोयला व्यापारिओं को विक्रय किये गये कोयले से लाभ, कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत यथा अनुज्ञेय, निम्नानुसार परिगणित किया जाएगा :

एन.टी.आई. समायोजन = (वर्ष में समस्त गैर–टैरिफ आय)／(वर्ष के दौरान कोयले या लिगनाईट की वास्तविक निष्कर्षित मात्रा)

67.2. इस विनियम के अनुसार परिगणित गैर–टैरिफ आय बाबत समायोजन, कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी के आयोजन के माध्यम से आबंटित समेकित खदान(नों) के प्रकरण में, प्रयोज्य नहीं होंगे।

68. जमा (क्रेडिट) समायोजन विलेख :

(1) किसी वर्ष में ओ.बी. समायोजन, जी.सी.वी. समायोजन तथा एन.टी.आई. समायोजन को जमा (क्रेडिट) समायोजन विलेख के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

(2) विनिर्दिष्ट अंततः–उपयोग उत्पादन स्थानक के पक्ष में ओ.बी. समायोजन,जी.सी.वी. समायोजन या एन.टी.आई. समायोजन, यथा प्रकरण तथैव, के बाबत उस वर्ष के लिये, जमा समायोजन विलेख निम्नानुसारजारी किया जाएगा :

(i) वर्ष हेतु ओ.बी. समायोजन X उस वर्ष में कोयले और लिगनाईट की आपूर्ति की गयी मात्रा

(ii) वर्ष हेतुजी.सी.वी. समायोजन X उस वर्ष में कोयले और लिगनाईट की आपूर्ति की गयी मात्रा

(iii) वर्ष में एन.टी.आई. समायोजन X उस वर्ष में कोयले और लिगनाईट की आपूर्ति की गयी मात्रा

(3) जमा समायोजन विलेख की राशि, आपूर्ति किये गये कोयला और लिगनाईट के प्रभार के प्रति, जमा समायोजन विलेख जारी करने की दिनांक के पश्चात, समायोजित की जाएगी। समेकित खदान(नें) ऐसे समायोजनों का वार्षिक मिलान पत्रक तैयार करेंगी तथा समस्त अंततः–उपयोग संयंत्रों को पेश करेगी तथा उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित भी करेगी।

69. **गुणवत्ता मापन :** समेकित खदान(नों) से आपूर्ति किये गये कोयला या लिगनाईट की गुणवत्ता, लदान–स्थली पर या प्राप्ति–छोर पर, यदि उत्पादन कम्पनी एवं खदान विकासकर्ता एवं परिचालक के द्वारा ऐसा समझौता किया गया हो, अन्य पक्षकार के द्वारा नमूना–परीक्षण के माध्यम से कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शिका एवं प्रकिया के अनुसार, मापी जाएगी तथा ऐसे कोयले के गुणवत्ता मापन के अभिलेख हितग्राहिओं को मांग करने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

70. **विशेष प्रावधान :** इन विनियमों के अध्याय 3 एवं 4, समेकित खदान(नों) के प्रकरण में प्रयोज्य नहीं होंगे, सिवाय उतना जितना विशेषतः इस अध्याय–5 में प्रावधानित किया गया या प्रसंगाधीन हो।

परन्तु यह कि समेकित खदान(नों) से आपूर्ति किये गये कोयला और लिगनाईट की अंतर्ग्रहीत कीमत के अवधारण हेतु आवश्यक वित्तीय मानदंड, यदि इस अध्याय में विशेषतः प्रावधानित या प्रसंगाधीन ना हो, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जैसा कोयला या लिगनाईट आधारित उत्पादन स्थानकों पर प्रयोज्य होता है, वैसा विचार में लिये जाएंगे।

## अध्याय – 6

## पारेषण

### 71. टैरिफ के प्रत्यंग (कम्पोनेंट)

71.1. नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार :

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार में नियंत्रण अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी / एस.टी.यू की सकल राजस्व आवश्यकता, गैर–टैरिफ आय की राशि तथा अन्य कारोबार से आय, आयोग द्वारा यथा–अनुमोदित, घटाने के बाद, वसूली हेतु प्रावधान होगा।

71.2. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का वार्षिक पारेषण प्रभार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, इस विनियम के अध्याय–2 के अनुसार सकल राजस्व आवश्यकता अवधारित करने हेतु दायर किये गये आवेदन के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

72. **पूंजी निवेश योजना :**

[2][पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के अध्याय – 2 में विनिर्दिष्ट रीति से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि समस्त राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली जिनकी लागत सीमा रु. 250 करोड़ से अधिक हो तथा वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विकसित किये जाएंगे तथा उन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत आयोग के द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सुसंगत संदर्शिका (तथा उनके संशोधनों) के अनुसरण में विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत अपनाया जाएगा।

सम्पूर्ण राज्यांतरिक स्वतंत्र पारेषण प्रणाली, उर्ध्वधारा/अधोधारा परियोजनाओं सहित, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विकसित करने हेतु बोलिआँ आमंत्रित करने के लिए एकल परियोजना के रूप में गढ़ी जाएंगी।

उस परिस्थिति में जहाँ राज्य सरकार/एस.टी.यू. कोई राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली जो लागत सीमा से ऊपर है, किसी विशिष्ट कारणवश जैसे परियोजना रणनैतिक महत्त्व की है या दुश्कर प्रकृति की है या परियोजना स्वामित्व अथवा गठजोड़ का मुद्दा खड़ा कर सकती है, लागत धन प्रकार से विकसित करने की इच्छुक हैं, तब राज्य सरकार ऐसी रणनैतिक महत्त्व और दुश्कर प्रकृति की परियोजनाओं का निर्णय लेगी तथा राज्य सरकार/एस.टी.यू. इस बाबत आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।][2]

73. राज्यांतरिक पारेषण नेटवर्क हेतु वार्षिक प्रभारों की संगणना

73.1. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित प्रत्यंग(कम्पोनेंट) होंगे :

(1) समता पूंजी पर प्रतिफल

(2) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

(3) मूल्य–ह्रास

(4) परिचालन एवं संधारण व्यय

- क. मानव संसाधन व्यय
  - (i) कर्मचारी व्यय
  - (ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव
  - (iii) बाहरी स्त्रोतों से नियोजित श्रमिक
- ख. संधारण एवं सामान्य (एम्. एंड जी.) व्यय

(5) पेंशन एवं ग्रेच्युटीफंड में अंशदान

(6) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

घटाईये :

(1) गैर–टैरिफ आय

(2) अन्य कारोबार से आय, इस विनियम के विनियम 74 में विनिर्दिष्ट सीमा तक

**टीप :**

1. सकल राजस्व आवश्यकता की गणना करने हेतु विनियम 73.7 में विनिर्दिष्ट गैर–टैरिफ आय को उपरोक्त (1) से (6) क`योग में से घटाया जाएगा।



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से प्रतिस्थापित

2. सांविधिक कर, उपकर तथा ड्यूटी वास्तविक प्रतिभुगतान के आधार पर वसूली–योग्य होंगे।

3. उप–स्थानक में सहायक ऊर्जा खपत हेतु प्रभार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी / एस.टी.यू. के द्वारा वहन किये जाएंगे तथा प्रति–भुगतान के आधार पर वास्तविक व्यय के अनुरूप वसूली योग्य होंगे।

4. पेंशन और ग्रेज्युटी कोष के अंशदान, आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित किये अनुसार समान मासिक किश्तों में वसूली योग्य; होंगे।

5. [2][केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होगा।

   परन्तु यह कि उस परिस्थिति में जब अधिनियम की धारा 62 या 63 के तहत टैरिफ के अवधारण के पश्चात् किसी विधि के संशोधन या निरसन की वजह से विधि में परिवर्तन हुआ हो, तब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित पक्षकार की हैसियत से विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत प्रभावित राशि (अचर/आवर्ती) की वसूली हेतु प्रपत्रों एवं प्रक्रियाओं के एक बार अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। नियमों के अनुसरण में परिवर्ती वसूली तदनुसार की जाएगी।][2]

### 73.2. समता पूंजी पर प्रतिफल

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु समता पूंजी पर प्रतिफल इन विनियमों के विनियम 23 में यथा विनिर्दिष्ट मान्य होगा।

### 73.3. ऋण पूंजी पर ब्याज

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु ऋण पूंजी परब्याज और वित्तीय प्रभार, इन विनियमों के विनियम 24 में यथा विनिर्दिष्टि मान्य होंगे।

### 73.4. मूल्य–ह्रास

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को स्थावर परिसम्पत्तियों की लागत पर मूल्य;–ह्रास वसूल करने के लिए इन विनियमों के विनियम 25 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अनुमति दी जाएगी।

### 73.5. परिचालन एवं संधारण व्यय

73.5.1. मानव संसाधन व्यय

क) मानव संसाधन व्यय में सम्मिलित होंगे :

   (i) कर्मचारी लागत

   (ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव

   (iii) बाह्य स्त्रोतों से नियोजित श्रमिक

(ख) सभी विद्यमान उत्पादन स्थानकों के लिये नियंत्रण अवधि हेतु आयोग मानव संसाधन व्यय के प्रत्येक प्रत्यंग(कम्पोनेंट) हेतु पृथकतः प्रपथ उपबंधित (स्टीपुलेट) करेगा।

(ग) मानव संसाधन व्यय में, कर्मचारी लागत, वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, बाह्य स्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों के प्रति समस्त व्यय, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्यय शामिल हैं। आधार वर्ष



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से जोड़ा गया

अर्थात् एफ.वाई. 2021–22 को, आधार वर्ष एफ.वाई. 2021–22 से तुरंत पूर्व पांच वर्षो की लेखा–पुस्तकों में उपलब्ध वास्तविक मानव संसाधन लागत के सामान्य औसत में से वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्ययों को हटाकर, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, लब्ध(डिराईव्ड) किया जाएगा।

(घ) मानव संसाधन लागत का सामान्यीकरण, विगत पांच वर्षो में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगार (सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) वर्ष–प्रति–वर्ष के आधार पर किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 के शुद्ध वर्तमान मूल्य के सामान्य औसत का उपयोग आधार वर्ष एफ.वाई. 2021–22 का मूल्य अनुमानित करने के लिये किया जाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु मानव संसाधन व्यय (वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्ययों, यदि कोई हो, को हटाकर) अनुमानित करने हेतु आधार वर्ष के अनुमानित मूल्य में उपरोक्त प्रसार दर से वृद्धि की जाएगी।

(ङ) वास्तविकीकरण के समय वास्तविक मानव संसाधन लागत को विचार में लिया जाएगा जो कि प्राप्ति/हानि तंत्र के अध्यधीन नहीं होगी।

परन्तु यह कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव (बकाया भुगतान सहित) तथा पेंशन कोष के अंशदान पर वास्तविक नगद बहिर्प्रवाह(आउट–फ्लो) लेखा पुस्तकों के अनुसार मान्य होंगे जोकि दूरदर्शिता परीक्षण एवं आयोग द्वारा यथोचित समझे गये अन्य किसी कारक के अध्यधीन होंगे।

(च) (सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) (अखिल भारतीय), श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, {आधार वर्ष रू 2001=100} के अनुसार होगा।

73.5.2. **संधारण एवं सामान्य व्यय**

(क) संधारण एवं सामान्य (एम्. एंड जी.) व्यय में सम्मिलित होंगे।

(i) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(ii) मरम्मत एवं संधारण व्यय

(ख) संधारण एवं सामान्य व्यय, अर्थात् नियंत्रण अवधि हेतु आर. एंड एम्. व्यय तथा ए. एंड जी. व्यय हेतु आयोग पृथकतः प्रपथ उपबंधित (स्टीपुलेट) करेगा।

(ग) आधार वर्ष अर्थात् एफ.वाई. 2020–21 हेतु ए. एंड जी. व्यय (बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों को छोड़कर,यदि कोई हो), आधार वर्ष एफ.वाई. 2020–21 के तुरंत पूर्व विगत पाँच (5) वर्षों के लेखाओं में उपलब्ध, वास्तविक ए. एंड जी. व्यय (बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों को छोड़कर, यदि कोई हो) के सामान्यीकृत औसत के आधार पर, ज्ञात किये जाएंगे, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन; अन्य किसी अनावर्ती प्रकृति के व्यय को, विगत पाँच (5) वर्षों हेतु सामान्यीकृत औसत का अवधारण करते समय, छोड़ दिया जाएगा।

(घ) ए. एंड जी. व्यय के सामान्यीकरण के अनुमान हेतु, विगत पाँच वर्षो के प्रसार (इन्फ्लेशन) में औसत बढ़ोतरी/कमी को, डब्ल्यू.पी.आई. को 40 प्रतिशत वजन देते हुए तथा सी.पी.आई. को 60 प्रतिशत वजन देते हुए संगततः वर्ष–प्रतिवर्ष के आधार पर, प्रयुक्त किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 तक का सामान्यीकृत निवल वर्तमान मूल्य का औसत, आधार वर्ष का मान एफ.वाई. 2021–22 हेतु ज्ञात करने के वास्ते उपयोग किया जाएगा। ए. एंड जी. व्यय के प्राक्कलन हेतु

अनुमानित आधार वर्ष मान में, उपरोक्त प्रसार दर (इन्फ्लेशनरेट) से बढ़ोतरी की जाएगी।

(ङ) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष का आर. एंड एम. व्यय, प्रारंभिक सकल स्थावर परिसम्पत्तियों के प्रतिशत (टैरिफ आदेश में तय किये गये मानकों के अनुसार) के रूप में परिगणित किया जाएगा। नियंत्रण अवधि के आगामी वर्षों के आर. एंड एम. व्यय ज्ञात करने हेतु, प्रथम वर्ष के अनुमानित आर. एंड एम. व्यय पर परिकलित (प्रोजेक्टेड) डब्ल्यू. पी.आई. दर प्रयुक्त की जाएगी।

(छ) समस्त वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक संख्याएँ, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय के अनुसार, होंगी {आधार वर्ष : 2011–12 श्रृंखला}।

(ज) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) (अखिल भारतीय), श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, {आधार वर्ष : 2001=100} के अनुसार होगा।

(झ) वास्तविकीकरण के समय प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय, उस अवधि की वास्तविक मुद्रा–प्रसार(इन्फ्लेशन) को हिसाब में लेने के पश्चात् विचार में लिये जाएंगे,नांकि पूर्वानुमानित मुद्रा–प्रसार(इन्फ्लेशन ) को लेकर।

73.5.3. अतिरिक्त पूंजी निवेश या विधि या किसी सांविधिक प्राधिकारी के दिशा–निर्देशों में कोई परिवर्तन की वजह से निर्वहित अतिरिक्त ओ. एंड एम. व्यय के प्रकरण में, टैरिफ आदेश में मान्य किये गये ओ. एंड एम. प्रभार से अधिक एवं ऊपर आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के पश्चात् पार–गामी(पास थ्रू) होगा।

### 73.6. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज, इन विनियमों के विनियम 26 में यथा विनिर्दिष्टि मान्य होगा।

### 73.7. गैर–टैरिफ आय

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार से आनुषंगिक कोई आय जिनमेंअग्रांकित सम्मिलित है किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयागीसामाग्री के विक्रय (परिसम्पत्तियों पर मूल्य–ह्रास एवं अवशेष मूल्य के समायोजन के उपरांत)से आय, विज्ञापनों से अय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज,तथा अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ सम्मिलित है, गैर–टैरिफ आय निर्मित करेगी।

पारेषण के कारोबार से संबंधित गैर टैरिफ आय के राशि, आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक पारेषण प्रभारको निर्धारित करते समय उसकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता में से घटा दीजायगी;

परन्तु, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गैर टैरिफ आय का अपना अनुमान आयोग को पूर्ण विवरण सहित उसकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायगेगा।

### 74. अन्य कारोबार से आय

जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी पारेषण परिसम्पत्तियों का उपयोग करते हुए किसी अन्य कारोबार, में संलिप्त होता है, वहाँ ऐसी कारोबार से अर्जित आय, पारेषणअनुज्ञप्तिधारी एवं हितग्राही के मध्य निम्नांकित रीति से विभाजित की जाएगी :

क) ऐसे अन्य कारोबार से आय का दो–तिहाई हिस्सा पारेषण प्रभारों के अवधारण में सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दिया जाएगा।

ख) ऐसे अन्य कारोबार से आय का एक–तिहाई हिस्सा पारेषणअनुज्ञप्तिधारी के द्वारा रखा जाएगा जोकि दक्षता में सुधार लाने हेतु आर. एंड. डी. व्यय की पूर्ति करने में उपयोग किया जाएगा।

75. राज्यांतरिक पारेषण परिपथ(नेटवर्क) हेतु प्रभारों का विभाजन

पारेषण प्रणाली की स्थिर लागत की संगणना, इन विनियमों में समाहित मानकों के अनुसार, वार्षिक आधार पर की जाएगी, यथोचित सकलीकृत की जाएगी तथा मासिक आधार पर पारेषण प्रभार के बतौर, सुगम्यता विनियमों में विनिर्दिष्ट तौर–तरीकों से, हितग्राहिओं से वसूल की जाएगी।

**76. पारेषण प्रणाली ह्रास**

76.1. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली में राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा अवधारित तथा आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा का ह्रास, पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं के द्वारा उनके राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के अनुपात में वहन किये जाएंगे।

परन्तु यह कि पारेषण उप–स्थानक की सहायक प्रणाली द्वारा ऊर्जा की खपत की मात्रा तथा उप–स्थानक के भीतर स्थित स्थानक ट्रांसफार्मर ह्रास, पारेषण ह्रास नहीं होंगे।

76.2. पारेषण हानि के स्तरों की गणना केन्द्रीय पारेषण उपक्रम और अन्य समस्त ऊर्जा स्रोंतों द्वारा पारेषण प्रणाली में विभिन्न इंटरफेस बिन्दुओं पर डाली गई सकल ऊर्जा के योग (X) और समस्त ई.एच.वी. उपकेन्द्र से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 33 के.व्ही. पर पारेषित ऊर्जा के योग तथा पारेषण प्रणाली से संयोजित ओपन एक्सेस उपभोक्ता(ओं) को पारेषित की गई, कुल विद्युत (Y) के अंतर के रूप में परिगणित किया जाएगा। प्रतिशत में व्यक्त की गई पारेषण हानियां, पारेषण प्रणाली में डाली गई विद्युत पारेषण की हानि का प्रतिशत निम्नानुसार होगी :–

$$\text{पारेषण हानि (\%)} = \frac{(x-y) \times 100}{x}$$

**77. सुगम्यता उपभोक्ता हेतु ऊर्जा–ह्रास**

किसी सुगम्यता ग्राहक(कों) के द्वारा पारेषण प्रणाली को उपयोग करने हेतु ऊर्जा–ह्रास की वसूली, आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में नियंत्रण अवधि के संगततःवित्तीय वर्ष हेतु पूर्वानुमानित पारेषण–ह्रास के समतुल्य दर पर, मान्य की जाएगी।

## अध्याय –7

## <u>वितरण एवं चक्रण (व्हीलिंग) कारोबार</u>

**78. प्रयोज्यता**

इस अध्याय में समाहित विनियम किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरणतारों के उपयोग हेतु भुगतान योग्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होंगे।

## 79. वितरण व्हीलिंग व्यापार के लिए सकल राजस्व आवश्यकता के घटकः

**79.1.** वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण चक्रण (व्हीलिंग) कारोबार के लिए चक्रण (व्हीलिंग) प्रभारों में, इन विनियम के विनियम 89 में यथा प्रावधानित सकल राजस्व आवश्यकता की वसूली का प्रावधान रहेगा, और उसमें निम्नांकित सम्मिलित होंगेः

(1) समता पूंजी पर प्रतिफल;

(2) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(3) मूल्य–ह्रास

(4) परिचालन और संधारण के व्यय;

- क) मानव संसाधन व्यय
  - (i) कर्मचारी लागत
  - (ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव
  - (iii) बाह्य स्त्रोतों से नियोजित श्रमिक
- (ख) संधारण और सामान्य व्यय

(5) पेंशन और ग्रेच्युटी कोष अंशदान

(6) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

**घटाएंः**

(1) गैर टैरिफ आय

(2) अन्य कारोबार से आय, इन विनियमों के विनियम 84 में विनिर्दिष्ट सीमा तक

**टीपः**

1. ए.एफ.सी. ज्ञात करने के लिए विनियम 83.6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर टैरिफ आय उपर्युक्त (1 से 6)में से घटा दिये जायेंगे;
2. वैधानिक कर और शुल्क प्रतिपूर्ति आधार पर, वास्तविकता अनुसार वसूली योग्य होंगे;
3. अनुज्ञप्तिधारी उपकेन्द्र में सहायक ऊर्जा खपत के प्रभारों को एआरआर की गणना के प्रयोजन के लिए व्यय माना जाएगा।
4. पेंशन और ग्रेज्युटी कोष के अंशदान, आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित किये अनुसार समान मासिक किश्तों में वसूली योग्य होंगे।

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा इन विनियिमों के अध्याय–2 के अनुरूप वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु किये गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे;

परन्तु, यह और भी कि वितरण प्रणाली उपयोगकर्ता से वसूली के उद्देश्य से ऐसे व्हीलिंग प्रभार रूपये प्रति किलोवॉट घंटा के प्रतिमानों (डिनॉमिनेशन) अथवा ऐसे अन्य प्रतिमानों (डिनॉमिनेशन) में होंगे, जैसे आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किये जायें।

## 80. आबंटन मैट्रिक्स

वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने लेखाओं (खातों) को व्हीलिंग कारोबार और खुदरा आपूर्ति कारोबार से पृथक रखेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा वितरण वायर कारोबार के पृथक किये हुए खातों के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे;

परन्तु, जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण व्हीलिंग कारोबार और खुदरा आपूर्ति कारोबार के खातों को पृथक से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, वहां आयोग निम्नलिखित रीति से आबंटन मैट्रिक्स निर्धारित करेगा

| विवरण | वितरण व्हीलिंग कारोबार (%) | खुदरा आपूर्ति कारोबार (%) |
|---|---|---|
| विद्युत क्रय व्यय | - | 100 |
| अंतर्राज्यीयपारेषण प्रभार | - | 100 |
| राज्यांतारिकपारेषण प्रभार | - | 100 |
| परिचालन एवं संधारण व्यय<br>मानव संसाधन व्यय | 65 | 35 |
| संधारण एवं सामान्य व्यय<br>मरम्मत एवं संधारण व्यय<br>प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय | <br>90<br>90 | <br>10<br>10 |
| मूल्य–ह्रास | 90 | 10 |
| दीर्घावधिऋण पूंजी पर ब्याज | 90 | 10 |
| कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 10 | 90 |
| पेंशन एवं ग्रैच्युटी कोष में अंशदान | 65 | 35 |
| अशोध्य एवं संदिग्ध लेनदारियों हेतु प्रावधान | 10 | 90 |
| समता पूंजी पर प्रतिफल | 90 | 10 |
| आयकर | 90 | 10 |

## 81. पूंजीनिवेश योजना–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से एक पूंजीनिवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

## 82. पूंजीगत लागत

लगत पूंजी की अनुमति इन विनियिमों के अध्याय–3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जायेगी।

## 83. सकल राजस्व आवश्यकता की गणनाः

### 83.1. समता पूंजी पर प्रतिफल–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वितरण व्हीलिंग कारोबार के लिए आर.ओ.आई. की अनुमति इन विनियिमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

**83.2. ऋण पूंजी पर ब्याज**

ऋण पूंजी पर ब्याज की संगणना इन विनियिमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट अनुसार की जायेगी।

83.3. **मूल्य ह्रास–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों के मूल्य–ह्रास की संगणना इन विनियिमों के विनियम 25 में विनिर्दिष्ट अनुसार की जायेगी।

83.4. परिचालन और संधारण व्यय (ओ. एंड एम. व्यय)

83.4.1 मानव संसाधन व्यय

(क) मानव संसाधन व्यय में निम्नांकित सम्मिलित होंगेः

(i) कर्मचारियों पर लागत;

(ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव;

(iii) बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिक

(ख) आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के लिए मानव संसाधन व्ययों के प्रत्येक प्रत्यंग (कम्पोनेंट) हेतु पृथक प्रपथ उपबंधित (स्टीपुलेट) किया जाएगा।

(ग) मानव संसाधन व्यय में, मानव संसाधन व्यय, वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, बाह्य स्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों के प्रति समस्त व्यय, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्यय शामिल हैं। आधार वर्ष अर्थात् एफ.वाई. 2021–22 को, आधार वर्ष एफ.वाई. 2021–22 से तुरंत पूर्व पांच वर्षो की लेखा–पुस्तकों में उपलब्ध वास्तविक मानव संसाधन व्यय के सामान्य औसत में से वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्ययों को हटाकर, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, लब्ध (डिराईव्ड) किया जाएगा।

(घ) मानव संसाधन व्यय का सामान्यीकरण, विगत पांच वर्षो में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगार (सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) वर्ष–प्रति–वर्ष के आधार पर किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 के शुद्ध वर्तमान मूल्य के सामान्य औसत का उपयोग आधार वर्ष एफ.वाई. 2021–22 का मूल्य अनुमानित करने के लिये किया जाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु मानव संसाधन व्यय (वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्ययों, यदि कोई हो, को हटाकर) अनुमानित करने हेतु आधार वर्ष के अनुमानित मूल्य में उपरोक्त प्रसार दर से वृद्धि की जाएगी।

(ङ.) वास्तविकीकरण के समय वास्तविक मानव संसाधन व्यय को विचार में लिया जाएगा जो कि प्राप्ति/हानि तंत्र के अध्यधीन नहीं होगी।

परन्तु यह कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव (बकाया भुगतान सहित) तथा पेंशन कोष के अंशदान पर वास्तविक नगद बहिर्प्रवाह(आउट–फ्लो) लेखा पुस्तकों के अनुसार मान्य होंगे जोकि दूरदर्शिता परीक्षण एवं आयोग द्वारा यथोचित समझे गये अन्य किसी कारक के अध्यधीन होंगे।

(च) (सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) (अखिल भारतीय), श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, {आधार वर्ष रू 2001=100} के अनुसार होगा।

83.4.2. संधारण एवं सामान्य व्यय

(क) संधारण एवं सामान्य (एम. एंड जी.) व्यय में सम्मिलित होंगे।

(i) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;

(ii) मरम्मत एवं संधारण व्यय;

(ख) संधारण एवं सामान्य व्यय, अर्थात् नियंत्रण अवधि हेतु आर. एंड एम. व्यय तथा ए.एंड जी. व्यय हेतु आयोग पृथकतः प्रपथ उपबंधित(स्टीपुलेट) करेगा।

(ग) आधार वर्ष अर्थात् एफ.वाई. 2020–21 हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों के छोड़कर) (ए. एंड जी.) तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय (बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों को छोड़कर) (आर. एंड एम.), आधार वर्ष के तुरंत पूर्व विगत पाँच(5) वर्षों की लेखा–पुस्तकों में संगततः उपलब्धवास्तविक प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों तथा जल–प्रभारों को छोड़कर) तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय (बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों को छोड़कर) के सामान्यीकृत औसत के आधार पर आयोग के द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, लब्ध(डिराईव्ड) किये जाएंगे। अन्य किसी अनावर्ती प्रकृति के व्यय को, विगत पाँच(5) वर्षोंहेतु सामान्यीकृत औसत का अवधारण करते समय, छोड़ दिया जाएगा।

(घ) आर. एंड एम. व्यय का सामान्यीकरण, विगत पाँच वर्षो के समस्त वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) में वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर औसत बढ़ोतरी/कमी को प्रयुक्त करते हुए किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 तक का सामान्यीकृतनिवल वर्तमान मूल्य का औसत, आधार वर्ष का मानएफ.वाई. 2021–22 हेतु ज्ञात करने के वास्ते उपयोग किया जाएगा।

(ङ) ए. एंड जी. व्यय के सामान्यीकरण के अनुमान हेतु, विगत पाँच वर्षो के प्रसार (इन्फ्लेशन) में औसत बढ़ोतरी/कमी को, डब्ल्यू.पी.आई. को 40ः मान देते हुए तथा सी. पी.आई. को 60ः मान देते हुए संगततः वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर, प्रयुक्त किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 तक का सामान्यीकृतनिवल वर्तमान मूल्य का औसत, आधार वर्ष का मान एफ.वाई. 2021–22 हेतु ज्ञात करने के वास्ते उपयोग किया जाएगा।

(च) अनुमानित आधार वर्ष मान में, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय के प्राक्कलन हेतु,उपरोक्त प्रसार दर(इन्फ्लेशनरेट) से बढ़ोतरी की जाएगी।

(छ) समस्त वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक संख्याएँ, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय के अनुसार, होंगी {आधार वर्ष : 2011–12 श्रृंखला}।

(ज) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) (अखिल भारतीय), श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, {आधार वर्ष : 2001=100} के अनुसार होगा।

(झ) वास्तविकीकरण के समय प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय, उस अवधि की वास्तविक मुद्रा–प्रसार (इन्फ्लेशन) को हिसाब में लेने के पश्चात् विचार में लिये जाएंगे, नांकि पूर्वानुमानित मुद्रा–प्रसार (इन्फ्लेशन) को लेकर।

83.4.3. अतिरिक्त पूंजी निवेश या विधि या किसी सांविधिक प्राधिकारी के दिशा–निर्देशों में कोई परिवर्तन की वजह से निर्वहित अतिरिक्त ओ. एंड एम. व्यय के प्रकरण में, टैरिफ आदेश में मान्य किये गये ओ. एंड एम. प्रभार से अधिक एवं ऊपर आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के पश्चात् पार–गामी (पास थ्रू) होगा।

83.5. कार्यशील पूंजी पर ब्याज कार्यशील पूंजी पर ब्याज, इन विनियमों के विनियम 26 में यथा विनिर्दिष्टि मान होगा।

83.6. गैर–टैरिफ आय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार से आनुषंगिक कोई आय जिनमें अग्रांकित सम्मिलित है किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामाग्री के विक्रय (परिसम्पत्तियों पर मूल्य–ह्रास एवं अवशेष मूल्य के समायोजन के उपरांत) से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं / संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, सुगम्यता प्रभार, समानांतर परिचालन प्रभार अर्थ–दंड तथा अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ सम्मिलित है, किन्तु ऊर्जा के विक्रय से आय से भिन्न, गैर–टैरिफ आय निर्मितकरगी।

वितरण व्हीलिंग कारोबार से संबंधित गैरटैरिफ आय के राशि, आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तार कारोबार के व्हीलिंग प्रभार को निर्धारित करते समय उसकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता में से घटा दीजायगी;

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गैर टैरिफ आय; का अपना अनुमान आयागे को पूर्ण विवरण सहित उसकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

## 84. अन्य कारोबार से आय

जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वितरण परिसम्पत्तियों का उपयोग करते हुए किसी अन्य कारोबार(विद्युत की ट्रेडिंग को छोड़कर), में संलिप्त होता है, वहाँ ऐसी कारोबार से अर्जित आय, अनुज्ञप्तिधारी एवं हितग्राही के मध्य निम्नांकित रीति से विभाजित की जाएगी :

(क) ऐसे अन्य कारोबार से आय का दो–तिहाई हिस्सा वितरण अनुज्ञप्तिधारीके वितरण तार कारोबार के व्हीलिंग प्रभार के अवधारण में सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दिया जाएगा।

(ख) ऐसे अन्य कारोबार से आय का एक–तिहाई हिस्सा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा रखा जाएगा जोकि दक्षता में सुधार लाने हेतु आर. एंड. डी. व्यय की पूर्ति करने में उपयोग किया जाएगा।

## 85. चक्रण (व्हीलिंग) प्रभारों का अवधारण

आयोग, अधिनियम की धारा 62 के तहत पारितअपने आदेश में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के चक्रण कारोबार के चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार विनिर्दिष्ट करेगा। इस विनियम में अन्य किसी वक्त्यके समाहित होने के बावजूद, सुगम्यता ग्राहकोंको प्रयोज्य चक्रण प्रभार, सुसंगत वोल्टेज स्तर(रों) पर संगणित एवं प्रयोज्य किये जाएंगे। परन्तु यह कि सुगम्यता ग्राहकों (उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले खुदरा उपभोक्ताओं से भिन्न) के द्वारा देय चक्रण प्रभार, सुगम्यता विनियम से शासित होंगे।

परन्तु यह भी कि ऐसे सुगम्यता ग्राहकों के द्वारा चुकाए गये प्रभार, खुदरा आपूर्ति कारोबार की सकल राजस्व आवश्यकता को कम करने में इस विनि;म के अध्याय 8 के अनुसार उपयोग किये जाएंगे।

## 86. चक्रण (व्हीलिंग) ह्रास

वितरण तार कारोबार को, वितरण प्रणाली के परिचालन से उदित चक्रण ह्रास के अनुमोदित लक्ष्य स्तर की, भिन्न रूप में, वसूली करने की अनुमति होगी, जैसा संबंधित टैरिफ आदेश में उपबंधित (स्टीपुलेट) किया गया हो।

## अध्याय–8

## खुदरा आपूर्ति कारोबार

**87. प्रयोज्यताः**

ये विनियम किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को विद्युत की खुदरा आपर्ति करने हेतु टैरिफ के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

**88. टैरिफ के प्रत्यंग (कम्पोनेंट):**

88.1. नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के खुदरा आपूर्ति कारोबार के लिए सकल राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित समावेष होगा, नामतः

(1) विद्युत क्रय लागत;

(2) पारेषण और राज्य भार प्रेषण केन्द्र–प्रभार;

(3) परिचालन और संधारण व्यय;

(क) मानव संसाधन व्यय

(i) कर्मचारी व्यय

(ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव

(iii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव

(ख) संधारण और सामान्य व्यय

(4) पेंशन एवं ग्रैच्युटी कोष में अंशदान

(5) मूल्य–ह्रास

(6) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(7) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(8) समता पूंजी परप्रतिफल;

(9) अशोध्य एवं संदिग्ध लेनदारियों हेतु प्रावधान;

(10) इन विनियमों के अध्याय–6 के अधीन यथा निर्धारित वितरण चक्रण(व्हीलिंग) कारोबार हेतु सकल राजस्व; आवश्यकताएं

घटाइयें :

(11) गैर टैरिफ आय

(12) अन्य कारोबार से आय इस विनियम के विनियम 96 में विनिर्दिष्ट हद तक

(13) सुगम्यता / चक्रण प्रभार के बाबत राजस्व,

(14) आधिक्य(सरप्लस) विद्युत के विक्रय से राजस्व (खुदरा उपभोक्ताओं से भिन्न)

परन्तु, प्रतिसहायिकी (क्रॉस–सब्सिडी) प्रभार के बाबत राजस्व की प्राप्ति को केवल लेखाओं के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर किये जाने वाले वास्तविकीकरण के दौरान ही विचार में लिया जायेगा।

88.2. किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खुदरा आपर्ति हेतु टैरिफ का अवधारण आयोग द्वारा यथा स्थिति पृथककृत लेखाओं या आबंटन मैट्रिक्स के आधार पर इन विनियमों के विनियम 80 के अनुसरण में किया जायेगा।

## 89. पूंजीनिवेश योजना–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत की जायेगी।

## 90. पूंजीगत लागत–

पूंजीगत लागत की अनुमति, इन विनियमों के अध्याय–3 में किये प्रावधानों के अनुसार दी जायेगी।

## 91. विक्रय के पूर्वानुमान

91.1. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपने आपूर्ति क्षेत्र की समस्त उपभोक्ता श्रेणियों के लिए एक साथ, प्रतिबंधित मॉग (मेगावॉट में) और अप्रतिबंधित मॉग (मेगावॉट में) और विद्युत का कुल विक्रय; एम्.यू. में) का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जायेगा। विद्युत के श्रेणीवार विक्रय के पूर्वानुमान सामान्यतया सी.ए.जी.आर. अथवा अन्य किसी दूरदर्शितापूर्ण विधि के आधार पर पूर्वाकलित (प्रोजेक्टेड) किये जायेंगे।

91.2. बिना मीटर उपभोक्ता श्रेणियों के लिए, यदि कोई हों, विक्रय पूर्वानुमान आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के पश्चात निर्धारण के अध्यधीन होंगे।

91.3. आयोग, ऊर्जा की माँग में बढ़त, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, खपत के स्वरुप में परिवर्तन, विगत वर्षों का ह्रास प्रपथ (टेजेक्टरी) तथा अन्य कोई सुसंगत कारक जो आयोग द्वारा पूर्वाकलित (प्रोजेक्टेड) ए.आर.आर. एवं ई.आर.सी. की संगणना के वास्ते विक्रय के अनुमोदन हेतु यथोचित समझा जाए को,विचार में लेते हुए जाँच करेगा।

## 92. सकल राजस्व आवश्यकता की परिगणना

### 92.1. समता पूंजी पर प्रतिफलः

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट अनुसार आर.ओ.ई. की अनुमति प्रदान की जायेगी।

### 92.2. ऋण पूंजी पर ब्याज :

ऋण पूंजी पर ब्याज की संगणना इन विनियमों के विनियम 24 के अनुसरण में की जायेगी।

### 92.3. मूल्य ह्रास :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास की संगणना, इन विनियमों के विनियम 25 में विहित रीति से की जायेगी।

### 92.4. विद्युत के क्रय की लागत :

**92.4.1.** वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के क्रय की लागत को, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित, वसूल करने की अनुमति होगी।

**92.4.2.** खुदरा उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु ऊर्जा की आवश्यक मात्रा का निर्धारण करने के उद्देश्य से, अनुमोदित ह्रास प्रपथ (ट्रेजेक्टरी) के अनुसार टी. एंड डी. ह्रास के मानकीय स्तर द्वारा, अनुमोदित खुदरा विक्रय को सकलीकृत (ग्रॉस्डअप) किया जाएगा।

**92.4.3.** परन्तु यह और भी कि वास्तविकीकरण के समय विद्युत क्रय लागत निकालने के लिए व्यपवर्तन(डेविएशन)प्रभारों को विचार में लिया जाएगा और अतिरिक्त विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व को पृथकतः लेखांकित किया जाएगा।

**92.4.4.** [2][विद्युत क्रय की लागत में मासिक बढ़त, इस विनियम के विनियम 93 में वर्णित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफ.पी.पी.ए.एस.) क्रियाविधि के अनुसार, वसूली–योग्य होगी।][2]

92.5. पारेषण और एस.एल.डी.सी. प्रभार :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को,व्ययों को अनुमोदित स्तर पर वसूल करने कीभी, अनुमति दी जाएगीः

(i) राज्यांतरिक पारेषण प्रभार

(ii) अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार

(iii) मध्य्–अवस्थित (इंटरवीनिंग) पारेषण सुविधाओं हेतु प्रभार

(iv) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी(ओं) की वितरण प्रणाली को उपयोग करने हेतु चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार; तथा

(v) आर.एल.डी.सी. तथा एस.एल.डी.सी. को देय, उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट, शुल्क एवं प्रभार।

92.6. **परिचालन एवं संधारण व्यय**

92.6.1. मानव संसाधन व्यय खुदरा आपूर्ति कारोबार हेतु मानव संसाधन व्यय इस विनियम के विनियम 83.4.1 के अनुसार मान्य किये जाएंगे।

92.6.2. संधारण एवं सामान्य व्यय खुदरा आपूर्ति कारोबार हेतु संधारण एवं सामान्य (एम्.एंड जी.) व्यय इस विनियम के विनियम 83.4.2 के अनुसार मान्य किये जाएंगे।

92.7. कार्यशील पूंजी पर ब्याज कार्यशील पूंजी पर ब्याज इस विनियम के विनियम 26 के अनुसार मान्य किये जाएंगे।

92.8. **अशोध्य ऋण अपलेखन**

92.8.1. आयोग के द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित अशोध्य ऋण अपलेखन, सकल राजस्व आवश्यकता में से पार–गामी (पास थ्रू) के बतौर, विगत वर्षों में अशोध्य ऋण अपलेखन की परिपाटी के आधार पर, दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, मान्य किया जा सकता है।

92.8.2. परन्तु यह कि आयोग,ए.आर.आर. में अशोध्य ऋण अपलेखन का वास्तविकीकरण, यथार्थतः अपलेखित अशोध्य ऋण के आधार पर,वर्ष के दौरान विलंबित भुगतान हेतु अधिभार–माफ़ी, यदि कोई है, को छोड़कर, दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन करेगा।

परन्तु यह और भी कि किसी अशोध्य ऋण विशेष के अपलेखन के पश्चात, यदि उस अशोध्य ऋण से राजस्व की उगाही हो जाती है, तब जिस वर्ष में वह उगाह हुई है, उस वर्ष में उसे अनियंत्रणीय मद के बतौर, गैर टैरिफ आय के अंतर्गत, सम्मिलित किया जाएगा।



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से जोड़ा गया

## 93. [2][ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफ.पी.पी.ए.एस.)

93.1 $n^{वें}$ माह के वास्तविक टैरिफ की तुलना में टैरिफ आदेश में अनुमोदित $n^{वें}$ माह के टैरिफ में विचलन के हिसाब की रकम (कोयले की पहुँच लागत तथा विवेकपूर्ण परीक्षण इत्यादि के उपरांत प्रतिष्ठित तृतीय पक्षकार एजेंसी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरिफिक मान में विचलन के फलस्वरूप) उन उत्पादन स्टेशनों के द्वारा जो राज्य में स्थित हैं तथा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करते हैं, मासिक आधार पर निश्चित किये जाएंगे तथा $(n+2)^{वें}$ माह के नियमित मासिक देयकों के द्वारा पंक्ति मद नामतः ईंधन एवं अन्य व्यय के बतौर वसूल किये जाएंगे।

**उदाहरण** :– वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बिजली की आपूर्ति करने वाली उत्पादन कंपनी अप्रैल महीने का ईंधन लागत समायोजन (एफ.सी.ए.), जून महीने के दौरान आपूर्ति की गई बिजली के बिल जो कि जुलाइ महीने में जारी किया जाएगा, में एक पंक्ति मद के रूप में जुटाएगी।

93.2 उत्पादन कंपनी द्वारा अपने प्रत्येक तापीय विद्युत केन्द्र के लिए प्रत्येक माह हेतु एफ.सी.ए. पृथकतः परिगणित किया जाएगा। किसी माह के लिए एफ.सी.ए. की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

FCA, (रूपयों में) = माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस) X मासिक ऊर्जा प्रभार दर में परिवर्तन, (ई.सी.आर.) मासिक ऊर्जा प्रभार में अंतर = ECR (T) - ECR (M)

जहां,

ECR (T) = मासिक ऊर्जा प्रभार, टैरिफ ओदश में उस विशिष्ट संयंत्र के लिए विनिर्दिष्ट

ECR(M) = विशिष्ट संयंत्र हेतु विशिष्ट माह के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित ECR

$$ECR(M) = \{(GHR - SFC \times CVSF) \times LPPF / CVPF\} \times 100 / (100 - AUX)$$

जहां,

AUX = मानकीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में

CVPF = प्राथमिक ईंधन का सकल कैलॉरिफिक मान प्राप्ति के रूप में, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में,

CVSF = द्वितियक ईंधन का कैलॉरिफिक मान, किलो कैलोरी प्रति मिली लीटर में, टैरिफ आदेश में यथाविचारित

GHR = मानकीय सकल स्थानक ऊष्मा दर, (नॉर्मेटिवग्रास स्टेशन हीट रेट) किलो कैलॉरी प्रति किलोवाट अव्हर में टैरिफ आदेश में यथा अनुमत

LPPF = प्राथमिक ईंधन की वास्तविक भारांकित औसत पहुँच–कीमत, प्रति किलोग्राम, रूपयों में

SFC = मानकीय विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिली लीटर प्रतिकिलोवाट अव्हर में

उत्पादन कंपनी, मानकीय जी.एस.एच.आर., मानकीय सहायक खपत, मानकीय विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत, कोयले की भारांकित औसत जी.सी.व्ही. प्राप्ति के रूप में और प्राथमिक ईंधन की वास्तविक भारांकित औसत पहुँच–कीमत के आधार पर ई.सी.आर. तैयार करेगा।

परन्तु यह भी कि यदि उत्पादन कंपनी के द्वारा वास्तविकीकरण के वक्त कोई अतिरिक्त दावा दायर किया जाता है, तो वह विवेकपूर्ण परीक्षण के अध्यधीन लिखित में अभिलेखित कारणों से पुष्ट होगा।

परन्तु यह कि उत्पादन कंपनी हेतु अनियंत्रणीय कारणों से, जिसमें किसी माह की समस्त प्रमाणित जाँच रिपोर्ट की अनुपलब्धता भी शामिल हैं, उत्पादन कंपनी उस माह के लिये प्राविधिक ईंधन एवं अन्य व्यय प्रभार जारी करेगी, जिस माह में उक्त अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होगी

उस से अगले माह में अंतिम (फायनल) देयक तैयार किया जाएगा तथा अंतर की रकम की मांग की जाएगी।

कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों द्वारा ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के आंशिक या पूर्ण उपयोग के मामले में, उत्पादन कंपनी और हितग्राहियों द्वारा उनके बिजली खरीद समझौते में सहमति के अलावा या ईसीआर के निर्धारण के लिए संबंधित टैरिफ आदेश में विचार के अनुसार सम्मिश्रण के माध्यम से ईंधन की कमी या किफायती संचालन के अनुकूलन, ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग की अनुमति उत्पादन स्टेशन को दी जाएगीः बशर्ते कि जहां ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग पर ईंधन की भारित औसत कीमत, आयोग द्वारा अनुमोदित आधार ऊर्जा प्रभार दर के 20% से अधिक हो, उस स्थिति में, हितग्राही के साथ पूर्व परामर्श और आयोग के अनुमोदन के बाद ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग पर विचार किया जाएगा।

93.3 इन नियमों के लिए "ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार" (एफ.पी.पी.ए.एस.) का अर्थ आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति की लागत के संदर्भ में ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत और पारेषण प्रभारो में परिवर्तन के कारण, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई, विद्युत की लागत में वृद्धि से है।

बशर्ते कि किसी महीने के बिजली बिक्री बिल के साथ उत्पादक कंपनी/स्टेशन से प्राप्त एफसीए बिल को वितरण कंपनी द्वारा उसी महीने की बिजली खरीद लागत माना जाएगा।

**उदाहरण के लिएः**—यदि कोई वितरण कंपनी किसी उत्पादन कंपनी से दीर्घकालिक आधार पर बिजली खरीद रही है और आयोग द्वारा विस्तृत प्रक्रिया के आधार पर उत्पादन कंपनी 'अप्रैल' महीने के ऊर्जा बिल के साथ पूर्व अवधि के लिए ईंधन लागत समायोजन का दावा करती है। तब एफसीपीएएस की गणना के उद्देश्य से, वितरण कंपनी ऐसे एफसीए को केवल 'अप्रैल' महीने की बिजली खरीद लागत के हिस्से के रूप में मानेगी।

93.4 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की स्वतः विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरे बिना, मासिक आधार पर, संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित विनियम के अनुसार, ट्रू—अप के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर, जैसा कि आयोग द्वारा तय किए गए अनुसार, संगणना की जाएगी और उपभोक्ताओं को बिल भेजा जाएगाः

परन्तु इन नियमों के अनुसार मासिक बिलिंग के लिए स्वचालित पास—थ्रू को समायोजित किया जाएगा।

93.5. ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय की लागत में, वास्तविक भिन्नता और $n^{वें}$ माह के दौरान खरीदी गई विद्युत के लिए अंतर—राज्यीय पारेषण प्रभारों के आधार पर $(n+2)^{वें}$ माह में संगणना की जाएगी और प्रभारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के दौरान आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में परिवर्तनों के कारण ईंधन और विद्युत क्रय अधिभार की संगणना की जाएगी और उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में अप्रैल माह की ऊर्जा प्रभार पर बिल किया जायेगा।

परंतु यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारक, किसी अप्रत्याशित घटना के मामले के अलावा, ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना करने और प्रभारित करने में विफल रहता है, तो इसका ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के कारण लागत की वसूली का अधिकार वापस ले लिया जाएगा और ऐसे मामलों में, ट्रू—अप के दौरान निर्धारित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी वापस ले लिया जाएगा।

93.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारक यह निर्णय ले सकेगा कि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार या उसका एक भाग, उपभोक्ताओं को किसी टैरिफ आघात से बचाने के लिए अगले माह तक आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाये जाने की अवधि अधिकतम दो माह से अधिक नहीं होगी और इसे तभी आगे बढ़ाया जाएगा, यदि किसी बिलिंग माह के लिए कुल ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार, जिसमें पिछले माह में ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को किसी प्रकार आगे बढ़ाए जाने सहित, अनुमोदित टैरिफ के परिवर्तनीय घटक के 20 प्रतिशत से अधिक हो।

93.7 आगे बढ़ाए गए अधिभार को एक वर्ष के भीतर या अगले टैरिफ चक्र से पहले, जो भी पहले हो वसूला जाएगा तथा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वूसली गई धनराशि को पहले ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सबसे पहले आगे बढ़ाए गए भाग के अनुसार संगणित किया जाएगा और इसका अनुसरण बाद के माह में भी किया जाएगा।

93.8 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाए जाने के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पॉइंट बेस्ट लेंडिंग रेट जमा एक सौ पचास बेसिस पॉइंट की अनुमति दी जाएगी जब तक कि इसे टैरिफ के माध्य से वसूला नहीं जाता और इस वहनीय लागत का ट्रू–अप विचाराधीन वर्ष में किया जाएगा।

93.9 ईंधन की मात्रा और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के आधार पर, स्वचालित पास–थ्रू को इस तरह से समायोजित किया जाएगा कि,

(i) यदि ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार $\leq$5% है, तो संगणित ईंधन की वसूली योग्य लागत का 100% तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र का प्रयोग करते हुए स्वतः वसूला जाएगा।

(ii) यदि ईंधन और विद्युत क्रय समयोजन अधिभार >5%, 5% ईंधन और विद्युत क्रय समयोजन अधिभार उपरोक्त 93.9(i) के अनुसार स्वचालित रूप से वसूला जाएगा। शेष ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का 90% को सूत्र का उपयोग करते हुए स्वचालित रूप से वसूला जा सकेगा और राज्य आयोग द्वारा ट्रू–अप के दौरान अनुमोदन के बाद अंतर संबंधी दावा वसूला जा सकेगा।

93.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूले गए राजस्व को, विचाराधीन वर्ष के लिए बाद में वार्षिक राजस्व आवश्यकता के ट्रू–अप के साथ ट्रू–अप किया जाएगा।

93.11 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के निमित्त वर्ष के लिए वसूले गए अतिरिक्त/अनतिरिक्त राजस्व के मामले में, इसे अनुज्ञप्तिधारकों में ट्रू–अप के समय इसकी वहनीय लागत के साथ वसूला जाएगा।

93.12 वितरण अनुज्ञप्तिधारक, निर्धारित प्रारूपों में, किए गए खर्च और वसूले गए ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के बीच भिन्नता के विवरण प्रस्तुत करेगा, और विस्तृत संगणनाएं और सहायक दस्तावेज, जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित होंगी, सामान्य टैरिफ के ट्रू–अप के दौरान प्रस्तुत करेगा।

93.13 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार तंत्र के सुचारू कार्यान्वयन और इसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारक संबंधी बिलिंग प्रणाली को उक्त को ध्यान में रखते हुए अद्यतित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू की जाएगी कि बिलिंग और मीटरिंग विक्रेता

के बावजूद इन्टरऑपरेबिलिटी या यथा–उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से एक समान बिलिंग प्रणाली मौजूद है।

93.14 अनुज्ञप्तिधारक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र, मासिक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना तथा ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (स्वचालित एवं अनुमोदित भागों के लिए अलग–अलग) की वसूली सहित सभी विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और उसे एक समर्पित वेब पते के माध्यम से संगणित करेगा।

93.15 **ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणनाः**

सूत्रः

$$n^{\text{वें}} \text{ माह के लिए मासिक एफपीपीएएस (\%)} = \frac{(\text{ए–बी})*\text{सी} + (\text{डी–ई})}{\{\text{जेड}*(1 - \text{वितरण हानि \%} / 100)\}* \text{ एबीआर}}$$

जहां,

$(n+2)^{\text{वें}}$ माह का अर्थ वह माह होता है जिसमें ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती हैं। यह ईंधन और विद्युत क्रय समयोजन अधिभार $n^{\text{वें}}$ माह में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में बदलाव के कारण लगाया जाता है

ए सभी स्रोतों से $n^{\text{वें}}$ माह (केडब्ल्यूएच में) में खरीदी गई कुल युनिटें हैं जिनमें दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि विद्युत खरीद (वितरण अनुज्ञप्तिधारकों को जारी किए गए बिलों से ली जाएगी) शामिल हैं

बी $n^{\text{वें}}$ माह में सभी स्रोतों से विद्युत की थोक बिक्री है। (केडब्ल्यूएच में) = (जिसे प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी किए गए अनंतिम खातों से लिया जाना है एवं इसे एसएलडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा)

सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत = $n^{\text{वें}}$ माह में सभी स्रोतों से वास्तविक औसत विद्युत क्रय लागत जल प्रभार, सांविधिक कर, ड्यूटी, उपकर सहित (पीपीसी) (रु/केडब्ल्यूएच) (संगणित) – सभी स्रोतों से अनुमानित औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (रु/केडब्ल्यूएच)–(टैरिफ ऑर्डर से) है

डी $n^{\text{वें}}$ माह में वास्तविक अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्यीय पारषेण प्रभार, (ट्रांसको से डिस्कॉम द्वारा बिलों से) (रुपये में), हैं

ई $n^{\text{वें}}$ माह के लिए पारेषण प्रभारों की मूल लागत = (अनुमोदित पारेषण प्रभार/12) (रूपये में) है

जेड [{$n^{\text{वें}}$ माह में राज्य के बाहर सभी स्रोतों से खरीदी गई वास्तविक विद्युत (केडब्ल्यूएच में) * (1 – % में अंतर – राज्यीय पारेषण हानियां/100) + राज्य के भीतर सभी स्रोतों से खरीदी गई विद्युत (केडब्ल्यूएच में)– बी} * (1 – % में अंतरा–राज्यीय हानियां)]/100 केडब्ल्यूएच में

एबीआर = वर्ष के लिए औसत बिलिंग दर (रूपये/केडब्ल्यूएच में टैरिफ आदेश से लिया जाएगा)

वितरण हानियां (% में) = लक्षित वितरण हानियाँ (टैरिफ आदेश से)

अंतरा–राज्यीय हानियां (% में) = टैरिफ आदेश के अनुसार

93.16 विद्युत क्रय लागत में विचलन निपटान तंत्र के परिणाम स्वरूप कोई भी प्रभार शामिल नहीं होंगे।

93.17 अन्य प्रभारों जिनमें सहायक सेवाएं तथा सिक्योरिटी कंसट्रेंड इकोनोमिक डिस्पैच शामिल हैं, को ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार में शामिल नहीं किया जाएगा और राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रू–अप के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।][2]

94. **गैर टैरिफ आय :**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कारोबार से आनुषंगिक कोई आय, जिनमें अग्रांकित सम्मिलित हैं, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से–जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, समानांतर परिचालन, और अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ, जिनमें विद्युत के विक्रय से प्राप्त आय छोड़कर सम्मिलित हैं, से गैरटैरिफ आय निर्मित होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी गैरटैरिफ आय के अपने अनुमान का सम्पूर्ण विवरण, कुल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

95. ऊर्जा की बैंकिंग ऊर्जा की बैंकिंग हेतु प्रभारों की अनुमति संबंधित टैरिफ आदेश में उपबंधित (स्टीपुलेट)किये अनुसार होगी।

96. अन्य कारोबार से आय जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वितरण परिसम्पत्तियों का उपयोग करते हुए किसी अन्य कारोबार (विद्युत की ट्रेडिंग को छोड़कर), में संलिप्त होता है, वहाँ ऐसी कारोबार से अर्जित आय, अनुज्ञप्तिधारी एवं हितग्राही के मध्य निम्नांकित रीति से विभाजित की जाएगी :

(i) ऐसे अन्य कारोबार से आय का दो–तिहाई हिस्सा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तार कारोबार के व्हीलिंग प्रभार के अवधारण में सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दिया जाएगा।

(ii) ऐसे अन्य कारोबार से आय का एक–तिहाई हिस्सा अनुज्ञप्तिधारी केद्वारा रखा जाएगा।

97. प्रतिसहायिकी (क्रॉससब्सिडी) अधिभार बाबत प्राप्तियाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिसहायिकी (क्रॉससब्सिडी) अधिभार के रूप में प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम, 2011 के अनुसरण में आयोग द्वारा यथा अनुमोदित, समय–समय पर यथाप्रयोज्य और यथासंशोधित, को वास्तविकीकरण के समय ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सकल राजस्व आवश्यकताओं में से विद्युत की खुदरा आपूर्ति के टैरिफ की गणना करने में काट लिया जाएगा।

98. वितरण प्रणाली हेतु ऊर्जा ह्रास

98.1. 33 के.व्ही. और नीचे के वोल्टेज स्तर हेतु विद्युत क्षति की संगणना राज्य ग्रिड संहिता, 2011, समय–से पर यथा संशोधित, के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। 33 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर डाली गई विद्युत और इसके समस्त उपभोक्ताओं (खुदरा और सुगम्यता) को विक्रय की गई विद्युत, 33 के.व्ही और नीचे के वोल्टेज स्तर पर, 33 के.व्ही. और नीचे की प्रणाली हेतु ऊर्जा क्षति होगी। वास्तविकीकरण के समय लाभ/हानि के लिए इसी को विचार में लिया जाएगा।

98.2. विक्रय की गई विद्युत, मीटरीकृत विक्रय और गैरमीटरीकृत विक्रय के निर्धारण, यदि कोई हो, का योग होगी जो आयोगद्वारा दूरदर्शिता परीक्षण पर आधारित होगी।



2. विनियम क्रमांक 102/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2023 द्वारा दिनांक 01.04.2023 से जोड़ा गया

98.3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु ऊर्जा ह्रास प्रपथ (ट्रेजेक्टरी) आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

## अध्याय–9

## एस.एल.डी.सी. कारोबार

### 99. वार्षिक प्रभार

**99.1.** राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वार्षिक प्रभारों को प्रणाली परिचालन प्रभार और बाजार परिचालन प्रभार के रूप में संगृहीत किया जाएगा।वार्षिक प्रभार एकल उत्पादको, लघु अवधि मुक्त उपयोग ग्राहकों, थोक उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर उन राज्यांतरिक एक कों पर प्रभारित होंगे और वसूले जाएंगे जो राज्य भारप्रेषण केन्द्र की दीर्घावधि और मध्य अवधि सेवाओं का उपयोग कर रहे है।

### 100. पूंजीनिवेश योजनाः

एस.एल.डी.सी. इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से एक पूंजीनिवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

### 101. टैरिफ के प्रत्यंग(कम्पोनेंट):

101.1. वार्षिक प्रभार में निम्नलिखित प्रत्यंग (कम्पोनेंट) सम्मिलित होंगे, नामतः–

(1) समता पूंजी पर प्रतिफल;

(2) ऋणपूंजीपरब्याज;

(3) मूल्य ह्रास;

(4) परिचालन और संधारण व्यय;

क) मानव संसाधन व्यय

(i) कर्मचारी व्यय

(ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव

(iii)बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिक

ख) संधारण और सामान्य व्यय;

(5) पेंशन एवं ग्रैच्युटी कोष में अंशदान;

(6) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

**टीप** : पेंशन एवं ग्रैच्युटी कोष के अंशदान सामान मासिक किश्तों, में जैसा आयोग द्वारा तय किया जाए वैसा वसूली योग्य होंगे।

### 101.2. समता पूंजी पर प्रतिफल

राज्य भारप्रेषण केन्द्र को इन विनियमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट अनुसार समता पूंजी पर प्रतिफल अनुमत होगा।

### 101.3. ऋण पूंजी पर ब्याज

राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट अनुसार ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार अनुमत होंगे।

### 101.4. मूल्य ह्रास

राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इन विनियमों के विनियम 25 में विनिर्दिष्ट अनुसार स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य पर मूल्य ह्रास वसूल करने की अनुमति दी जाएगी।

### 101.5. परिचालन और संधारण व्यय; (ओ. एंड एम. व्यय)

#### 101.5.1. मानव संसाधन व्यय

(क) मानव संसाधन व्यय में निम्नांकित सम्मिलित होंगेः

- (i) कर्मचारियों पर लागत;
- (ii) वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव;
- (iii) बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिक
- (iv) पेंशन एवं ग्रैच्युटी कोष में अंशदान

(ख) आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के लिए मानव संसाधन व्ययों के प्रत्येक प्रत्यंग(कम्पोनेंट)हेतु पृथक प्रपथ उपबंधित(स्टीपुलेट)किया जाएगा।

(ग) मानव संसाधन व्यय में, कर्मचारी लागत, वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों के प्रति समस्त व्यय, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्यय शामिल हैं। आधार वर्ष अर्थात् एफ.वाई. 2021–22 को, आधार वर्ष एफ.वाई. 2021–22 से तुरंत पूर्व पांच वर्षो की लेखा–पुस्तकों में उपलब्ध वास्तविक मानव संसाधन व्यय के सामान्य औसत में से वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्ययों को हटाकर, आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, लब्ध (डिराईव्ड) किया जाएगा।

(घ) मानव संसाधन व्यय का सामान्यीकरण, विगत पांच वर्षो में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगार (सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) वर्ष–प्रति–वर्ष के आधार पर किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 के शुद्ध वर्तमान मूल्य के सामान्य औसत का उपयोग आधार वर्ष एफ.वाई. 2021–22 का मूल्य अनुमानित करने के लिये किया जाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु मानव संसाधन व्यय (वेतन पुनरीक्षण बकाया–भुगतान का प्रभाव, पेंशन कोष में अंशदान तथा मानव संसाधन से संबंधित अन्य कोई अनावर्ती प्रकृति के व्ययों, यदि कोई हो, को हटाकर) अनुमानित करने हेतु आधार वर्ष के अनुमानित मूल्य में उपरोक्त प्रसार दर से वृद्धि की जाएगी।

(ङ) वास्तविकीकरण के समय वास्तविक मानव संसाधन व्यय को विचार में लिया जाएगा जो कि प्राप्ति/हानि तंत्र के अध्यधीन नहीं होगी।

परन्तु यह कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव (बकाया भुगतान सहित) तथा पेंशन कोष के अंशदान पर वास्तविक नगद बहिर्प्रवाह (आउट–फ्लो) लेखा पुस्तकों के अनुसार मान्य होंगे जोकि दूरदर्शिता परीक्षण एवं आयोग द्वारा यथोचित समझे गये अन्य किसी कारक के अध्यधीन होंगे।

(च) (सी.पी.आई.(आई.डब्ल्यू.)) (अखिल भारतीय), श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, {आधार वर्ष रू 2001=100} के अनुसार होगा।

101.5.2. **संधारण एवं सामान्य व्यय**

(क) संधारण एवं सामान्य (एम. एंड जी.) व्यय में सम्मिलित होंगे।

(i) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(ii) मरम्मत एवं संधारण व्यय

(ख) संधारण एवं सामान्य व्यय, अर्थात् नियंत्रण अवधि हेतु आर. एंड एम्. व्यय तथा ए. एंड जी. व्यय हेतु आयोग पृथकतः प्रपथ उपबंधित (स्टीपुलेट) करेगा।

परन्तु यह और भी कि अतिरिक्त पूंजी निवेश या विधि या किसी सांविधिक प्राधिकारी के दिशा–निर्देशों में कोई परिवर्तन की वजह सेनिर्वहित अतिरिक्त ओ. एंड एम. व्यय के प्रकरण में, टैरिफ आदेश में मान्य किये गये ओ. एंड एम्. प्रभार से अधिक एवं ऊपर आयोग द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के पश्चात् पार–गामी (पास थ्रू) होगा।

(ग) आधार वर्ष अर्थात् एफ.वाई. 2020–21 हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों के छोड़कर) (ए. एंड जी.) तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय (बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों को छोड़कर) (आर. एंड एम), आधार वर्ष के तुरंत पूर्व विगत पाँच(5) वर्षों की लेखा–पुस्तकों में संगततः उपलब्ध वास्तविक प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों तथा जल–प्रभारों को छोड़कर) तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय (बाह्यस्त्रोतों से नियोजित श्रमिकों को छोड़कर) के सामान्यीकृत औसत के आधार पर आयोग के द्वारा दूरदर्शिता परीक्षण के अध्यधीन, लब्ध (डिराईव्ड) किये जाएंगे। अन्य किसी अनावर्ती प्रकृति के व्यय को, विगत पाँच (5) वर्षों हेतु सामान्यीकृत औसत का अवधारण करते समय, छोड़ दिया जाएगा।

(घ) आर. एंड एम. व्यय का सामान्यीकरण, विगत पाँच वर्षो के समस्त वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) में वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर औसत बढ़ोतरी/कमी को प्रयुक्त करते हुए किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 तक का सामान्यीकृतनिवल वर्तमान मूल्य का औसत, आधार वर्ष का मानएफ.वाई. 2021–22 हेतु ज्ञात करने के वास्ते उपयोग किया जाएगा।

(ङ) ए. एंड जी. व्यय के सामान्यीकरण के अनुमान हेतु, विगत पाँच वर्षो के प्रसार (इन्फ्लेशन) में औसत बढ़ोतरी/कमी को, डब्ल्यू.पी.आई. को 40 प्रतिशत मान देते हुए तथा सी.पी.आई. को 60 प्रतिशत मान देते हुए संगततः वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर, प्रयुक्त किया जाएगा। तब एफ.वाई. 2016–17 से एफ.वाई. 2020–21 तक का सामान्यीकृत निवल वर्तमान मूल्य का औसत, आधार वर्ष का मान एफ.वाई. 2021–22 हेतु ज्ञात करने के वास्ते उपयोग किया जाएगा।

(च) अनुमानित आधार वर्ष मान में, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय के प्राक्कलन हेतु, उपरोक्त प्रसार दर (इन्फ्लेशनरेट) से बढ़ोतरी की जाएगी।

(छ) समस्त वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक संख्याएँ, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय के अनुसार, होंगी {आधार वर्षः 2011–12 श्रृंखला}।

(ज) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) (अखिल भारतीय), श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, {आधार वर्ष : 2001=100} के अनुसार होगा।

(झ) वास्तविकीकरण के समय प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय, उस अवधि की वास्तविक मुद्रा–प्रसार(इन्फ्लेशन) को हिसाब में लेने के पश्चात् विचार में लिये जाएंगे,नांकिपूर्वानुमानित मुद्रा–प्रसार(इन्फ्लेशन ) को लेकर।

101.6. **कार्यशील पूंजी पर ब्याज**

एस.एल.डी.सी. हेतु कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज, इन विनियमों के विनियम 26 में यथा विनिर्दिष्टि मान्य होगा।

102. **शुल्क और प्रभारों की लेवी**

102.1. **संग्रहण**

(क) राज्य भारप्रेषण केन्द्र द्वारा इन विनियमों के अधीन निर्धारित शुल्क और प्रभार संग्रह किए जाएंगे।

(ख) राज्य भारप्रेषण केन्द्र, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं से पंजीयन शुल्क और राज्यांतरिक क्रेता से प्रभार, राज्यांरिक विक्रेताओं और राज्यांतरिक एक कों से प्रभार वसूलने और संग्रह करने हेतु अर्हित होगा। उनसे पंजीयन शुल्क लेवी तथा संग्रह नहीं किया जायेगा जिन पर विनियम 2. के अनुसार ये विनियम लागू नहीं होतेहै।

(ग) राज्य भारप्रेषण केन्द्र किन्हीं अन्य विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं, राज्यांतरिक एकक, राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं को प्रदान की गई किन्हीं अन्य सेवाओं और विद्युत विनिमयों (Exchange) हेतु शुल्क और प्रभारों की वसूली और संग्रह के लिए अर्हित होगा।

102.2. प्रणाली परिचालन प्रकार्य और बाजार परिचालन प्रकार्य हेतु वार्षिक प्रभारों के प्रत्यंगों का आबंटन और प्रभाजन :

(क) राज्य प्रणाली परिचालन प्रकार्य की ओर वार्षिक प्रभार, वार्षिक प्रभारों का 80 प्रतिशत समाविष्ट होगा।

(ख) राज्यांतरिक बाजार परिचालन प्रकार्य की ओर वार्षिक प्रभार, वार्षिक प्रभारों का शेष 20 प्रतिशत समाविष्ट होगा।

(ग) प्रणाली परिचालन प्रभारों और बाजार परिचालन प्रभारों हेतु वार्षिक प्रभारों के आबंटन का अनुपात आयोग द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित और निश्चित किया जाएगा।

102.3. प्रणाली परिचालन प्रभार(एस.ओ.सी.) तथा बाज़ार परिचालन प्रभार(एम.ओ.सी.) की लेवीः

इन विनियमों के विनियम 102.2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रणाली परिचालन प्रभारों और बाजार परिचालन प्रभारों का निर्धारण, वार्षिक प्रभारों के विभिन्न प्रत्यंगों की आबंटित और/अथवा प्रभाजित राशि को जोड़कर किया जाएगा।

102.4. **प्रणाली परिचालन प्रभार की लेवी:**

(क) प्रणाली परिचालन प्रभार निम्नलिखित मानकों के अनुसार संग्रहीत किए जाएंगेः–

(i) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारीगण) (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर): प्रणाली परिचालन प्रभार का 10 प्रतिशत

(ii) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र को छोड़कर) : प्रणाली परिचालन प्रभार का 45 प्रतिशत

(iii) राज्यांतरिक क्रेता (थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर) : प्रणाली परिचालन प्रभार का 45 प्रतिशत

परंतु यदि राज्यांतरिक अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारीगण) (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं तो प्रणाली परिचालन प्रभारों का संग्रह, राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं से निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया जाएगाः—

(i) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र को छोड़कर) : प्रणाली परिचालन प्रभार का 50 प्रतिशत

(ii) राज्यांतरिक क्रेता (थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर) : प्रणाली परिचालन प्रभार का 50 प्रतिशत

(ख) प्रणाली परिचालन प्रभारों की वसूली राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) से उनकी स्वामित्व की लाईनों, जैसी वेबिलिंग माह से पूर्वमाह के अंतिम दिवस को थी, के सर्किट किलोमीटर आधार पर, की जाएगी।

(ग) राज्यांतरिक विक्रेताओं से राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु प्रणाली परिचालन प्रभार, उनकी संविदाकृत क्षमता के आधारपर संग्रहित किए जाएंगे।

(घ) राज्यांतरिक क्रेताओं से राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु प्रणाली परिचालन प्रभार, उनकी संविदाकृत क्षमता के आधार पर संग्रहीत किए जाएंगे।

**टीपः** उपर्युक्त प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, थोक उपभोक्ताओं, केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे। आगे यह प्रभार अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं पर भी लागू नहीं होगा, जो विद्युत की मात्रा को केवल लघु अवधि सुगम्यता मार्ग से प्राप्त अथवा विक्रय कर रहे है।

102.5. **बाजार परिचालन प्रभारों की लेवी**:

समस्त राज्यांतरिक विक्रेताओं और राज्यांतरिक क्रेताओं से चाहे उनकी संविदाकृत क्षमता कुछ भी हो, बाजार परिचालन प्रभार समान रूप से संग्रहित किए जाएंगे।

**टीप :** उपर्युक्त प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, थोक उपभोक्ताओं, केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे।आगे यह प्रभार अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं पर भी लागू नहीं होगा, जो विद्युत की मात्रा को केवल लघु अवधि सुगम्यता मार्ग से प्राप्त अथवा विक्रय कर रहे है।परन्तु यदि राज्यांतरिक विक्रेता कोई उत्पादन कंपनी है तो वह इन प्रभारों का भुगतान उत्पादन स्थानकवार करेगी।

102.6. **अन्य सुगम्यता उपभोक्ताओं के लिए शुल्क और प्रभार :**

(क) उपर्युक्त के अंतर्गत न आने वाले लघु अवधि सुगम्यता उपभोक्ताओं (राज्यांतरिक केता और राज्यांतरिक विक्रेता) हेतु शुल्क एवं प्रभार केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभारों के अनुसार रहेंगे (अर्थात् लघु अवधि अंतर्राज्यीय सुगम्यता लेने वाले राज्यांतरिक एकक हेतु)।

(ख) इस प्रकार लघु अवधि सुगम्यता उपभोक्ताओं से संग्रहीत ऐसे प्रभार राज्य भारप्रेषण केन्द्र की ''विविध आय'' समझे जाएंगे। राज्य भार प्रेषण केन्द्र लघु अवधि सुगम्यता उपभोक्ताओं से अर्जित राजस्व के लिए पृथकलेखे संधारितकरेगा।

**102.7. पंजीयन शुल्क की लेवी:**

**(क)** समस्त ऐसे उत्पादन कम्पनी एवं अनुज्ञप्तिधारी (विनियम 2.2 के अंतर्गत आने वालो को छोड़कर) जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से संयोजित होने के इच्छुक हैए इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट–V में यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन देकर स्वयं को राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीकृत कराएंगे। यह पंजीयन 10 वर्षो की अवधि के लिए वैध होगा और उसके उपरांत पंजीयन का नवीनीकरण उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट रीति से और आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क और प्रभारों के भुगतान पर कराया जाएगा।

परन्तु राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पहले से ही पंजीकृत उत्पादन कम्पनी एवं अनुज्ञप्तिधारी का पंजीयन, पंजीयन-दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

**टीपः** स्वामित्व के हस्तांतरण/परिवर्तन को विवनियम 102.7(क) के अनुसार नए सिरे से पंजीकृत करवाना होगा।

(ख) विद्युत उत्पादन संयंत्र (इसमें स्वयमेव (केप्टिव) उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है) हेतु पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ, 50 मेगावाट और ऊपर की स्थापित क्षमता हेतु रूपये 10,00,000/– (दस लाख) और 50 मेगावाट से नीचे की स्थापित क्षमताहेतु रूपये 5,00,000/– (पांच लाख) का शुल्क संलग्न कियाजाएगा।

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा आधारित, ग्रिड संयोजित विद्युत उत्पादन संयंत्र को अपने विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पंजीयन राज्य भारप्रेषण केन्द्र के पास रूपये 2,00,000/– (दो लाख) के भुगतान पर, (चाहे उसकी स्थापित क्षमता कुछ भी हो) कराना आवश्यक होगा। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के रूपमें एक पात्रता प्रमाण पत्र जो राज्य संपर्क अभिकरण अर्थात् छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा विहित रूप से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

परन्तु ऐसे एकल उत्पादनकर्ता जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के उद्देश्य से ऊर्जा मापन या लेखांकन हेतु अथवा किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए जैसा की आयोग द्वारा समय–समय पर आदेशित किया जाए, को भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। ऐसे प्रकरणों में संयंत्र की स्थापित क्षमता चाहे कुछ भी होए शुल्क रूपये 1,00,000/– (एक लाख) होगा।

(ग) सभी उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी हेतु, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं को उपयोग करने के इच्छुक है, पंजीयन शुल्क रूपये 10,00,000/– (दस लाख) होगा।

(घ) किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र (जिसमें केप्टिव उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है) तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पंजीयन शुल्क के भुगतान में चूक होने के प्रकरण में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आयोग को संदर्भ प्रेषित किया जा सकेगा।

(ड.) आवेदन के परीक्षण करने के उपरांत और आवेदन में प्रस्तुत जानकारी की सत्यता से संतुष्ट होने के बाद राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवेदक का पंजीयन, आवेदक को स्वीकृति की विहित सूचना देते हुए, करेगा।

(च) एक बार भुगतान किए जाने पर पंजीयन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत केन्द्र की क्षमता 50 मेगावाट से कम, से बढ़ाकर 50 मेगावाट या अधिक की जाती है वहां अंतर की राशि रूपये 5,00,000/– (पांच लाख) भुगतान योग्य होगी।

(छ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पंजीकृत उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों की सूची अपनी वेबसाईट पर संधारित की जाएगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उन उत्पादन स्थानकों और अनुज्ञप्तिधारियो, जो राज्यांतरिक पारेषण परिपथ (नेटवर्क) और वितरण परिपथ (नेटवर्क) से संयोजित हैं और उसके (एस.एल.डी.सी. के) द्वारा निगरानीकृत/सेवा प्राप्त कर रहे हैं, के बारे में समेकित जानकारी आयोग को प्रतिवर्ष, वर्ष के अप्रैल माह के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

(ज) राज्य भार प्रेषण केन्द्र पंजीयन हेतु समस्त आवेदनों का निपटारा 30 दिवसों के भीतर कर देगा। विचारण में विलम्ब अथवा इन्कार करने की स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आवेदक को उसके बारे में वैध कारणों सहित, उपर्युक्त समय–सीमा पूरी होने के 05 कार्यदिवसों के भीतर सूचित करेगा।

**टीप :** समस्त उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पास पंजीयन कराना आवश्यक होगा। इनमे सम्मिलित होंगे उत्पादन संयंत्र, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, राज्य ग्रिड से सीधे संयोजित अनुज्ञप्तिधारी, एकल उत्पादन संयंत्र जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हेतु राज्य भारप्रेषण केन्द्र की सेवाओं की प्रयोग करते है और अन्य राज्यांतरिक एकक (entity)।

**103. बिलिंग और अन्य प्रकीर्ण प्रावधान :**

**103.1** बिलिंग और भुगतान :

प्रणाली परिचालन प्रभार और बाजार परिचालन प्रभार हेतु राज्य भारप्रेषण केन्द्र द्वारा मासिक आधार पर, इन विनियमों के अनुसरण में देयक निकाले जाएंगे, और संबंधित राज्यांतरिक एक को (entities) द्वारा भुगतान सीधे राज्य भारप्रेषणकेन्द्र को कियाजाएगा।

**103.3** राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क और प्रभारों के भुगतान में बारंबार चूक को आयोग के ध्यान में लाया जाएगा।

## अध्याय -10

## जानकारी की प्रस्तुति एवं टैरिफ और अन्य प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना

**104. टैरिफ और अन्य प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना को दाखिल करना (फाइलिंग) :**

**104.1** प्रत्येक उपक्रम, जो धारा–62 के अधीन आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण का विकल्प चुनता है, उसे विहित प्रक्रिया अनुसार विहित प्रपत्रों में टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व दाखिल करना आवश्यक होगा।

**104.2** यदि अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, पुनरीक्षण के माध्यम से प्रभारों के टैरिफ के अंतर या अंतर के भाग की पूर्ति करने की इच्छुक है, तो उसे आयोग के समक्षए एतद (एन्सुइन्ग) वित्तीय वर्ष हेतु प्रभारों के टैरिफके पुनरीक्षण पर विचार करने हेतु निवेदन के साथ, यथोचित याचिका प्रस्तुत करनी होगी।

**105. प्रक्रिया-टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्वः**

पूर्ववर्ती अवधि के अंकेक्षित आंकड़ों के अभाव में उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी अंतिम लेखों (प्रोव्हिजनल एकाउंट्स) के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे प्रकरण में वह, स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियों के साथ सम्यक् वार्षिक संशोधनों का समावेश करने के बाद

कम्प्यूटरीकृत बिलिंग/वित्तीय लेखांकन प्रणाली (ऐसी प्रणाली के उपलब्ध होने पर) के सत्यापित और पुष्टि किए गए आंकड़ों का उपयोग करेगा।

**106. टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के दाखिले (फाइलिंग) हेतु प्ररूपः**

अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व को आयोग के समक्ष, आयोग द्वारा विहित सम्यक् प्रपत्रों में, दाखिल करेंगे।

**107. शुल्क, जानकारी का प्रदर्षन और आंकड़ों का सत्यापनः**

**107.1 आवेदन षुल्कः**

प्रचलित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क और प्रभार) विनियम में किसी बात के होते हुए भी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अधीन जानकारी प्रस्तुत करते समय आयोग को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

**107.2 जानकारी का प्रदर्शनः**

उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञप्तिधारियों या एस.एल.डी.सी. से प्ररूपों में प्राप्त जानकारी आयोग/उत्पादक/अनुज्ञप्तिधारी/एस.एल.डी.सी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

## अध्याय–11

## प्रकीर्ण प्रावधान

**108.** परिचालन की परिसीमा हेतु मानक

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिचालन के मानक परिसीमात्मक हैं और वे उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारीए यथा प्रकरण तथैव और हित ग्राहियों और दीर्घावधि पारेषण ग्राहकों को परिचालन के उन्नत(बेहतर) मानकों को अपनाने / वापरने से वंचित नहीं करते।

**109. आवेदन शुल्क और प्रकाषन व्ययः**

आवेदन दाखिल करने का शुल्क और टैरिफ के अनुमोदन हेतु आवेदन में सूचनाओं के प्रकाशन पर होने वाले व्यय, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथा प्रकरण तथैव, द्वारा सीधे हितग्राहियों या पारेषण ग्राहकों, यथा प्रकरण तथैव, से वसूल करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**110. छूट देने की शक्तिः**

आयोग स्वप्रेरणा या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किए गए किसी आवेदन पर, कारणों को अभिलेखित करते हुए, इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों में छूट प्रदान कर सकेगा।

**111. व्यावृत्तियां और निरसन (Savings and repeal):**

**111.1.** इन विनियमों की कोई बात आयोग को किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण और उसे पारित करने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी, जो पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आवश्यक हो।

**111.2.** इन विनियमों की कोई बात, आयोग को, इन विनियमों के प्रावधानों से हटकर, परन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से अवरोधित नहीं करेगी, जिसे आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक अथवा उचित समझे।

**112. कठिनाइयॉ हटाने की शक्तिः**

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो आयोग, अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी आदेश द्वारा और उन्हें, जो ऐसे आदेश से प्रभावित हो सकते हों, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रावधान, जो इन विनियमों या अधिनियम से असंगत न हो, कर सकेगा, जो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो।

आयोग के आदेशानुसार

(एस. पी. शुक्ला)
**सचिव**

**परिशिष्ट–I**

**मूल्य ह्रास अनुसूची**

| क्रमांक | आस्तियों का विवरण | मूल्य–ह्रास दर एस.एल.एम. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **ए.** | पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि | 0.0% |
| **बी.** | पट्टे पर ली गई भूमि | |
| (i) | भूमि में निवेश हेतु | 3.34% |
| (ii) | स्थल क्लियरिंग की लागत हेतु | 3.34% |
| | | |
| **सी.** | नवीन क्रय की गई आस्तियॉ | |
| क) | उत्पादन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी | |
| (i) | जल विद्युत | 5.28% |
| (ii) | भाप विद्युत एन.एच.आर.बी. एवं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स / संयंत्र | 5.28% |
| (iii) | डीजल विद्युत और गैस संयंत्र | 5.28% |
| | | |
| ख) | कूलिंग टावर्स और जल प्रणालियॉ | 5.28% |
| ग) | जलीय विद्युत प्रणाली, जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्य का भाग है | 5.28% |
| (i) | बांध, स्पिलवेजवियर्स, नहरें, आर.सी.सी. के स्लूसगेट और साइफन | 5.28% |
| (ii) | आर.सी.सी. पाईप लाइनें और सर्जटैंक, स्टील पाइप लाइने, स्लूसगेट, स्टीलसर्जटैंक, हाइड्रोलिक कन्ट्रोलवाल्व व अन्य हाइड्रोलिक समान | 5.28% |
| | | |
| घ | भवन व सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स | |
| (i) | कार्यालय और शो–रूम | 3.34% |
| (ii) | समाविष्टकारी संयंत्र और उपकरण (थर्मो इलेक्ट्रिक सहित) | 3.34% |
| (iii) | कच्चे निर्माण, जैसे–लकड़ी की संरचनाएं | 100% |
| (iv) | कच्ची सड़कें | 100% |
| (v) | कच्ची सड़क से भिन्न सड़कें | 3.34% |
| (vi) | अन्य | 3.34% |
| ड. | ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मस उपकेन्द्र के उपस्कर (किओस्क) व अन्य स्थिर उपकरण (संयंत्र फाउन्डेशन सहित):– | |
| (i) | ट्रांसफार्मर्स, फाउन्डेशन सहित, 100 के.वी.ए. तथा अधिक रेटिंग वाले | 5.28% |
| (ii) | अन्य | 5.28% |
| च | केबल कनेक्शन सहित स्विच गेयर | 5.28% |
| छ | लाइटनिंग अरेस्टर्स | |
| (i) | स्टेशन टाईप | 5.28% |
| (ii) | पोल टाईप | 5.28% |
| (iii) | सिंक्रोनस कंडेंसर | 5.28% |
| **डी** | बैटरियॉ | 5.28% |
| (i) | ज्वाईंट बाक्सेज़ व डिसकनेक्टेड बाक्सेज़ सहित भूमिगत केबल | 5.28% |
| (ii) | केबल डक्ट प्रणाली | 3.34% |

| **क्रमांक** | **आस्तियों का विवरण** | **मूल्य–ह्रास दर एस.एल.एम.** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |
| **ई** | केबल सपोर्ट सहित ओव्हरहेड लाईन | |
| (i) | 66 किलोवोल्ट से उच्चतर नामिनल वोल्टेज पर फेब्रिकेटेड इस्पात पर डाली गई लाईन | 5.28% |
| (ii) | 13.2 किलोवोल्ट से उच्चतर परन्तु 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं की नामिनल वोल्टेज पर इस्पात सपोर्ट पर डाली गई लाईन | 5.28% |
| (iii) | इस्पात अथवा प्रबलित कांक्रीट पोल पर लाईन | 5.28% |
| (iv) | संसाधित लकड़ी के पोल पर लाईन | 5.28% |
| | | |
| **एफ** | मीटर्स | 5.28% |
| | | |
| **जी.** | स्वचालित वाहन | 9.50% |
| | | |
| **एच.** | वतानुकूलित संयंत्र | |
| (i) | स्टेटिक | 5.28% |
| (i) | पोर्टेबल | 9.50% |
| | | |
| **आई.** | | |
| (i) | कार्यालयीन फर्नीचर व फर्निशिंग | 6.33% |
| (ii) | कार्यालय उपकरण | 6.33% |
| (iii) | फिटिंग व उपकरण सहित आंतरिक वायरिंग | 6.33% |
| (iv) | सड़क बत्ती फिटिंग | 5.28% |
| | | |
| **जे.** | किराये पर दिया गया उपरकण | |
| (i) | मोटर से भिन्न | 9.50% |
| (ii) | मोटर्स | 6.33% |
| | | |
| **के.** | संचार उपकरण | |
| **(i)** | रेडिओ एंड हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिस्टम | 6.33% |
| **(ii)** | टेलीफोन लाइंस एंड टेलीफोन | 6.33% |
| **(iii)** | फाईबर ऑप्टिक | 6.33% |
| **एल.** | सूचना प्रद्यौगिकीय उपकरण , सॉफटवेअर सहित | 15.00% |
| | | |
| **एम्.** | उपर्युक्त से भिन्न कोई अन्य आस्तियां | 5.28% |

_________

टीपः जहाँ किसी परिसम्पत्ति विशेष का जीवनकाल, परियोजना के उपयोगी जीवनकाल से कम हो, वहाँ उस परिसम्पत्ति विशेष का उपयोगी जीवनकाल, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 एवं उसके पश्चातवर्ती संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, विचार में लिया जाएगा।

## परिशिष्ट–IA

| एम्.समेकित खदानों के लिये मूल्य–ह्रास अनुसूची | | | |
|---|---|---|---|
| क्रमांक | परिसम्पत्ति के विवरण | जीवनकाल (वर्ष में) | दर |
| 1 | भूभाग पूर्ण–स्वामित्व में / | 999 | 999 |
| 2 | भूभाग पट्टे पर | &&& | &&& |
| 3 | अस्थायी संरचनाएं | 1 | 95% |
| 4 | एच.ई.एम्.एम्.+ | 8 | 12% |
| 5 | सड़कें, पुल, नालियाँ,हेलिपैड | 25 | 4% |
| 6 | मुख्य संयंत्र इमारत | 30% | 3% |
| 7 | एच.ई.एम्.एम. से भिन्न मशीनें | 15 | 6% |
| 8 | जल–आपूर्ति, निकासी एवं निस्तार | 15 | 6% |
| 9 | फर्नीचर एंड फिक्सचर | 15 | 6% |
| 10 | ऑफिस इक्विपमेंट कम्प्यूटरों से भिन्न | 15 | 6% |
| 11 | चिकित्सालय के उपकरण | 15 | 6% |
| 12 | ई.डी.पी., डब्ल्यू.पी. मशीनें,सेटकॉम एवं संचार | | 6% |
| 13 | उपकरण | 15 | 6% |
| 14 | विद्युतीयस्थापनाएं | 15 | 6% |
| 15 | स्व–चलित वाहन | 10 | 10% |
| 16 | कम्प्युटर,सॉफ्टवेअर | 3 | 32% |
| 17 | प्रयोगशाला एवं मरम्मत–खाना के उपकरण | 15 | 6% |
| 18 | खदान विकास व्यय | 20 या खदान का जीवनकाल, दोनों में से जो कम हो | 5% |
| 19 | मूल्यांकन एवं खोज : | 20 या खदान का जीवनकाल, दोनों में से जो कम हो | 5% |
| 20 | उपर्युक्त से भिन्न कोई अन्य आस्तियां | 15 | 6% |
| * | *निम्नलिखित परिसम्पत्तियों की अवशेष मूल्य 5ः से भिन्न होगी –<br>क. आई.टी. उपकरण, सॉफ्टवेअर शून्य (0)<br>ख. शून्य अथवा जैसा राज्य सरकार से स्वीकृत, भूभाग के प्रकरण में<br>ग. विशिष्ट उत्खनन उपकरण दृकॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट<br>घ. खदान विकास व्यय, मूल्यांकन एवं खोज – शून्य (0) | | * |
| @ | याचिकाकर्ता के द्वारा सूचित किया जाएगा – यदि पूर्ण–स्वामित्व भूभाग के साथ उसे वापस लौटने की कोई शर्त जुडी हुई है, यदि हाँ, तो कितनी अवधि के बाद भूभाग को वापस लौटाया जाना है। ऐसे प्रकरण में भूभाग पर मूल्य–ह्रास इन ब्यौरों के आधार पर लगाया जाएगा। | | |

| | | |
|---|---|---|
| **&&&** | याचिकाकर्ता के द्वारा भरा जाएगा। पट्टे की अवधि/खदान का जीवनकाल/उपयोग के अधिकार की अवधि, में से से जो सबसे कम हो | |
| **$** | प्रत्येक एच.ई.एम.एम. की सूची, लागत सहित, प्रत्येक एक.ई.एम.एम. की लागत पृथकतः दर्शाई जाए | |
| # | सामान्यतया खदान विकास व्यय वह व्यय हैं जो खदान के मालिक के द्वारा आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के उपरांत खदान को विकसित करने हेतु, लिये गये निर्णय के आधार पर, खदान को उपयोग करने के लायक स्थिति में लाने हेतु व्यय किये जाते हैं। इस बाबत जहाँ तक हो सके पृथकतः ब्यौरे दिये जाने चाहिये, मूल्यांकन एवं खोज व्यय सामान्यतया ऐसे व्यय हैं जो खनिज पदार्थ की प्राप्ति हेतु जलवायु, भूविज्ञान, भू–रसायन विज्ञान तथा भू–रचना संबंधी अध्ययन, खोज हेतु छिद्रण (ड्रिलिंग), नमूना–परीक्षण, गतिविधियों से संबंधित, तकनीक का कारगर होने का मूल्यांकन तथा वाणिज्यिक जीवंतता का आश्वासन, खोज के अधिकारों की प्राप्ति, इत्यादि पर निर्वहित किये जाते हैं। इस बाबत जहाँ तक हो सके पृथकतः ब्यौरे दिये जाने चाहिये। | |

# परिशिष्ट–II

| Qpp और Qrs (MU) की संगणना | | | |
|---|---|---|---|
| क्रमांक | विशिष्टियां (विवरण) | | |
| 1 | छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के तापीय विद्युत केन्द्रों से क्रय की गई विद्युत की वास्तविक मात्रा | $Q_1$ | |
| 2 | छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के जलीय विद्युत केन्द्रों से क्रय की गई विद्युत की वास्तविक मात्रा | $Q_2$ | |
| 3 | छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के नवीकरणीय केन्द्रों से क्रय की गई विद्युत की वास्तविक मात्रा | $Q_3$ | |
| 4 | CGS से क्रय की गई अनूसचित विद्युत की मात्रा | $Q_4$ | |
| 5 | द्वैमासिक अवधि हेतु वास्तविक औसत हानियां | $L_1$ | |
| 6 | राज्य परिधि में CGS से क्रय की गई अनुसूचित विद्युत की मात्रा | $Q_5 = Q_4 \times (1-L_1)$ | |
| 7 | नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत की वास्तविक मात्रा | $Q_6$ | |
| 8 | IPP और CGP से क्रय की गई लघु अवधि विद्युत की वास्तविक मात्रा | $Q_7$ | |
| 9 | अंतराज्यीय पथ के माध्यम से क्रय की गई लघुअवधि अनुसूचित मात्रा | $Q_8$ | |
| 10 | राज्य परिधि पर क्रय की गई लघुअवधि अनुसूचित मात्रा | $Q_9 = Q_8 x (1-L_1)$ | |
| 11 | अन्य स्त्रोत(यदिकोई हो) से क्रय की गई विद्युत की मात्रा | $Q_{10}$ | |
| 12 | कुल क्रय की गई विद्युत की मात्रा | $Q_{pp} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_5$ $Q_6 + Q_7 + Q_9 + Q_{10}$ | |
| 13 | मानदंडीय पारेषण और वितरण की हानियां, टैरिफ आदेश में यथाविनिर्दिष्ट | L | |
| 14 | अंतराज्यीय विक्रय के लिए अनुसूचित विद्युत की मात्रा | $Q_{PT}$ | |
| 15 | राज्य में फुटकर उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाने हेतु क्रय की गई विद्युत की कुल मात्रा | $Q_{RS} = Q_{PP} - Q_{PT}$ | |

# परिशिष्ट–III
# सी.एच.पी.पी. की संगणना

| क्र. | प्रथम द्वैमासिकअवधि | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र का नाम | पहला महीना | | | | | | | | |
| | | संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFM) | मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) | वार्षिक स्थिरलागत, (AFC) | माह मे अनुसूचित ऊर्जा (MU) (SE1) | माहमें क्षमता प्रभार (रू.) "A1" | ऊर्जा प्रभार दर (रू./kwh) | ऊर्जा प्रभार (रू.) "B1" | कर (रू.) "C1" | कुल (रू.) X1="A1 +B1+C1" |
| | एन.टी.पी.सी. कोरबा | | | | | | | | | |
| | एन.टी.पी.सी. सीपत | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | एन.एस.पी.सी.एल. | | | | | | | | | |
| | कुल तापीय | | | | | | | | | |
| | नाभिकीय | | | | | | | | | |
| | जलीय | | | | | | | | | |
| | **समस्त स्त्रतों से कुल** | | | | | | | | | |

| क्र. | प्रथम द्वैमासिक अवधि | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सीजीएस का नाम | दूसरा महीना | | | | | | | | |
| | | संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFM) | मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) | वार्षिक स्थिरलागत, (AFC) | माह मे अनुसूचित ऊर्जा (MU) (SE1) | मह में क्षमता प्रभार(रू.) "A1" | ऊर्जा प्रभारदर (रू./kwh) | ऊर्जा प्रभार (रू.) "B1" | कर (रू.) "C1" | कुल (रू.) X1="A1+ B1+C1" |
| | एन.टी.पी.सी. कोरबा | | | | | | | | | |
| | एन.टी.पी.सी. सीपत | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | एन.एस.पी.सी.एल. | | | | | | | | | |
| | कुलतापीय | | | | | | | | | |
| | नाभिकीय | | | | | | | | | |
| | जलीय | | | | | | | | | |
| | **समस्त स्त्रतों से कुल** | | | | | | | | | |

# सी.एच.पी.पी. की संगणना

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| द्वैमासिक अवधि के लिए अनुसूचित ऊर्जा ¼SE1+SE2½ | MU | $Q_{CGS}$ | | |
| टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत क्रय लागत की औसत दर | Rs/kwh | $R_{PP1}$ | | |
| समायोजन अवधि के दौरान क्रय की गई विद्युत लागत की वास्तविक औसत दर | Rs/kwh | $R_{pp2} = (X1+X2)/ Q_{CGS}$ | | |
| CHPP | Rs | $CHPP = Q_{CGS} \times (R_{PP2} - R_{pp1})$ | | |

# परिशिष्ट–IV

| विचलनीय **लागतसमायोजनप्रभार की संगणना** | | | |
|---|---|---|---|
| **क्रमांक** | **विवरण** | | |
| 1 | CHFC | Rs | |
| 2 | CHPP | Rs | |
| 3 | सकल विचलनीय लागत समायोजन (sub-total in Rs.) | Rs | |
| 4 | अनुमतेय विचलनीय लागत समायोजन (in Rs.) | Rs. | |
| 5 | अनुमतेय विचलनीय लागत समायोजन (inRs/kwh)=(CHFC+CHPP)/Qpp x (1-L) | Rs/kwh | |

# परिशिष्ट–V
## (विनियम 102.7 के अनुसरण में)

**1. एकक का नाम (entity)(मोटे अक्षरों में) :**

**2. पंजीकृत कार्यालय का पता :**

**3. क्षेत्र जिसमें पंजीयन वांछित है :**

**4. राज्यांतरिक उपयोगकर्ता श्रेणीः**

(i) उत्पादन संयंत्र

(ii) केप्टिव उत्पादन संयंत्र

(iii) नवीकरणीय उत्पादन संयंत्र

(iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी

(v) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

**5. राज्यांतरिक उपयोगकर्ता विवरण (मौजूदा उपयोगकर्ता और यदि कोई होतो, परवर्ती बदलाव हेतु पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में)**

i श्रेणी –उत्पादन संयंत्र/नवीकरणीय उत्पादन संयंत्र/केप्टिव उत्पादन संयंत्र

क. कुल स्थापित क्षमता

ख. राज्यांरिक पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु अधिकतम संविदाकृत क्षमता (मेगावाट में)

ग. राज्यग्रिड के साथ अंतरसंयोजन का उद्देश्य (कृपया सही विकल्प अंकित करें)

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय हेतु (लघु अवधि/मध्यम अवधि/दीर्घअवधि)

(ii) केप्टिव उपयोग को प्रदाय हेतु (लघु अवधि/मध्यम अवधि/दीर्घअवधि)

(iii) थोक उपभोक्ता को प्रदाय हेतु (लघुअवधि/मध्यम अवधि/दीर्घअवधि)

(iv) उपर्युक्त के अलावा अन्य को प्रदाय हेतु (लघु अवधि/मध्यम अवधि/दीर्घअवधि)

घ. राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली से संयोजन के विवरणः

| कमांक | (i) EHV S/s.का नाम | (ii)वोल्टेज स्तर (के.व्ही.) | क्या स्थल पर विशेष ऊर्जा मीटर (मेन) लगे हुए है |
|---|---|---|---|
| | | | |

ii श्रेणी – पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्यांतरिक)

क. उपकेन्द्रः

| कमांक | उपकेन्द्र का नाम | ट्रांसफार्मर की संख्या | कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता अथवा यदि स्विचिंग केन्द्र है तो डिजाइन MVA संभालने की क्षमता |
|---|---|---|---|
| | | | |

ख. पारेषण लाइनें

| कमांक | वोल्टेज स्तर (के.व्ही.) | पारेषण लाइनों की संख्या | कुल सर्किट कि.मी. |
|---|---|---|---|
| | | | |

**6. राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित मामलों के लिए संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरणः**

i नामः
ii पदनामः
iii लैंडलाइन फोन नंबरः
iv मोबाइल नंबरः
v ई–मेल पताः
vi डाक का पताः

उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

नाम :
पदनाम :
संपर्कनंबर :